अंक ४

संख्या २६

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ४ में संख्या २६ से संख्या ३४ तक हैं)

——:o:——

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सची

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २०३९—२०८४]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २०८४—२०९८]

पार्लियामेंट सेक्रेटेरियेट, नई दिल्ली।

(मूल्य ४ आने)

403 P.S.D.

लोक सभा

मंगलवार, ८ सितम्बर, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हैदराबाद बैंक

*११०५. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) हैदराबाद राज्य में हैदराबाद बैंक को किन विशेष परिस्थितियों में रिज़र्व बैंक आफ इंडिया का एजंट नियुक्त किया गया ; तथा

(ख) करार के अन्तर्गत हैदराबाद बैंक कितने समय तक रिज़र्व बैंक के एजन्ट के रूप में काम करता रहेगा ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) हैदराबाद बैंक को ग्राम्य महाजनी जांच समिति की रिपोर्ट की सिफारिश नम्बर ९१ के अन्तर्गत हैदराबाद राज्य में रिज़र्व बैंक का एजन्ट नियुक्त किया गया है ।

(ख) हैदराबाद बैंक उस राज्य में १ अप्रैल १९५३ से पांच वर्ष के लिये रिज़र्व बैंक के एजन्ट के रूप में काम करेगा ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि हैदराबाद राज्य की वित्तीय

स्थिति किस रूप में अन्य भाग 'ख' राज्यों जैसे कि मैसूर, त्रावणकोर-कोचीन तथा मध्य भारत की वित्तीय स्थितियों से भिन्न है जिसके कारण कि हैदराबाद बैंक को वहां रिज़र्व बैंक का एजन्ट नियुक्त किया गया है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह राज्यों की वित्तीय स्थिति का कोई प्रश्न नहीं । यह अपने अपने राज्यों में बैंकों की स्थिति का प्रश्न है ; तथा ग्राम्य महाजनी जांच समिति ने इन सभी बैंकों का परीक्षण करने के बाद सिफारिश की है कि हैदराबाद बैंक ही एक ऐसा बैंक है जो कि रिज़र्व बैंक के एजन्ट के रूप में काम कर सकता है । भाग ख राज्यों के अन्य बैंक इतने विकसित नहीं हैं कि वह यह कार्य निभा सकें ।

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस बैंक के अधिकांश शेयर हैदराबाद राज्य सरकार के पास हैं अथवा क्या वह प्राइवेट व्यक्तियों अथवा बैंकों के पास हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : अधिकृत पूंजी १५० लाख रुपये है तथा प्रस्तुत पूंजी ७५ लाख है । हैदराबाद सरकार के पास इसके ५१ प्रतिशत अंश (शेयर) हैं ।

श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हैदराबाद राज्य के वित्तीय एकीकरण से पूर्व यह बैंक हैदराबाद राज्य की आवश्यकताएं पूरी करता था, सरकार पांच वर्ष की प्रसंविदा कालावधि के पश्चात इस बैंक

का विकास करने के सम्बन्ध में क्या कुछ करने का विचार रखती है ?

श्री ए० सी० गुहा : पांच वर्ष की यह कालावधि १ अप्रैल १९५३ से शुरू हुई है तथा मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी कुछ कहना समय से पूर्व की बात होगी ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इसके कृत्य क्या हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : वही जो कि रिज़र्व बैंक अधिनियम में दिये गये हैं ।

श्री अच्युतन : क्या रिज़र्व बैंक को इस व्यवस्था से कोई वित्तीय लाभ पहुंचेगा ?

श्री ए० सी० गुहा : रिज़र्व बैंक के कुछ एजन्ट हैं तथा यह बैंक हैदराबाद में इसके एजन्ट के रूप में काम करेगा यह लाभ हानि का कोई प्रश्न नहीं ।

राष्ट्रीय केडित कोर तथा सामाजिक कार्य

***११०७. सरदार ए० एस० सहगल** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या राष्ट्रीय केडित कोर ने भारत के पुनर्निर्माण के लिये देश भर में कई प्रकार के सामाजिक कार्य हाथ में लिए हैं ?

(ख) क्या दिल्ली तथा बम्बई के राष्ट्रीय केडित कोर ने कोई सुविख्यात काम किये हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जी हां, राष्ट्रीय केडित कोर की ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में समाज-सेवा कार्य शामिल है ।

(ख) इस वर्ष दिल्ली के केडितों ने दिल्ली राज्य के नांगलोई-कांझावाला क्षेत्र में ३२ मील मिट्टी से भरी हुई नालियां साफ कीं । बम्बई के केडितों ने चार इमारतें बनाईं जिन में कि दो कमरे वाले २२ घरों की व्यवस्था है। इसके अलावा उन्होंने बेलगांव जिले (बम्बई) के घाटप्रभा क्षेत्र में एक मील लम्बी सड़क बनाई ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि कौन कौन से प्रान्त हैं जहां के नैशनल कैडट कोर के जवानों ने सोशियल कार्य को अपने हाथ में लिया है ?

श्री सतीश चन्द्र : अभी अलग अलग प्रान्तों में पांच कैम्प हुए हैं । अगर आनरेबिल मैम्बर चाहें तो मैं पूरी लिस्ट दे सकता हूं ।

सरदार ए० एस० सहगल : यह जो आप की पांच जगहें थीं, उन के अलावा आप से जानना चाहता हूं ।

श्री सतीश चन्द्र : उन के अलावा पांच और कैम्प सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में होने वाले हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या हम जान सकते हैं कि यू० पी० में भी कोई ऐसा कैम्प हुआ था ? अगर हुआ था तो उस में कितने लड़कों ने भाग लिया ?

श्री सतीश चन्द्र : यू० पी० और विन्ध्य प्रदेश का एक कैम्प लैंसडाउन में हुआ जिसमे आफिसर्स के अलावा ७३६ कैडेट थे । उन्होंने एक पहाड़ी सड़क, क़रीब डेढ मील लम्बी और १४ फीट चौड़ी बनाई जिस पर जीप्स जा सकती हैं और दूसरी मोटरें भी जा सकती हैं ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : क्या समाज-कार्य करने से उनकी सैनिक ट्रेनिंग में कोई बाधा तो नहीं पड़ जाती है ?

श्री सतीश चन्द्र : इन सभी कैम्पों में नियमित रूप से सैन्य प्रशिक्षा दी गई । शारीरिक श्रम ट्रेनिंग के अलावा था ।

श्रीमती ए० काले : निर्माण कार्य के अलावा यह केडित किस प्रकार का सामाजिक कार्य करते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : यदि 'सामाजिक कार्य' से माननीय सदस्य का आशय शारीरिक श्रम है, तो केडित यह श्रम करते हैं। राष्ट्रीय केडित कोर के बालक और भी कुछ सामाजिक कार्य करते रहे हैं। बड़े बड़े मेलों तथा प्रदर्शिनियों आदि में वह स्वयं समाज-सेवा का काम करते हैं। यह सब कुछ स्वेच्छा से होता है तथा वैसे राष्ट्रीय केडित कोर के तत्वावधान में नहीं होता है।

श्री एन० एम० लिंगम : इन अलग थलग निर्माण कार्यों को छोड़ के क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है कि राष्ट्रीय केडित कोर की गतिविधियों को सामुदायिक परियोजनाओं के विकास कार्य-क्रम के साथ एकीकृत किया जाये ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, दिल्ली राज्य में इन केडितों ने जो काम किया है वह सामुदायिक परियोजना क्षेत्र में ही किया गया है। केडितों को सामुदायिक परियोजनाओं की गतिविधियों में अधिकाधिक रूप से भाग लेने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है। मैं पहले भी सदन में निवेदन कर चुका हूं कि राष्ट्रीय केडित कोर की देख रेख में एक सहायक केडित कोर तैयार किया जा रहा है तथा सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में काम करने वाले केडित विकास क्षेत्रों अथवा सामुदायिक परियोजनाओं के प्राधिकारियों के सहयोग में काम किया करेंगे।

सेठ गोविन्द दास : क्या इन को इस बात की भी कोई हिदायत है कि जब इन का कैम्प हो तो अपने समय में से इतना इतना समय इन को सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिये ?

श्री सतीश चन्द्र : इस तरह की कोई कैद तो नहीं है, लेकिन आम तौर पर देखा यह गया है कि नैशनल कैडेट कोर के लड़के आज कल के स्कूलों और कालेजों के लड़कों के मुकाबिले में इस तरह के कामों में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं और उन की प्रवृत्ति उस ओर बढ़ रही है। कैम्पों में लड़कों ने ६ घंटे रोज शारीरिक परिश्रम किया है।

श्री भक्त दर्शन : अभी माननीय मंत्री महोदय ने बतलाया कि नैशनल कैडेट कोर ने लैंसडाउन में एक सड़क बनाई थी। क्या उनको मालूम है कि बरसात के बाद वह सड़क बिलकुल बरबाद हो गयी है और क्या उसकी रक्षा की कोई व्यवस्था की जा रही है ?

श्री सतीश चन्द्र : आनरेबिल मैम्बर लैंसडाउन के रहने वाले हैं नैशनल कैडेट कोर के लड़कों ने सड़क तो बनादी, उसकी हिफाज़त वह खुद कर सकें तो बेहतर है।

कलकत्ता स्थित भारतीय अजायबघर (कर्मचारीवर्ग)

*११०८. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता स्थित भारतीय अजायबघर के कर्मचारी वर्ग के वेतन तथा भत्ता की दरों में किस आधार पर परिवर्तन किया गया है ;

(ख) क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी इस से कोई फायदा पहुंचेगा ;

(ग) सामान्यतः कितनी प्रतिशत तरक्की दी गई है ; तथा

(घ) इस अजायबघर में श्रेणीवार कितने कर्मचारी सेवायुक्त हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) सैंट्रल पे कमीशन ने जो सिफारिशें की थीं उनके मुताबिक स्टाफ की तन्ख्वाहों का स्केल बनाया गया है।

(ख) हां।

(ग) जनरल परसेंटेज बताना मुश्किल है, क्योंकि हर पोस्ट का स्केल एक तरह का नहीं है।

(घ) ग्रेड तीन में १० हैं तथा ग्रेड चार में ६८।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि यह जो स्केल का रुपया दिया गया है, उसके हिसाब से कर्मचारियों को उनके बारे में जो बजट है, उसमें कितना ज्यादा रुपया मंजूर किया गया है ?

मौलाना आजाद : यह तो मैं ने अभी इसका टोटल नहीं निकाला, मेरे पास लिस्ट मौजूद है और उस लिस्ट से मैं बतला सकता हूं कि किन किन की तनख्वाह में क्या क्या बढ़ाया गया है, लेकिन कुल कितना बढ़ा है, वह मैं अभी नहीं बतला सकता । अगर आनरेबल मेम्बर चाहें तो यह लिस्ट हाउस की टेबल पर रख दी जा सकती है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह बात सच है कि इस बजट के सिवाय और दो हजार रुपये एक टाइपिस्ट और उसके काम के लिये ग्रांट किये गये हैं ?

मौलाना आजाद : नहीं, मेरे इल्म में यह बात नहीं आई है ।

समाज-शास्त्र पारितोषिक

*११०९. **श्री राधा रमण :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका के एक विश्वविद्यालय द्वारा घोषित किया गया है कि श्री विजय लक्ष्मी पंडित के नाम से एक भारतीय विद्यार्थी को समाज-शास्त्रों के अध्ययन के लिये एक पारितोषिक दिया जायेगा ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उस का पूरा विवरण क्या है ?

(ग) वह पारितोषिक किस को दिया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख) । हां, 'फेएरले डिकिन्सन कालिज न्यूजर्सी' ने एक स्कालरशिप आफर किया है । मगर आनरेबिल मेम्बर का यह ख्याल सही नहीं है कि वह सिर्फ सोशल साइंस के लिये हैं । इस तरह की कोई शर्त नहीं लगाई गई है । स्कालरशिप ४७५ डालर सालाना का है जो कालिज की पढ़ाई का खर्च है । इस के अलावा और जितना खर्च होगा जैसे यहां से जाने और आने का खर्च वह सब विद्यार्थी को अपने पास से देना होगा । कालिज में पढ़ाई सिर्फ बेचेलर डिग्री तक होती है । कोर्स की मुद्दत एक से चार वर्ष तक है जिस तरह का सब्जेक्ट हो कम अज़ कम क्वालीफ़िकेशन वहां के लिये मैट्रिक है ।

(ग) अभी इस का फैसला नहीं हुआ है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इस स्कालरशिप के सेलैक्शन के लिये क्या तरीका अखतियार किया जायेगा ?

मौलाना आजाद : दरख्वास्तें मंगवाई गई हैं और मिनिस्ट्री इन पर ग़ौर करेगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : जैसा कि विजय लक्ष्मी जी के नाम से अमरीका ने एक स्कालरशिप हिन्दुस्तानी विद्यार्थी को दी है क्या उसी प्रकार से भारत सरकार भी कोई अमरीकन स्टूडेण्ट को अब्राहम लिंकन के नाम से स्कालरशिप देगी ?

मौलाना आजाद : चूंकि एक स्कालरशिप हिन्दुस्तानी को दिया गया है, इस के लिये हिन्दोस्तान भी एक स्कालरशिप किसी अमरीकन के नाम पर दे कुछ ऐसा जरूरी नहीं है ।

श्री बंसल : यह दरख्वास्तें किस के जरिये मंगवाई गई हैं ?

मौलाना आजाद : दरख्वास्तें मिनिस्ट्री ने डायरेक्ट मंगवाई हैं । मिनिस्ट्री के इल्म में जब यह बात आई थी तो मालूम हुआ था

कि कालिज यह चाहता है कि डायरेक्ट दरख्वास्तें मंगवायें लेकिन हमने कालिज की तवज्जोह दिलाई कि जो कार्यवाही होनी चाहिये गवर्नमेण्ट के जरिये होनी चाहिये चुनांचे अब गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया दरख्वास्तें मंगवा रही है और वही चुनेगी ।

श्री बंसल : मैं पूछना चाहता हूं कि दरख्वास्तें किन से मंगवा रहे हैं, किस जरिये से मंगवाई जा रही हैं ?

मौलाना आज़ाद : दरख्वास्तें स्टट गवर्नमेण्ट और यूनिवर्सिटियों के ज़रिये मंगवाई गई हैं ।

श्री राधा रमण : क्या दरख्वास्तों को मंगवाने के लिये कोई प्रकाशन किया गया था ?

मौलाना आज़ाद : हां ।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर कर्मचारी

*१११०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : (क) क्या **वित्त** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर विभागों में काम करने वाले खण्ड (ख) राज्यों के कर्मचारियों का कोई अभ्यावेदन उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने प्रार्थना की है कि उन को उनकी अपनी राज्यों की सेवाओं में फिर भेज दिया जाय ?

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार कब निर्णय करेगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख) । हां, श्रीमान् । राज्यों की सेवाओं में पुनः भेजे जाने के कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । फ़ेडरल वित्तीय खण्डानुकलन स्कीम के अन्तर्गत इन कर्मचारियों को अपने राज्यों की सेवाओं में पुनः लौट कर जाने का कोई अधिकार नहीं है । इस प्रकार पुनः लौट कर जाना केवल तत्सम्बन्धी राज्य सरकार तथा भारत सरकार के पारस्परिक समझौते ही से हो सकता है तथा भूत काल में ऐसे समझौतों के द्वारा ही उत्क्रामण हुए हैं । उन कर्मचारियों के मामलों पर, जिन के अभ्यावेदन विचाराधीन हैं, तत्सम्बन्धी राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे कुछ मामले सरकार के सामने आये हैं जिन में सेवा के उत्क्रामण के प्रार्थना पत्र दिये गये हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि ऐसे प्रार्थना पत्रों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री एम० सी० शाह : ऐसे प्रार्थनापत्रों की कुल संख्या जिन पर विचार हो रहा है ७२ हैं और यह सभी राज्यों की हैं तथा इसके आंकड़े निम्नलिखित हैं :

राजस्थान	३
मैसूर	२४
त्रावनकोर-कोचीन	४५

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि नौकरियों का समीकरण कृत्य सम्बन्धी आधार पर नहीं किया गया है और इसी कारण से वे राज्यसेवाओं में पुनः वापस जाना चाहते हैं ।

श्री एम० सी० शाह : राज्य सरकारों के परामर्श से समीकरण किया गया था । तदर्थ समितियां नियुक्त की गई थीं । राज्य सरकारों का एक प्रतिनिधि निरीक्षक के रूप में बराबर उपस्थित रहता था । वह देखता रहता था, परामर्श देता था और तब समीकरण किये गये थे ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य नहीं है कि कर्मचारियों ने, दोषपूर्ण वर्गीकरण तथा समीकरण से रुष्ट होकर, राज्य सेवाओं में पुनः भेजे जाने की मांग की है ?

श्री एम० सी० शाह : यह बात नहीं है। जब तदर्थ समितियों की नियुक्ति हुई थी तो इन कर्मचारियों को इस बात का विकल्प दिया गया था कि चाहे वह राज्य सरकार की सेवाओं की शर्तों को स्वीकार करें या केन्द्रीय सरकार की सेवाओं की शर्तों को स्वीकार करें। उनको यह स्वतन्त्रता नहीं दी गई थी कि दोनों की शर्तों में से जो अच्छा समझें वह चुन लें तथा शेष भाग छोड़ दें।

श्री अच्युतन : उनके स्मरणपत्र में कौन कौन से मुख्य कारण हैं जिन के आधार पर उन्होंने राज्यों को उत्क्रामण किये जाने का अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार को दिया है ?

श्री एम० सी० शाह : कुछ व्यक्तियों के लिये इसका कारण अनुपयुक्तता है और इसी लिये वे चाहते हैं कि उन्हें पुनः राज्यों को भेज दिया जाय।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : पहले व्यक्तिगत मामलों पर विचार किया गया तथा उत्क्रामण कर दिया गया। अब दूसरों के मामलों में निर्णय टालने का क्या कारण है ? और मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सब मामलों पर एक साथ विचार कर रही है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, श्रीमान्। मेरे साथी श्री त्यागी द्वारा एक उत्क्रामण, विशेष उदाहरण, के रूप में कर दिया गया था। उसके बाद पांच और अभ्यावेदन प्राप्त हुए। उन पांच में से उच्चता के आधार पर हमने तीन व्यक्तियों के उत्क्रामण की आज्ञा दे दी। वही प्रश्न फिर उपस्थित हुआ। इसलिये उन पर नीति की दृष्टि से विचार करना आवश्यक समझा गया। उनको, राज्य सेवा में उत्क्रामण किये जाने की प्रार्थना करने का अधिकार न था। अस्तु राज्य सरकारों से पूछा गया कि उन्हें उन अभ्यावेदनों के संबंध में क्या कहना है। तथा यदि राज्य सरकारें उनको पुनः वापस लेने पर राजी हों तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन मामलों पर निर्णय करने में उन्हें कितना समय लगेगा ? मैं निश्चित तारीख जानना चाहता हूं।

श्री एम० सी० शाह : जहां तक मैसूर राज्य का प्रश्न है केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के सदस्य मैसूर सरकार के प्रधान सचिव से इस संबंध में बात करने के लिये वहां गये थे। इस प्रश्न पर मंत्रियों से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि वे अपना निर्णय बाद में भेजेंगे। अभी तक हमें उनका निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक त्रावन-कोर कोचीन सरकार का संबंध है हमने बातचीत की और मालूम हुआ कि त्रावनकोर सरकार इन कर्मचारियों को वापस लेने को तैयार नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह तथ्य नहीं है कि फैडरल वित्तीय खंडानुकलन में, इस बात की गारण्टी की गई थी कि, 'केन्द्रीय सरकार की सेवा' में ले लिये जाने के बाद भी अधिकारियों की स्थिति पूर्ववत् बनी रहेगी और क्या यह तथ्य नहीं है कि इस गारंटी को पूरा नहीं किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : हर एक के मामले में इसका विचार रक्खा गया है और वास्तविकता तो यह है कि उनकी स्थिति और अच्छी हो गई है। तय यह हुआ था कि उनको जो राज्य सेवाओं में मिलता था उससे कम नहीं मिलेगा। वास्तव में उनको तो और भी अधिक मिल रहा है।

बम्बई निगम को ऋण

*१११. **श्री गिडवानी** : (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि बम्बई सरकार ने बम्बई म्यूनिसिपल आयोग की एक नवीन जल

पूर्ति योजना के लिये भारत सरकार से ऋण के लिये निवेदन किया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने उक्त निवेदन पर विचार कर लिया है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख)। हां, श्रीमान्। सरकार ने राज्य सरकार को इस योजना पर १९५३-५४ के लिये २ करोड़ रुपया ऋण देना स्वीकार कर लिया है।

श्री गिडवानी : क्या आयोग ने कुल राशि मांगी थी ?

श्री एम० सी० शाह : उन्होंने १९५३-५४ से लेकर १९५५-५६ तक के लिये प्रति वर्ष २.५ करोड़ रुपये की मांग की है।

श्री गिडवानी : क्या यह केवल एक वर्ष के लिये स्वीकृत हुई है अथवा तीन वर्ष तक चलती रहेगी। क्या कुल राशि तीन किश्तों में स्वीकृत की जायगी या एक बार ही में ?

श्री एम० सी० शाह : योजना आयोग ने १९५३-५४ के लिये २ करोड़, १९५४-५५ के लिये २ करोड़ तथा १९५५-५६ के लिये १.५ करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकार किया है। यह योजना आयोग की शिफारिश है। वित्त मंत्रालय सिफारिश से सहमत है और १९५३-५४ के लिये उसने दो करोड़ रुपया दे दिया है। इस मामले पर प्रति वर्ष विचार किया जाया करेगा।

श्री दाभी : ऋण की शर्तें क्या हैं ?

श्री एम० सी० शाह : अभी तक हमें आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। इस मामले पर वहीं योजना आयोग के उप-सभापति तथा निगम के अधिकारियों में बात चीत हुई है।

श्री बंसल : ये ऋण देने से पूर्व भारत सरकार ने क्या बम्बई राज्य तथा निगम की उनके दायित्व पर लोक ऋण लेने की क्षमता पर विचार कर लिया है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, इस पर विचार किया जा चुका है।

श्री बंसल : क्या सरकार को इस सदन की भावनाओं का पता है कि बम्बई जैसे बड़े राज्यों तथा शहरों को छोटे-छोटे तथा अविकसित क्षेत्रों की तुलना में प्राथमिकता दी जा रही है ?

श्री एम० सी० शाह : नहीं, मेरे माननीय मित्र का निष्कर्ष सही नहीं है, कदाचित उन्हें ज्ञात होगा कि पंचवर्षीय योजना-में इस आयोग के लिये १५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, और उस १५ करोड़ रुपये की राशि में से यह ऋण दे दिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आर्थिक उन्नति

१११२. सेठ गोविन्द दास : क्या राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्न लिखित राज्यों की आर्थिक उन्नति के लिये सन् १९५० से जून १९५३ तक भारत सरकार से कुल कितनी सहायता दी गयी: (१) राजस्थान, (२) हैदराबाद, (३) काश्मीर, (४) त्रावनकोर-कोचीन, तथा (५) मध्य भारत ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : एक विवरण मांगी गई सूचना सहित शीघ्र ही सदन पटल पर रखा जायगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि इन राज्यों के बनिस्बत अन्य राज्यों को अधिक सहायता दी जा रही है ?

डा० काटजू : दी जा रही है, लेकिन कितनी दी जा रही है यह जब तक स्टेटमेंट तैयार नहीं होगा मेरे लिये बतलाना नामुमकिन है।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह राज्य समय समय पर कोई रिपोर्ट भेजते हैं कि जो सहायतायें उनको केन्द्र से मिलती हैं उसको किस प्रकार से खर्च करते हैं ?

डा० काटजू : जी हां, रिपोर्ट तो भेजा करते हैं ।

श्री पुन्नूस : ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर, क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय मंत्री कुछ समय बाद सदन पटल पर विवरण रखने के लिये क्यों कहते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह अभी तैयार नहीं है ।

श्री पुन्नूस : प्रश्न बहुत पहिले ही रखा जा चुका था अतः और समय लेने की क्या आवश्यकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या विवरण तैयार करने के लिये इतना समय पर्याप्त न था ।

डा० काटजू : कदाचित ऐसा ही हो । मुझे उन लोगों को लिखना पड़ेगा और उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं जान सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार के सम्मुख ऐसी सहायता स्वीकार करने के समय प्रमुख प्रभावपूर्ण दृष्टिकोण क्या थे ? क्या खाद्यान्नों आदि की अत्यधिक कमी आदि प्रमुख दृष्टिकोण नहीं थे ?

डा० काटजू : इन ऋणों तथा अनुदानों को देते समय बहुत सी बातों पर विचार करना पड़ता है : उत्पादन, अधिक अन्न उपजाओ योजनाएं, सिंचाई, तथा बिजली आदि । क्या मैं यह सुझाव रख सकता हूं कि जब विवरण तैयार हो जाय तो अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं ? विवरण तैयार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं पूछ सकता हूं

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नों के पूछने से कोई लाभ नहीं है ।

भारतीय वायु-सेना अकादमी संख्या १

*१११३. **श्री राधा रमण :** (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१ में भारतीय वायु सेना अकादमी संख्या १, अम्बाला से सिकन्दराबाद को क्यों हटा दी गई थी ?

(ख) इस पर कितना व्यय हुआ था ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) अनेक प्रकार के गंभीर तथा प्रशासन संबंधी कारणों से ।

(ख) लगभग ६७,००० रु० ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि इस परिवर्तन से व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री त्यागी : मैं समझता हूं कि अन्ततोगत्वा इससे स्थिति अधिक प्रतिकूल हो जायगी, क्योंकि अम्बाला में हवाई अड्डे की पट्टी की पूरी ओवर हालिंग कराने तथा उसको नया कराने की आवश्यकता थी और इस पर बहुत रूपया व्यय होता । यहां बदल कर आने से केवल ६७,००० रु० ही व्यय हुआ है । जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यह निर्णय अनेक प्रकार के कारणों के परिणामस्वरूप करना पड़ा जिसमें स्थिति की गंभीरता भी सम्मिलित है और प्रमुखतः इस विचार से कि प्रशिक्षा प्रतिष्ठापन जहां तक संभव हो सके देश के अन्तर्भाग में रखा जाय जिससे युद्ध के समय भी प्रशिक्षा में बाधा न पड़ सके ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार किसी अन्य भारतीय वायु सेना अकादमी को किसी अन्य जगह ले जाने का विचार कर रही है ?

श्री त्यागी : नहीं, श्रीमान् । अभी तो नहीं ।

श्री हेडा : क्या यह बात सही नहीं है कि एकेडेमी के सिकन्द्राबाद ले जाने के बाद भी

सिकन्दराबाद का जो मिलिटरी एरिया है उसमें काफी जगह ऐसी है जो कि खाली पड़ी हुई है ?

श्री त्यागी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

केन्द्रीय सचिवालय पुनर्संगठन तथा दृढ़ीकरण योजना

*१११४. **श्री राधा रमण :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) केन्द्रीय सचिवालय पुनर्संगठन तथा दृढ़ीकरण योजना को कार्यान्वित करने के परिणामस्वरूप होने वाली व्यय में बचत यदि कुछ हुई हो तो; तथा

(ख) योजना के कार्यान्वित किये जाने के बाद से अर्थात् २२ जुलाई, १९५० से अब तक नियुक्त किये गये सहायक सचिवों की संख्या ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) योजना के कार्यान्वित किये जाने के तथ्यपूर्ण वित्तीय प्रभावों का तथा अन्य परिवर्तनों का विशेषकर सचिवालय में कर्मचारियों की संख्या में जो अब तक हुए हैं इनका हिसाब लगाना अव्यावहारिक होगा । कुछ अनुपात में उन पदों पर जिन पर पहिले सुपरिन्टेंडेन्ट कार्य करते थे अब सहायक सुपरिन्टेन्डेंटों को स्थानापन्न करने से कुछ हुई है । दूसरी ओर कुछ सहायक सचिवों को अवर-सचिवों के स्थान पर तथा सहायक इंचार्जों को सहायक सुपरिन्टेन्डेन्टों के स्थान पर पदोन्नति करने से कुछ अतिरिक्त व्यय भी हुआ है ।

(ख) अस्सी । इन में से अब तक तिरेसठ अवर-सचिवों के पद पर नियुक्ति के लिये अनुमोदित किये जा चुके हैं और २२ जुलाई १९५३ से उनकी उस पद पर नियुक्ति की जा रही है ।

श्री राधा रमण : क्या मैं जान सकता हूं कि योजना के कुछ आवश्यक पहलू अभी कार्यान्वित करने को शेष हैं ?

श्री दातार : कुछ भाग अवश्य ही रह गये हैं और पूरी योजना कुछ महीनों में जाकर कार्यान्वित की जा सकेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस पर कोई विचार नहीं किया कि एक ओर की बचत दूसरी ओर अन्य कहीं पर होने वाले वास्तविक व्यय से पूरे हो जाने से अधिक है या नहीं ?

श्री दातार : सरकार ने इस सब पर विचार किया है । बचत के साथ ही प्रशासन की कार्य-कुशलता भी एक महत्वपूर्ण विचार था ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं जान सकता हूं कि विभिन्न मंत्रालयों की सेवाओं से संबंधित कार्यों की जांच तथा पर्याप्तता या इसके विपरीत दशा का अवलोकन करने का कार्य किसको सौंपा गया है ?

श्री दातार : वर्तमान में गृह-मंत्रालय ही इसकी देख-रेख करता है । सरकार एक विशेष विभाग की, जो संगठन विभाग के नाम से पुकारा जाता है, स्थापना करने जा रही है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ पद-वृद्धियां बेतरतीब हुई हैं और निम्न पदों से उन व्यक्तियों को अवर सचिवों, सहायक सचिवों, सुपरिन्टेन्डेंटों आदि के पदों पर नियुक्त किया गया है, और यदि ऐसा है, तो इन बेतरतीब पद-वृद्धियों के क्या कारण हैं ?

श्री दातार : केवल कुछ ही बेतरतीब पद-वृद्धियां हुई हैं । किंतु जहां तक उनका संबंध है, वे लगभग स्थानीय हैं तथा विशेष विचारों पर निर्भर करती हैं ।

श्री टी० एन० सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि यह तथ्य है कि सचिवों, सहकारी सचिवों तथा अतिरिक्त सचिवों की संख्या जो तीन वर्ष पूर्व थी अब उससे अधिक हो गई है ?

श्री दातार: हां कुछ हद तक क्योंकि कार्य बढ़ने के साथ ही उनकी संख्या भी बढ़नी चाहिये थी ।

श्री एम० एम० लिंगम: क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार एप्पलेबाई प्रतिवेदन तथा योजना आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर गोपालस्वामी आयंगर की सिफारिशों की पुनर्जांच कर रही है ?

श्री दातार: इन सभी पर विचार हो रहा है ।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं कि इस योजना का कुछ संबंध नायर-सुन्दरम्-मेनन समिति से भी है ?

श्री दातार: मुझे पता नहीं ।

श्री सारगधर दास: क्या मैं १९४७ में तथा अब के सचिवों, उप-सचिवों, तथा अपर सचिवों की संख्या जान सकता हूं ?

श्री दातार: मैं पूर्व सूचना चाहूंगा । संख्या में काफी वृद्धि हुई है ।

श्री राधेलाल व्यास: क्या मैं जान सकता हूं कि सचिवों की संख्या में वृद्धि का कारण क्लर्कों द्वारा अकुशलतापूर्ण कार्य किया जाना है ?

श्री दातार: यह कहना बिल्कुल ही ग़लत है । यह तो केवल कार्य वृद्धि के कारण है ।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री द्विवेदी, अगला प्रश्न ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या इस अधिकतम व्यय को कम करने की कुछ संभावना है ?

स्त्रियों और बच्चों के लिये कल्याणकारी योजनायें

***१११५. श्री एम० एल० द्विवेदी:** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) स्त्रियों और बालकों की कल्याण योजनाओं की सहायता करने के लिये योजना आयोग द्वारा रखे गये चार करोड़ रूपये कहां तक और कैसे खर्च किए गए हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा चलाई जाने वाली योजनायें बनाई जा चुकी हैं ; तथा

(ग) योजना आयोग अथवा और किसी दूसरी संस्था के समाज सेवा विभाग द्वारा अब तक कितना कार्य किया जा चुका है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) तथा (ख) । गवर्नमैंट ने इस काम के लिये एक बोर्ड बना दिया है । थोड़े दिन हुए इस ने काम शुरू किया । यह स्कीम सिर्फ औरतों और बच्चों के लिये ही नहीं है । सोशल वैलफेयर के दूसरे मैदान भी इस के सामने हैं । बोर्ड की अभी सिर्फ एक ही मीटिंग हुई है जिस में इस ने अपने काम का प्लान बनाया है । और जो एजंसियां सोशल वैलफैयर का काम कर रही हैं, इन से दरखास्तें मंगवाई हैं ।

(ग) एक स्टेटमैंट टेबल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४४]** जनाब की इजाज़त से मैं यह भी बतलाऊं कि अभी कुछ दिन हुए एक सवाल के जवाब में तमाम तफसीलात बतला दी गई हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: मैं समझता हूं कि मण्डल ने उन के मार्ग दर्शन के लिए कुछ नियम बनाए हैं । क्या माननीय मंत्री सदन पटल पर उन को रखने की कृपा करेंगे ?

मौलाना आज़ाद : रूल्ज़ बोर्ड बना रहा है । फिर इन पर ऐजूकेशन और फाइनैंस मिनिस्टरी ग़ौर करेगी । इस के बाद वे माने जाएंगे । अगर आनरेबल मैम्बर चाहते हैं तो मंजूरी के बाद वह हाऊस के टेबल पर रख दिये जा सकते हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : कुछ नियम समाचार पत्रों में छपे थे । यदि उन की मंजूरी नहीं हुई थी तो वे पत्रों में कैसे छप सकते थे ? जब वे छप चुके हैं तो वे सदन पटल पर अच्छी तरह से रखे जा सकते हैं ।

मौलाना आज़ाद : मुझे नहीं मालूम आनरेबल मैम्बर किन रूल्ज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं । हो सकता है कि कुछ इबतदाई बातें जो पहली मीटिंग में की गई हैं, वह रिपोर्ट में आ गई हों । जहां तक मुझे मालूम है रूल बनाए जा रहे हैं और वह मिनिस्ट्री के सामने आएंगे । मिनिस्ट्री जब उन को मान लेगी, तब वह तैयार समझे जायेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या मैं यह जान सकती हूं कि इस समाज-कल्याण मण्डल द्वारा स्त्रियों और बालकों के लिये कौन सी विशेष कल्याणकारी योजनाओं पर विचार किया जा चुका है ?

मौलाना आज़ाद : अभी इस की तफसीलात नहीं बतलाई जा सकती हैं । बोर्ड इनका नक्शा बनाएगा कि खास तौर पर बच्चों के वैलफेयर के लिये और औरतों के वैलफेयर के लिये और ऐसे लोगों के लिये जो अपाहज हैं, मजबूर हैं, काम किया जायगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या भारत सरकार ने बालकों की शिक्षा के लिये एक भारतीय राष्ट्रीय समिति का निर्माण किया है, यदि यह बात ठीक है, तो उस समिति के कितने सदस्य हैं, और उन्हों ने अब तक क्या कार्य किया है ?

मौलाना आज़ाद : इस रिपोर्ट से इस का कोई ताल्लुक नहीं है । मैं अभी इस का जवाब नहीं दे सकता ।

श्री थानू पिल्ले : क्या मैं जान सकता हूं कि बोर्ड की सदस्यता के लिये क्या अर्हतायें हैं और उस बोर्ड के कौन २ सदस्य हैं ?

मौलाना आज़ाद : मैं मैम्बरों की लिस्ट को सुना दे सकता हूं । लेकिन कुआलिफिकेशन का फैसला आनरेबल मैम्बर खुद कर लें ।

श्री थानू पिल्ले : क्या इस का अनुवाद हो सकता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री नाम बतलाने के लिये तैयार हैं, और माननीय सदस्य स्वयं उन की अर्हताओं का पता लगा सकते हैं ।

श्री थानू पिल्ले : मेरा प्रश्न यह है कि क्या सदस्यता के साथ कुछ अर्हताओं का होना आवश्यक है ? मैं यह नहीं पूछना चाहता कि उन की अर्हताएं क्या हैं ?

मौलाना आज़ाद : जी, नहीं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि देश में समाज कल्याण का कार्य करने वाले कितने संगठन हैं और उन में से कितने संगठनों को सरकार ने समाज कल्याण की योजनाओं को चलाने के लिए अधिकरण के रूप में स्वीकार किया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : बोर्ड यह काम इसके बाद करेगा यह बात माननीय मंत्री ने बतलाई है ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं ऐसा समझ सकती हूं कि अब तक समाज कल्याण संस्थाओं को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी गई है और यह कि अब तक कोई काम भी शुरू नहीं किया गया है ?

मौलाना आज़ाद : जहां तक मुझे मालूम है अभी तक किसी खास एजंसी को मदद नहीं दी गई है । अभी इबतदाई काम हो रहा है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह अधिकरण कौन सा है, जिस के द्वारा विभिन्न राज्य इस समाज कल्याण कार्य को करेंगे ? और क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या अब यह समाज कल्याण मण्डल सीधे बात चीत कर सकता है ?

मौलाना आज़ाद : यह बोर्ड इस लिये बनाया गया है कि मुल्क में जो प्राइवेट एजंसियां मौजूद हैं और काम कर रही हैं, इन के जरिये काम किया जाय और इन्हें मदद दी जाए । बोर्ड को पूरा इखतियार है कि इस बारे में डायरेक्ट कम्यूनिकेशन करे और वह कर रहा है ।

हेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि आधूनिक शिक्षा विशेषज्ञों की यह राय है कि यथार्थ में बच्चों की शिक्षा तीन और छः वर्षों के समय के बीच में ही खत्म हो जाती है और क्या यह बोर्ड इस बात पर भी कुछ विचार करेगा कि तीन और छः वर्षों के बीच के बच्चों की शिक्षा इस देश में किस प्रकार दी जाय ?

मौलाना आज़ाद : हां, बोर्ड इस पर भी ग़ौर करेगा ।

बाबू रामनारायण सिंह : अभी मंत्री महोदय से जब पूछा गया कि बोर्ड के सदस्यों की योग्यता क्या है तो इस पर उन्हों ने जवाब दिया कि योग्यता के बारे में मैम्बर खुद फैसला करेंगे । तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि बोर्ड के सदस्यों को बहाल करना है मंत्री महोदय ने तो मैम्बर कैसे फैसला करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, फैसला नहीं कर सकते हैं । माननीय मंत्री ने बतलाया कि इन सदस्यों के बारे में कोई अर्हताएं नहीं रखी गयी हैं, और न ही उन से विशेष अर्हताओं की अपेक्षा की जाती है । इस के लिये कोई निश्चित नियम नहीं बनाए गये हैं ।

श्री केलप्पन : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन चार करोड़ रूपयों में से कुछ रक़म खर्च की जा चुकी है ?

मौलाना आज़ाद : नहीं ।

श्री बूबराघसामी : कितने समाज सेवा विभाग अथवा संस्थाएं स्थापित की गई हैं और देश में जहां कहीं वे स्थापित किये गये हैं उन स्थानों के क्या नाम हैं ?

मौलाना आज़ाद : यह मैं नहीं बतला सकता । बोर्ड नए इन्स्टीट्यूशन काइम करने के लिये नहीं बना है । जो प्राइवेट एजंसियां काम कर रही हैं, उन्हें मदद देने के लिये बना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : गैर सरकारी संस्थाओं से लाभ उठाया जायगा, और उन के द्वारा यह काम किया जायगा ।

श्री केलप्पन : क्या योजना की अवधि के बीच कुछ रक़म खर्च की जायगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तक कुछ नहीं ।

श्री केलप्पन : आगामी तीन वर्षों में क्या ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उत्तर को पढ़ सकते हैं । इस अवधि के अन्दर इस उद्देश्य से खर्च करने के लिये चार करोड़ रूपये अलग रखे गये हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं ने अभी एक ही सप्लीमैंटरी पूछा था । क्या मैं एक सप्लीमैंटरी और पूछ सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कई अनुपूरकों की अनुमति दे चुका हूं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : पर मेरे लिये कोई नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे इस के लिये खेद है । अब माननीय सदस्य ने दूसरा प्रश्न पूछना है ।

शिक्षा मंत्रियों और उपकुलपतियों का सम्मेलन

*१११६. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** (क) क्या शिक्षा मंत्री ७ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९३२ के उत्तर की ओर निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि १८ और १९ अप्रैल १९५३ को दिल्ली में हुए शिक्षा मंत्रियों और उपकुलपतियों के सम्मेलन के अवसर पर उन्हों ने जो आश्वासन दिलाया था कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रियों और उपकुलपतियों के सम्मेलन की सिफारिशों पर पूर्ण सहानुभूति के साथ विचार करेगी, उस की पूर्ति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगा ?

(ख) क्या सम्मेलन द्वारा सरकार को प्रस्तुत की गई सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) और (ख) । कान्फ्रेंस ने जो सिफारिश की थी गवर्नमेंट ने उस का प्रिंसिपल मंजूर कर लिया है । अब काउंसिल आफ यूनिवर्सिटी एजूकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी की जगह सिर्फ एक एजेंसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के नाम से कायम की जायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि मौजूदा ज़माने में जो तालीम हो रही है उस के जरिये बच्चों को अपने घरू पेशे से हटा कर नौकरी की तलाश में जाना पड़ता है । क्या इस सम्बन्ध में कोई नयी तजवीज़ सरकार रख रही है कि यह सब बन्द हो कर लोग काम करने में लगें, इस तरह की तालीम दी जाय ?

मौलाना आज़ाद : यह तो आप ने तालीम के सिसटम के रिफार्म का सवाल उठाया है । गवर्नमेंट यह चाहती है कि पहले एक एजेंसी कायम हो जाय फिर इसे मौका मिलेगा कि इस पर गौर करे कि कहां तक जरूरी रीफार्म अमल में लाया जा सकता है । जिस खास बात पर आनरेबल मैम्बर ने तवज्जह दिलायी है वह गवर्नमेंट के सामने है और बहुत जल्द इस पर गौर किया जायेगा ।

श्री ए० एम० टामस : माननीय मंत्री ने पिछले अवसरों पर बतलाया था कि प्रस्तावित विधेयक पर विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपत्ति होते हुए भी सरकार उस विधेयक को प्रस्थापित करने पर तत्पर है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह विधेयक कब प्रस्थापित किया जायगा ? क्या आगामी सत्र में इस के प्रस्थापित होने की आशा की जा सकती है ?

मौलाना आज़ाद : बिल तैयार था और गवर्नमेंट चाहती थी कि इस सैशन में पेश करे । लेकिन आनरेबुल मैम्बर को मालूम है कि इस सैशन का वक्त कितना रूका हुआ है, मजबूरन यह फैसला करना पड़ा कि आयंदा सैशन के लिये इसे उठा रखा जाये ।

प्रो० ए० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यूनिवर्सिटी ग्रांटस कमीशन जो है, उस का पुनर्जन्म किया जा रहा है या उस को पुराने ढंग से ही चलाया जा रहा है ?

मौलाना आज़ाद : यह कमीशन तो जभी बनेगा जब बिल पास होगा ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग कब स्थापित होने वाला है ?

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति, मुझे दुःख से कहना पड़ता है कि अगले बैंचों पर बैठने वाले माननीय सदस्य इस प्रकार वार्तालाप कर रहे हैं । मैं न इस ओर से एक शब्द सुन सकता हूं और न दूसरी ओर से, मैं इस प्रकार कार्यवाही को कैसे चला सकूंगा ?

श्री के० के० बसु : उन को वहां से हटा देना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री एन० एम० लिंगम । क्या माननीय सदस्य अपने प्रश्न को दुहरायेंगे ?

श्री एन० एम० लिंगम : प्रस्तावित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कब स्थापित होने की संभावना है ?

मौलाना आजाद : जब बिल हाऊस के सामने आएगा ।

शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम

*१११७. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मंत्रियों तथा उपकुलपतियों के सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिश के अनुकूल विश्व विद्यालयों में तथा माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विद्यार्थियों को शिक्षा कार्यक्रम के अंग के रूप में शारीरिक श्रम तथा समाज सेवा का काम करने में प्रोत्साहन देने के लिये क्या कोई योजना बनाई गई है ?

(ख) यदि बनाई गई है तो इस के कब चालू होने की संभावना है ?

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्तावों में कितनी प्रगति हो चुकी है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) हां, एक ऐसा प्लान तैयार किया गया है कि कालेजों के विद्यार्थी खुद अपनी खुशी से इस में शरीक हों । इसे तैयार करते हुए उन सब की राय मालूम कर ली गयी है जिन का इस मुआमले से सम्बन्ध है ।

(ख) और (ग) । ज्योंही वह तमाम बातें मालूम हो जायेंगी जिन का अभी इन्तजार किया जा रहा है, यह स्कीम शुरू कर दी जायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सिलसिले में अभी तक कितना काम हो चुका है और पूरा काम कब तक ठीक तरह से चालू हो जायेगा ?

मौलाना आजाद : यूनिवर्सिटीज से खतोकिताबत चल रही है, कुछ स्कीमें आयी हैं । कुछ और हैं जिन का इन्तजार है । उम्मीद है कि अब ज्यादा वख्त नहीं लगेगा । जल्द से जल्द हम इस काम को शुरू कर सकेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस बात पर भी माननीय मंत्री जी विचार कर रहे हैं कि विद्यार्थियों को उन की डिग्री ही तब मिलनी चाहिये जब कि वे कोई न कोई सामाजिक कार्य अच्छी तरह से कर सकें ?

मौलाना आजाद : इस बात पर गौर किया गया था, लेकिन मालूम हुआ कि इस तरह की बात अगर जबरी तौर पर की जायेगी तो इस का असर अच्छा नहीं होगा और खुद अपनी खुशी से यह काम किया जाये तो ज्यादा बेहतर है । चुनांचि जो स्कीम बनायी जा रही है, वह इस बुनियाद पर बनायी जा रही है कि जो अपनी खुशी से शरीक होना चाहे वह इस में शामिल हों । जहां तक अन्दाजा किया गया है हमें मालूम हुआ है कि लोग खुशी से शरीक होने के लिये तैयार हैं ।

श्रीमती जयश्री : मैं जान सकती हूं कि क्या उन विद्यार्थियों को खर्च दिया जायेगा, जो इस कार्य को करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन विद्यार्थियों को कुछ दिया जायगा, जिन को शारीरिक श्रम करने के लिये कहा जायगा ?

मौलाना आज़ाद : स्कीम में यह बात नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या भारत सरकार ने विद्यार्थियों के कुछ कैम्प्स ऐसे कामों को प्रोत्साहन देने के लिये खोले थे, और यदि हां, तो कितने इस तरह के कैम्प भारत सरकार की तरफ से खोले गये ?

मौलाना आज़ाद : वह कैम्प इस स्कीम के अन्दर नहीं खोले गये थे, यह स्कीम दूसरी है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अभी तक किन किन यूनिवर्सिटियों से उस के पक्ष में जवाब आ चुके हैं ?

मौलाना आज़ाद : मैं इस वक्त यूनिवर्सिटियों के नाम नहीं बतला सकता ।

श्री चट्टोपाध्याय : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री शारीरिक श्रम सेवाओं का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं ?

बाबू रामनारायण सिंह : हाथ से काम करना तो विद्यार्थियों के लिये उन की मर्जी पर रखा गया है, लेकिन और विद्यार्थी जो पढ़ाये जायेंगे, वह भी उन की मर्जी से पढ़ाये जायेंगे या जबरदस्ती पढ़ना होगा ?

मौलाना आज़ाद : मर्जी से, जिस वक्त वह कालेज में दाखिल हुए तो उन की मर्जी थी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : माननीय मंत्री ने बतलाया कि योजना के प्रारूप को विभिन्न विश्वविद्यालयों में भेजा गया है । मुझे आशा है कि मैं उन्हें ठीक समझ सका हूं । योजना को चालू करने के लिये किस प्रकार प्रोत्साहन देना चाहते हैं ? क्या वह कच्चा माल खरीदने के लिये धन के रूप में कुछ सहायता करना चाहते हैं अथवा विश्वविद्यालयों को अतिरिक्त अनुदान देना चाहते हैं, अथवा उन विश्वविद्यालयों से अनुदानों को वापिस लेना चाहते हैं, जो योजना को प्रोत्साहन नहीं देते ?

श्री के० के० बसु : सब कुछ केवल योजना ही योजना है ।

मौलाना आज़ाद : यह कार्रवाई यूनिवर्सिटियों के ज़रिये होगी । वही इस के लिये ठीक एजंसी हो सकती हैं । लेकिन प्लानिंग कमीशन ने इस के लिये रुपया रखा है ता कि इस काम को आरगेनाइज करने के लिये जो खर्च की ज़रूरत हो वह उस में से दिया जाये ।

श्री वीरस्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूं कि विद्यार्थियों से किस प्रकार का शारीरिक श्रम और समाज सेवा करने की अपेक्षा की जाती है । क्या सड़कों पर झाड़ू लगाना भी उन कामों में से एक काम माना जायगा ?

मौलाना आज़ाद : अब इन तमाम कामों को इस वक्त बयान करना मुश्किल है । मतलब यही है कि ऐसे काम जिन में वह अपने जिसम को लगा सकें, अपने हाथ से मेहनत कर सकें, इस तरह के काम वहां पर उन से कराये जायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

सरकारी कर्मचारियों की शिष्टता

*१११९. **श्री दाभी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान न्यायाधीश वांचू के इस सुझाव की कि अलग आंध्र राज्य बनाने के लिये निषेध को हटा देना चाहिये, आलोचना करने वाले 'सरकारी कर्मचारियों की शिष्टता' नामक शीर्षक वाले पत्र की ओर दिलाया गया है जो ३० मई १९५३ को "हरिजन" में छपा था ?

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार का कोई आदेश दिया है कि एक सरकारी कर्मचारी जनता में कहां तक अपनी राय या उन विचारों को फैला सकता है, जो या तो संविधान के विरुद्ध हों या राज्य की स्वीकृत नीति का विरोध करते हों ?

(ग) यदि हां, तो वे आदेश क्या हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग)। अलग आदेश की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सरकारी-कर्मचारी आचरण नियमावली में इस बात के लिये उचित उपबन्ध रखा गया है।

श्री दाभी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने न्यायाधीश वांचू को सूचित किया है कि नवीन आन्ध्र राज्य पर से निषेध को हटाने की सिफारिश करना उन के लिये उचित नहीं था, क्योंकि निषेध संविधान की धारा ४७ के अनुसार राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में से एक है ?

श्री दातार : सरकार इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करती। सरकार ऐसा नहीं सोचती कि कुछ सिफारिशें करने में कोई गलती की गई है, क्योंकि न्यायाधीश वांचू से भावी राज्य के वित्त सम्बन्धी तथा अनेक मामलों के विषय में उन की राय पूछी गई थी।

श्री दाभी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों के आचरण सम्बन्धी अनुदेशों को सदन पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री दातार : सरकारी कर्मचारी आचरण नियम छप चुके हैं। यदि आवश्यक हो, तो मैं उन की प्रति सदन पटल पर रखूंगा।

श्री ए० एम० टामस : जब किसी सरकारी कर्मचारी अथवा कई कर्मचारियों की एक समिति अथवा आयोग बनाया जाता है, तो क्या उन को इस प्रकार सरकार की नीति के विरुद्ध सिफारिशें करने से रोक दिया जाता है ?

श्री दातार : यह बात उस विशेष प्रश्न पर निर्भर होती है जिस की उन्हें जांच करने के लिये कहा जाता है। और यदि वह मामला संगत है तो उन्हें सिफारिशें करने का अधिकार होता है।

"फेयरी फायरफ्लाई"

*११२०. **श्री जी० एस० सिंह** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार भारतीय वायुसेना के लिए "फेयरी फायरफ्लाई" विमान खरीदना चाहती है ?

(ख) यदि सच है तो इन को किस विशिष्ट प्रयोजन से खरीदा जा रहा है ?

(ग) क्या भारत में ऐसा कोई विमान नहीं है, जो यह काम कर सके ?

(घ) क्या यह सच है कि निर्माता लोग इस प्रकार के विमान का निर्माण बन्द करने का विचार कर रहे हैं।

(ङ) यदि हां, तो खाली पुरजों के विषय में आगे चल कर क्या स्थिति होगी ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हां।

(ख) भारतीय नाविक बेड़े के विमान विध्वंसक तोप-चालन-प्रशिक्षण में लक्ष्य कर्षण के काम के लिए और भारतीय नाविक वायुदल के आकाशवर्ती गोलीवर्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण में उपयोग के लिए।

(ग) नहीं श्रीमान्।

(घ) इस विशेष प्रकार के 'फायरफ्लाई' विमान का उत्पादन बन्द हो गया है, पर साम्राज्य-नौ सेना, और हालैंड, स्वीडन और

डेनमार्क में यह काम में आ रहा है। फायर-फ्लाई के पिछले प्रकार संयुक्त राजतंत्र, आस्ट्रेलिया और हालैंड की नौसेनाओं के प्रथम-पंक्ति दल में काम आ रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन पिछले प्रकार के विमानों का उत्पादन बन्द होने जा रहा है।

(ङ) इस प्रकार के सभी विमानों के सभी भेदों के लिए सर्वसाधारण पुर्जों की प्राप्ति में किसी कठिनाई की पूर्वाशा नहीं है। जहां ऐसी स्थिति नहीं है, उस दशा में प्रारम्भ में ही पर्याप्त सामान खरीद लेने का विचार है, जो विमान के संचालन-काल तक काम आए।

श्री जी० एस० सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय वायु सेना के विशेषज्ञों से आदेश देने के पहले परामर्श किया गया था और उन की सिपारिश क्या थी ?

श्री सतीश चन्द्र : इस विषय में भारतीय वायु सेना के साथ पूरा-पूरा परामर्श किया गया था।

श्री जी० एस० सिंह : उन की सिफारिश क्या थी ?

श्री सतीश चन्द्र : नौसेना ने कुछ विशिष्ट बातें चाही थीं और वायुसेना का विचार था कि विद्यमान विमान इस कार्य के लिए उपयुक्त न थे, जिस की नौसेना द्वारा मांग की जा रही थी जैसे कि लक्ष्य-कर्षण की और इस कारण अब पूरे परामर्श के बाद इन विमानों के लिए आदेश देने का विचार है।

श्री जी० एस० सिंह : क्या यह सच नहीं है कि भारतीय वायु सेना स्थल-सेना के लिए वैसे ही लक्ष्य-कर्षण कार्य किया करती है ? क्या वह नौसेना के लिए भी यह काम नहीं कर सकती थी ?

श्री सतीश चन्द्र : वे "डकोटाओं" और "टैम्पैस्टों" से यह काम करते रहे हैं, पर लक्ष्य की दूरी विमान से साधारणतः १२०० से २००० फीट तक होती है। इस विषय में नौसेना ने निर्दिष्ट किया था कि विमान से लक्ष्य की दूरी ६००० फीट रहे।

श्री जी० एस० सिंह : क्या माननीय मंत्री का कथन या लक्ष्यार्थ यह है कि सेना के विमान-विध्वंसक तोप-वाहक नौसेना वालों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म लक्ष्यवेधी होते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विवाद बढ़ा रहे हैं।

श्री जयपाल सिंह : इस तथ्य की दृष्टि में कि आजकल धरती पर पड़े हुए विमानों को उड़ने योग्य बनाकर सरकार ने इस विशेष खरीद के लिए काफ़ी बचत कर ली होती, सरकार ने अपने "लिबरेटरों" या "वैम्पायरों" का उपयोग करने की चेष्टा क्यों नहीं की है ?

श्री सतीश चन्द्र : "लिबरेटर" विमान इस काम में प्रयुक्त हो सकता था। पर माननीय सदस्य को विदित है कि वह चार इंजिनों वाला भारी विमान है और प्रस्तावित विमान की तुलना में उस की आवर्ती लागत और पोषण-लागत बहुत अधिक पड़ती।

वित्त-वाणिज्य समूह

*११२१. **श्री के० पी० त्रिपाठी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन आई० सी० एस०/आई० ए० एस० पदाधिकारियों को जिन को वित्त वाणिज्य समूह में सम्मिलित नहीं किया गया है, केन्द्र में उन के डेपुटेशन की अवधि समाप्त होने के बाद राज्यों को वापस लोटा देने वाली पुरानी रीति फिर अपना ली है ;

(ख) सचिव, संयुक्त सचिव और उप-सचिव के स्थानों की पदावधि का काल;

(ग) उन स्थानों के नाम और पद, जिन के सामने १ अगस्त, १९५३ को आई० सी० एस० पदाधिकारी सचिवालय में उन्हीं स्थानों पर पांच वर्ष से अधिक आसीन रहे हों; तथा

(घ) प्रिंसिपल, प्रशासनीय सेवा प्रशिक्षण विद्यालय और संस्थापन-अधिकारी के स्थानों की पदावधि क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) सत्ता के हस्तांतरण के बाद उत्पन्न परिस्थितियों में आई० ए० एस०/आई० सी० एस० सम्बन्धी पदावधि प्रणाली को अस्थायी रूप से निलंबित करना पड़ा। अब इसे फिर से चलाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। राज्य संवर्गों की कमी आपातकालीन भरती द्वारा पूरी की जा चुकी है। इस प्रकार भरती हुए पदाधिकारी क्रमशः पर्याप्त अनुभव उपार्जित कर लेंगे और केन्द्र को अधिक पदाधिकारी प्रदान कर सकेंगे। भारतीय असैनिक प्रशासनीय (केन्द्रीय संवर्ग) योजना में, जिसे सरकार मंजूर कर चुकी है, केन्द्र में पुराने वित्त-वाणिज्य समूह के स्थान पर दो समूह बनाने का विचार है। इस योजना के पूर्णतः कार्यान्वित हो जाने पर, जैसी कि शीघ्र ही आशा है, इन स्थानों पर नियुक्त न होने वाले पदाधिकारियों के विषय में पदावधि-प्रणाली को फिर से कठोरतापूर्वक प्रवर्तित करना संभव हो जाएगा। तब तक राज्यों और केन्द्र के बीच पदाधिकारियों का आदान-प्रदान परिस्थितियों के अनुसार नियमित रूप से चलता रहेगा।

(ख) पहले विद्यमान पदावधि-काल निम्नलिखित थे :

सचिव : ५ वर्ष, पर केन्द्रीय सरकार को दूसरे ५ वर्ष के लिए यह अवधि बढ़ाने का विकल्प प्राप्त था।	
संयुक्त सचिव	५ वर्ष।
उपसचिव	४ वर्ष
(ग) सचिव	३
संयुक्त सचिव	३
उपसचिव	१

(घ) (१) प्रिंसिपल भारतीय प्रशासनीय सेवा प्रशिक्षण विद्यालय ३ वर्ष

(२) संस्थापन अधिकारी इस स्थान के लिए कोई पदावधि काल निश्चित नहीं किया गया था।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कितने मामलों में ये काल बढ़ाये गये हैं ?

श्री दातार : थोड़े से मामलों में, और ठीक यही बताया गया है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : कितने ?

श्री दातार : सब मिला कर लगभग १० या ११।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि गोड़-वाला प्रतिवेदन और योजना-आयोग प्रतिवेदन दोनों ने ही यह सिफारिश की थी कि प्रशासनीय प्रशिक्षण विद्यालय के लिए एक पूर्णकालीन प्रिंसिपल होना चाहिए ?

श्री दातार : हां, उन्हों ने यह सिपारिश की है और उन की यह सिपारिश मान ली गई है।

श्री के० पी० त्रिपाठी : कुछ भी सही, इसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया गया है ?

श्री दातार : इसे यथाशीघ्र कार्यान्वित किया जाएगा।

श्री के० पी० त्रिपाठी : यह कब होगा ?

श्री दातार : अगले दो महीनों में ।

श्री ए० एम० टामस : आज कल यह रीति चल रही है कि आई० सी० एस० पदाधिकारियों को मुख्य सचिव का काम करने के लिए भाग ख राज्यों में डेपुटेशन पर भेजा जाये । उन को किन शर्तों पर भेजा जाता है और उन की सेवा की शर्तें क्या होती हैं ?

श्री दातार : उन को डेपुटेशन पर भेजा जाता है और डेपुटेशन के सामान्य नियम उन पर लागू होते हैं ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि वर्तमान प्रिंसिपल के लिए नियमित रूप में प्रशिक्षण विद्यालय को देखने के लिए जाना संभव क्यों नहीं है ?

श्री दातार : मैं प्रश्न का पिछला भाग नहीं समझा ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मुझे पता चला है कि प्रिंसिपल नियमित रूप से विद्यालय को देखने नहीं जाते हैं ।

श्री दातार : प्रिंसिपल विद्यालय को यथावश्यक देखने जाते रहे हैं । फिर भी सरकार एक पूर्णकालीन प्रिंसिपल नियुक्त करने के लिए कार्यवाही कर रही है ।

बेकारी

*११२२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को ३०,००० अध्यापक नियुक्त करने के लिये कुछ धन दे रही है जिस से कि वहां शिक्षितों में बेकारी कुछ कम हो जाये ?

(ख) इस सम्बन्ध में कितना धन खर्च करने की ज़िम्मेदारी उठाई गई है ?

(ग) क्या यह परियोजना स्थायी है अथवा अस्थायी ?

(घ) कुल कितने स्कूल खोले जायेंगे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) से (घ) तक. तालीम पाये हुए लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए एक स्कीम पर गवर्नमेंट सोच विचार कर रही है । इस स्कीम का मतलब यह है कि मुल्क के ८० हजार तालीम पाये हुए आदमियों को १९५३ से १९५५ के अन्दर काम पर लगा दिया जाये, और उन से स्कूल के टीचरों का काम लिया जाये । इस बारे में एक सरकुलर स्टेट गवर्नमेंटों को भेजा गया है । इस की कापी हाऊस की टेबल पर रख दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४५] इस से तमाम जरूरी बातें मालूम हो जायेंगी ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में कहा गया है कि नये स्कूल खोलने पर तथा वर्तमान स्कूलों का विस्तार करने पर धन खर्च किया जायगा । क्या इस धन का कोई भाग उन स्कूलों के पुनःस्थापन पर भी व्यय किया जायगा जोकि आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं अथवा जो धनाभाव के कारण बन्द हो गए हैं ?

मौलाना आज़ाद : हां, ऐसे स्कूल भी इस से खोले जा सकेंगे ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : श्रीमान्, कुछ राज्य सरकारें प्रारम्भिक शिक्षा के बाद लड़कियों को शिक्षा संस्थाओं में शामिल नहीं होने देती हैं; क्या इस धन का कोई भाग ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालय खोलने पर खर्च किया जायगा ?

मौलाना आज़ाद : हां, इस में मर्दों और औरतों में कोई फर्क नहीं किया जायगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस का यह अर्थ है कि इन स्कूलों में सहशिक्षा होगी ?

मौलाना आज़ाद : यह बात हर स्टेट गवर्नमेंट की पालिसी पर मौकूफ़ (निर्भर) है । इस स्कीम का जहां तक ताल्लुक़ है वह इस बारे में कोई खास तरीका अख्तयार नहीं कर सकती ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : राज्य सरकारों को १० सितम्बर तक उत्तर देने के लिये कहा गया है । क्या मैं जान सकती हूं कि कितनी राज्य सरकारों ने इन प्रस्थापनाओं को स्वीकार किया ह ?

मौलाना आज़ाद : मैं अभी इस का जवाब नहीं दे सकता ।

श्री अजित सिंह : क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जैसा उन्हों ने कहा है कि गवर्नमेंट पढ़े लिखे लोगों को रोजगार देने के लिए सोच विचार करेगी, तो जो पहले के पढ़े लिखे लोग हैं जिन को नौकरी से निकाला जा रहा है, क्या उन के लिये भी गवर्नमेंट कुछ सोच विचार करेगी, या उन के ऊपर बेरोजगारी की स्कीम लागू की जायेगी ?

मौलाना आज़ाद : इस वक्त हमारे सामने कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिस को निकाला जा रहा है ।

श्री अजित सिंह : क्या आप को पता है कि अभी अभी पैप्सू सेक्रेटेरियट से और सिविल सपलाई डिपार्टमेंट से ३२६ आदमियों को नौकरी से अलग किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं । मंत्री जी कहते हैं कि उन की दृष्टि में यह बात नहीं आई है कि कुछ लोगों को निकाल दिया गया है ।

श्री अजित सिंह : श्रीमान्, मैं उर्दू ठीक तरह से समझ सकता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को यह सूचना पेश कीजिये ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, कुछ राज्यों में सह-शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है, क्या इस श्रेणी में ग्रामीण क्षेत्र के बालिका-विद्यालय भी आ जायेंगे ?

मौलाना आज़ाद : यह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस रुपये से सिर्फ प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे या मिडल और सैकैन्डरी स्कूल भी खुलने की उम्मीद है ।

मौलाना आज़ाद : यह मुश्किल है कि मैं अभी इस का जवाब दूं । इस स्कीम के सिलसिले में बहुत सी बातें हैं जिन पर सोच विचार हो रहा है, लेकिन एक चीज़ साफ है कि जो स्कूल खोले जायेंगे वह बेसिक स्कूल होंगे, ज्यादातर जूनियर बेसिक स्कूल ।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह जो ८०,००० टीचर रक्खे जायेंगे, उन के लिये ट्रेन्ड होना लाजिमी होगा ?

मौलाना आज़ाद : ख्याल यह है कि ट्रेन्ड करने के लिए ऐसी स्कीम बनाई जायेगी कि जिन लोगों को लिया जाय उन को दो महीने या तीन महीने की ट्रेनिंग दी जाय ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में कहा गया है कि समाज-शिक्षा केन्द्र खोले जायेंगे, इन केन्द्रों की पाठ्यचर्या क्या होगी तथा क्या वह वर्तमान स्कूलों में ही खोले जायेंगे अथवा नये स्कूल खोले जायेंगे ?

मौलाना आज़ाद : यह तमाम सवाल अभी वक्त से पहले हैं । हमारे सामने एडल्ट एजूकेशन की स्कीम भी है जिस को हम सोशल एजूकेशन कहते हैं । जहां जहां ज़रूरत होगी उस के भी स्कूल खोले जायेंगे । जब तक कि स्टेट गवर्नमेंटों से ज़रूरी बातें तय

न हो जायें उस वक्त तक तफ़सीलात का पूरा नक्शा सामने नहीं आ सकता ।

श्री केलप्पन : इस परियोजना के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

मौलाना आज़ाद : अभी ठीक रकम का फैसला नहीं किया गया । इस में बहुत सी बातें सोचने की हैं, लेकिन यह फैसला कर लिया गया है कि कम से कम ८०,००० आदमियों को ले लिया जायेगा । जाहिर है कि उन पर जितने खर्च की ज़रूरत होगी वह खर्च किया जायेगा ।

श्री सी० भट्ट : बम्बई के लिये कितनी राशि मंजूर की गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस का सम्बन्ध बंगाल से है ।

डा० एम० एम० दास : केन्द्रीय सरकार ने इस उद्देश्य के लिये जो धनराशि निश्चित की है, उस में से कितना अध्यापकों के वेतन आदि पर खर्च होगा तथा कितना इमारतों के बनाने तथा सामान आदि पर खर्च होगा ?

मौलाना आज़ाद : दोनों बातें इस में दाखिल हैं । जो ढंग मदद देने का बनाया गया है वह यह है कि तीन वर्ष तक सेंट्रल गवर्नमेंट मदद देगी । पहले वर्ष ७५ फीसदी खर्च सेंटर का होगा और २५ फीसदी स्टेट गवर्नमेंटों का । दूसरे वर्ष ५० फीसदी सेंट्रल गवर्नमेंट और ५० फीसदी स्टेट गवर्नमेंटों को देना होगा । तीसरे वर्ष सेंट्रल २५ फीसदी और ७५ फीसदी स्टेट गवर्नमेंटों का । चौथे वर्ष से तमाम बोझ स्टेट गवर्नमेंटों को उठाना पड़ेगा ।

श्री के० के० बसु : अध्यापकों को दिया जाने वाला औसत वेतन वर्तमान दरों के मुकाबले में क्या कुछ होगा ?

मौलाना आज़ाद : अभी इस का फैसला नहीं किया गया है ।

ब्रिटिश पूंजी का प्रत्यादान

*११२५. **श्री विट्ठल राव** : क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विनियोजित किसी ब्रिटिश पूंजी का १९५२-५३ के दौरान में प्रत्यादान हुआ है ; तथा

(ख) यदि हुआ है तो कितनी पूंजी का ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री वी० आर० भगत) : (क) तथा (ख). अप्रैल १९५२ से ले कर मार्च १९५३ तक लगभग ३२०.१७ लाख रुपये की ब्रिटिश पूंजी वापस की गई ।

श्री विट्ठल राव : क्या मैं जान सकता हूं कि वापस की गई इस पूंजी का सम्बन्ध किन उद्योगों से है ?

श्री बी० आर० भगत : मुख्यतया इस का सम्बन्ध बागानों तथा खानों से है ।

श्री विट्ठल राव : क्या उल्लिखित वर्षों में कोई ब्रिटिश पूंजी यहां विनियोजित भी हुई है ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां । यद्यपि ठीक ठीक सूचना उपलब्ध नहीं, फिर भी १९५२-५३ में ब्रिटेन से यहां जो धन विनियोजन के लिए आया है वह ४९·४६ लाख है ।

श्री के० के० बसु : क्या बागानों से सम्बन्धित आंकड़े अलग रूप से दिये जा सकते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, सामान्यतः उन उद्योगों के नाम नहीं दिए जाते हैं जिन में कि पूंजी का प्रत्यादान होता है ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

उत्तर प्रदेश में बाढ़

श्री एस० एल० अग्रवाल : (क) क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि तोंस नदी का पानी

उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ नगर में खतरे की सीमा से दस फुट ऊंचा बह रहा है तथा पानी का स्तर अभी भी डेढ़ इंच प्रति घंटे के हिसाब से ऊपर चढ़ता जा रहा है और वहां पानी सिविल लाइन्ज़ में दाखिल हुआ है जिस के परिणामस्वरूप अधिकारियों के बंगले, अदालतें तथा सदर डाकखाना आदि जलमग्न हो रहे हैं ?

(ख) उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में इस अभूतपूर्व तथा विनाशकारी बाढ़ आने का क्या कारण है तथा इस का बुरा प्रभाव किस ज़िले पर सब से अधिक पड़ा है ?

(ग) इस तबाही के कारण कितनी धन, जन की क्षति हुई है ?

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई सहायता दी है जिस से कि वह बाढ़ से पीड़ित व्यक्तियों की मुसीबतों का निवारण कर सकें ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) आज़मगढ़ में तोंस नदी की कोई खतरे की सीमा निश्चित नहीं है; परन्तु चूंकि नदी का जल नगर में दाखिल हुआ है, इसलिये यह माना जा सकता है कि इ ने खतरे की सीमा पार की है । फिर भी जल-स्तर उस सीमा से आठ फुट नीचे रहा है जहां तक कि १९३८ की बाढ़ का पानी पहुंच गया था । अब की बार जल-स्तर एक से ले कर डेढ़ इंच तक प्रति घंटा ऊपर बढ़ता गया परन्तु यह चढ़ाव नियमित नहीं रहा । पानी सिविल लाइन्ज़ में दाखिल हुआ जिस से कि कुछ अधिकारियों के बंगलों में भी पानी आ गया । २ सितम्बर १९५३ से बाढ़ का पानी उतरने लगा है, यद्यपि उतार की गति सुस्त है ।

इस बाढ़ के मुख्य कारण यह हैं :—

(१) हिमालय के पूर्वी हिस्सों में तथा उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्रों में अधिक वर्षा हुई है ।

(२) उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में नदियों के बहाव की लम्बाई कम है तथा इन का ढाल अधिक है जिस के परिणामस्वरूप उन का मार्ग अस्थिर है ।

जिन ज़िलों में प्रति वर्ष बाढ़ आने की आशंका रहती है उन की संख्या १३ है तथा इन के नाम यह हैं : इलाहाबाद, बस्ती, बनारस, बल्लिया, बहरायच, देवरिया, फैज़ाबाद, गोंडा, गोरखपुर, गाज़ीपुर, हमीरपुर, सीतापुर तथा फर्रुखाबाद ।

सारे उत्तर प्रदेश में बाढ़ के कारण तथा बाढ़ से मकानों के गिरने के कारण ३० व्यक्तियों के मरने का अनुमान लगाया जाता है। कुछ पशु भी बह गए हैं। ठीक ठीक आंकड़ उपलब्ध नहीं हैं ।

इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि सम्पत्ति तथा फसलों को कुल कितना नुक्सान हुआ है ।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास सहायता के लिये कोई प्रार्थना नहीं आई है ।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या कोई पुल और बांध भी बह गये हैं ?

श्री दातार : कहीं कहीं उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि सिर्फ इलाहाबाद में ही तीन हज़ार के करीब मकान बाढ़ में ध्वस्त हो गये हैं ?

श्री दातार : इलाहाबाद में भी खतरा उत्पन्न हुआ था ; वहां भी तूफान आया था । और बहुत से मकान गिर गये थे। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि क्या वाकई इतने मकान गिरे जितने कि माननीय सदस्य ने बतलाये ?

श्री रघुनाथ सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि आजमगढ़ में पांच हज़ार हाउसज़ बाढ़ में बह गये और उनके साथ

साथ अलगू राय जी का भी सारा मकान बह गया ?

श्री दातार : हमें यह खबर नहीं मिली है।

श्री विश्वनाथ राय : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि उन जिलों के बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों की क्रय शक्ति क्षीण हो चुकी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने इस प्रश्न को इसी आधार पर स्वीकार किया है कि बाढ़ से बहुत हानि हुई है और हो सकता है कि राज्य सरकार वित्ताभाव आदि के कारण इस समस्या को स्वयं न सुलझा सके। अतएव अनुपूरक प्रश्न केवल इन्हीं बातों तक सीमित रहने चाहिये कि केन्द्र से क्या सहायता देने के लिये कहा गया है, क्या सहायता दी गई है और क्या सहायता आगे दी जायेगी। यह एक अल्प सूचना प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में भी विधान सभा मौजूद है। वहां भी सदस्य ऐसे प्रश्न पूछने को उत्सुक होंगे। अतएव हमें तो केवल केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस संकट की ओर आकर्षित करना है। इसके अलावा और किसी विस्तार में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः माननीय सदस्यों को चाहिये कि अपने प्रश्नों को वे केवल इस बात तक सीमित रखें कि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या पग उठाया है या उठाने वाली है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि आजमगढ़ और देवरिया में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के वास्ते यू० पी० गवर्नमेंट ने कितने रुपये की सहायता स्वीकार की है ?

श्री दातार : जहां तक जिलों को सहायता देने का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सरकार पहले ही इनमें से प्रत्येक जिले को ५०,००० रुपये आबंटित कर चुकी है ; और वह सब प्रकार की सहायता के लिये और धन देने को भी यदि वह मांगा जाये, तैयार है।

श्री आर० एन० सिंह : क्या सरकार को मालूम है कि सिर्फ बलिया जिले में आठ आदमियों की लाशें बहती हुई मिली हैं। जिनमें एक डाकिया भी बह रहा था जो बच गया परन्तु उसका थैला बह गया ?

श्री दातार : हम राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करेंगे।

श्री सिंहासन सिंह : केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को क्या सहायता दे रही है ताकि वह इन जिलों में बाढ़ों की पुनरावृत्ति रोक सके ?

श्री दातार : राज्य सरकार ने तो कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, वह जो सहायता मांगी जायेगी, देगी।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार ने राज्य सरकार को सहायता देने के निमित्त कुछ धनराशि अलग रखने के लिये कोई पग उठाया है ?

श्री दातार : हमें राज्य सरकार से सहायता की कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

श्री एम० एल० अग्रवाल : क्या इन बाढ़ों की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये केन्द्र ने कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की है ?

श्री दातार : यह मामला भी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आता है। इस पर विचार किया जा रहा है।

शनों के लिखित उत्तर

बिहार में यूरेनियम के निक्षेप

*११०६. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बिहार के खनिज क्षेत्रों में

पूरेनियम के विशाल निक्षेप खोज निकाले गए हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : बिहार के एक ज़िले में यूरेनियम के निक्षेप मिले हैं और उनका अन्वेषण हो रहा है ।

पाकिस्तान को फिल्मों का निर्यात

*१११८. **श्री ए० एन० विद्यालंकार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) पाकिस्तान को निर्यात होने वाले चल-चित्रों के भुगतान भारत में किस रूप में प्राप्त हुए थे ; तथा

(ख) क्या वे सौदे सरकारी आज्ञा के अधीन और भारत के विदेशी विनिमय विनियमनों के अधीन किए गए थे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) तथा (ख). २७ फरवरी, १९५१ तक पाकिस्तान के साथ होने वाले सौदों के ऊपर कोई विनिमय-नियंत्रण न था । सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि उक्त तिथि से पहले पाकिस्तान को निर्यातित भारतीय फिल्मों के भुगतान किस रूप में प्राप्त हुए थे।

इस तिथि के बाद के निर्यात के विषय में अधिकांश मामलों में भुगतान पाकिस्तान से धन-प्रेषण के विहित रूप में प्राप्त हुए हैं। कुछ मामलों में भुगतान स्थानीय रूप में भारतीय रुपयों में किया गया था और भारतीय रक्षित बैंक द्वारा इनकी जांच हो रही है।

नौसेना-डाकयार्ड, बम्बई

*११२३. **डा० अमीन :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस समझौते के पद क्या हैं जिस पर नौसेना-डाकयार्ड, बम्बई के विस्तार के हेतु सर्वश्री अलैग्ज़ैंडर गिब्स और साझीदार के साथ हस्ताक्षर हुए थे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४६]

खान-यंत्रीकरण

*११२४. **डा० अमीन :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि खान-यंत्रीकरण में छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए भारतीय खान विद्यालय में एक यंत्रीकरण केन्द्र खोलने की संभावना पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई विशेषज्ञ समिति ने कुछ प्रतिवेदन प्रेषित किया है ?

(ख) यदि नहीं, तो देर के कारण ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) . समिति की बैठक नहीं हो सकी, क्योंकि इसके वे सदस्य जिन की उपस्थिति समिति के कार्य के लिए अत्यावश्यक थी, विदेश में थे । उन में से एक हाल में वापस आ गया है और दूसरे के, जो कोयला-खनन और खनन-यंत्रों में विशेषज्ञ है और जो अग्रेतर विशेष प्रशिक्षण के लिए विदेश गया हुआ है, नवम्बर, १९५३ में वापस आने की आशा है ।

अंधों की शिक्षा

*११२६. **श्री मुनिस्वामी :** (क) **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत में बीस लाख से अधिक व्यक्ति अंधे हैं ?

(ख) यदि सच नहीं है, तो ठीक संख्या कितनी होगी ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख) । हां, श्रीमान् । भारत में अंधों की संख्या लगभग बीस लाख है ; ठीक संख्या विदित नहीं है ।

अनुसूचित जातियां और आदिम जातियां

*११२७. **श्री बी० एन० कुरील** : **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार ने, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों की दशा में सुधार करने के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों के आयुक्त द्वारा १९५१ की अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के सम्बन्ध में, क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जो कार्यवाही की गई है उसके सम्बन्ध में मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४७]**

त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय

*११२८. **श्री सिंहासन सिंह** : क्या राज्य मत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि त्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय में, जो इन दोनों राज्यों के एकीकरण किये जाने के पश्चात् से एरनाकुलम में स्थापित किया गया है, मुख्य न्यायाधीश को मिला कर कुल कितने न्यायाधीश हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : आठ, श्रीमान् ।

निवृत्ति-वेतन भोगियों को महंगाई भत्ता

*११२९. **श्रीमती मायदेव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार निवृत्ति वेतन भोगियों को महंगाई भत्ता देने का है जिन को मूल वेतन में महंगाई भत्ता मिलने का कोई लाभ नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; तथा

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग) तक । निवृत्ति वेतन के मामले में, महंगाई भत्ते के कुछ भाग को मूल वेतन में मिला दिये जाने का लाभ केवल उन लोगों को होगा जो १५ जुलाई १९५२ को या उसके पश्चात् सेवा से निवृत हुए हैं या होंगे । वे निवृत्ति-वेतन भोगी, जो उस तिथि से पहले निवृत हो चुके हैं, निवृत्ति वेतन में अस्थायी रूप से की गई उस तदर्थ वृद्धि का लाभ उठाते रहेंगे जो १०० रुपये या समायोजन के पश्चात् १०६ रुपये तक या उससे कम राशि के निवृत्ति-वेतन पाने वालों को मिलती है । सरकार को खेद है कि वर्तमान वित्तीय स्थिति में बाद वाले निवृत्ति वेतन भोगियों को और कोई सहायता देना सम्भव नहीं है ।

मूंगे की चट्टानें

*११३०. **श्री मुनिस्वामी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा हाल ही में मन्नार खाड़ी में की गई जांच पड़ताल के फलस्वरूप यह पता लगा है कि उन क्षेत्रों में मूंगे की चट्टाने अधिक संख्या में उपलब्ध हो सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन से पूरा पूरा लाभ उठाने के सम्बन्ध में पर्याप्त कार्यवाही की है ; तथा

(ग) क्या यह सत्य है कि इन मूंगे की चट्टानों से छोटे पैमाने पर रंग उड़ाने का पाउडर तथा कास्टिक सोडा बनाया जा सकता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) भारतीय भूतत्वीय परिमाप द्वारा की गई जांच पड़ताल का परिणाम मद्रास सरकार को भेज दिया गया है क्योंकि खनिज पदार्थों से लाभ उठाने की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकार पर है ।

(ग) पता लगा है कि मूंगे की चट्टानों में ९६ प्रतिशत से भी अधिक कैलशियम कारबोनेट है तथा हो सकता है कि उसका प्रयोग रंग उड़ाने के पाउडर, कास्टिक सोडा, आदि, जैसे रासायनिकों के बनाने में किया जाये ।

कुरन्द तथा जिप्सम की खानें

*११३१. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में कुरन्द तथा जिप्सम की कुल कितनी खानें हैं एवं वे किन् किन राज्यों में हैं ; तथा

(ख) उन खानों में प्रति वर्ष कुल कितना माल निकलता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख)। अपेक्षित सूचना का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४८]**

हैदराबाद में प्राचीन स्मारक

*११३२. **श्री तेलकीकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों व राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों की देख भाल के सम्बन्ध में ारत सरकार तथा हैदराबाद सरकार के बीच एजेन्सी प्रबन्ध की शर्तें क्या हैं ;

(ख) क्या हैदराबाद सरकार ने उक्त स्मारकों आदि की देखभाल भारत सरकार के सम्बद्ध विभाग के सीधे नियंत्रण में कर दी है ;

(ग) यदि हां, तो किस तारीख से ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) उस समय तक के लिये जब तक कि स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों के सम्बन्ध में निश्चय नहीं हो जाता तथा भारत सरकार काम अपने हाथ में नहीं ले लेती है तब तक राज्य सरकार स्मारकों की देखभाल करती रहेगी। स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों तथा उनकी देखभाल करने वाले कर्मचारियों पर राज्य सरकार द्वारा किया जाने वाला व्यय भारत सरकार सहन करेगी ।

(ख) जी हां ।

(ग) १ जुलाई, १९५३ से ।

ज्वाइंट स्टाक कम्पनियां

५८६. **श्री तुलसी दास** : क्या **वित्त** मंत्री १५ अगस्त, १९४७ से ३१ मार्च, १९५३ तक की अवधि के बीच की निम्न-लिखित सूचना बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) पूंजी निर्गम करने के लिये जिन ज्वाइंट स्टाक कंम्पनियों ने प्रार्थना पत्र दिये थे उनमें से प्रत्येक ने उद्योगवार वास्तव में, कितनी पूंजी निर्गमित की तथा प्रार्थित हुई ;

(ख) पूंजी निर्गम करने के लिये जिन पूर्णतया विदेशी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों ने प्रार्थना पत्र दिये थे उनमें से प्रत्येक ने उद्योगवार वास्तव में, कितनी पूंजी निर्गमित की तथा प्रार्थित हुई ; तथा

(ग) पूंजी निर्गम करने के लिये जिन ऐसी ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों ने प्रार्थना पत्र दिये थे, जिनमें भारतीय और विदेशी पूंजी लगी हुई है, उनमें से प्रत्येक ने उद्योगवार, वास्तव में, कितनी पूंजी निर्गमित की तथा प्रार्थित हुई ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह) (क) तथा (ख)। पूंजी निर्गम नियंत्रक द्वारा दी गई अनुमति के फलस्वरूप वास्तव में, कितनी पूंजी निर्गमित की गई तथा प्रार्थित हुई, इसके सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

सदन पटल पर एक विवरन रखा जाता है जिसमें (ग) १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९५३ की अवधि के बीच मंजूर की गई वह कुल पूंजी बताई गई है जो कि उन कम्पनियों द्वारा निर्गमित की जानी है जिनमें भारतीय और विदेशी पूंजी लगी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४९]** सरकार अलग अलग फर्मों के नाम बतलाना उचित नहीं समझती क्यों कि यह सूचना गोपनीय समझी जाती है।

भर्ती संगठन

५८७. डा० अमीन : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भर्ती सगंठन में पुनर्संगठन करने के फलस्वरूप प्रतिवर्ष कुल कितनी राशि की बचत होगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : लगभग १,८०,००० रुपये प्रति वर्ष ।

भोपाल सेना का विघटन

५८८. पंडित सी० एन० मालवीय : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भोपाल राज्य के एकीकरण के पश्चात भोपाल सेना का विघटन कब किया गया था ?

(ख) विघटन के समय अधिकारियों तथा सैनिकों की संख्या क्या थी ?

(ग) उन में से कितने सैनिकों तथा अधिकारियों ने पाकिस्तान जाना पसन्द किया था ?

(घ) उन में से कितने भारतीय सेना में रख लिये गये थे ?

(ङ) उन में से कितने पुलिस में रख लिये गये थे ?

(च) उन में से कितने व्यक्तियों को उत्पदान तथा अन्य हर्जाना दिया गया था ?

(छ) केन्द्रीय सरकार के पास अब भी कितने मामले पड़े हुए हैं ?

(ज) ऐसे व्यक्तियों को क्या सुविधा दी गई हैं जो न तो सरकारी सेवा में लिये गये हैं न ही उन्हें कोई उत्पादन या किसी अन्य प्रकार का हर्जाना दिया गया है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) ३१ जनवरी, १९५१.

(ख) १३ अधिकारी तथा ८३८ जे० सी० ओ० तथा अदर रैन्क्स ।

(ग) क्यों कि राज्य सेना के सैनिकों को इस बात का विकल्प नहीं दिया गया था कि वे पाकिस्तान जाना पसन्द करेंगे अथवा नहीं, इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उठा ।

(घ) १७ ।

(ङ) भोपाल राज्य पुलिस में ६१ व्यक्तियों तथा भोपाल सशस्त्र पुलिस में १०२ व्यक्पियों को रख लिया गया था ।

(च) २६४ ।

(छ) ४० ।

(ज) उन्हें व्यावसायिक । टेकनिकल प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गई थीं ।

केन्द्रीय आदर्श ग्राम विश्वविद्यालय

५८९. श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक केन्द्रीय आदर्श ग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये कोई योजना बनाई गई है जैसा कि शिक्षा मंत्रालय के आयव्ययक अनुदान पर होने वाले वाद विवाद का उत्तर देते समय शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी ; तथा

(ख) उस विश्वविद्यालय के किस समय तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : (क) तथा (ख) । ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है । केन्द्रीय आदर्श ग्राम विश्वविद्यालय की

स्थापना करने की योजना अभी तक नहीं बनाई गई है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम

५९०. **श्री दाभी।** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत, इसमें १९५२ में संशोधन कर दिये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे चलाये गये हैं ;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम तथा पद क्या हैं ; तथा

(ग) इन मुकदमों का क्या परिणाम हुआ ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) ११०. (३० जून १९५३ तक)

(ख) तथा (ग)। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५०]**।

हवाई जहाज़ के इंजन की फैक्टरी

५९१. **श्री राधा रमण** : (क) **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार का भारत में हवाई जहाज़ क इंजन बनाने की फैक्टरी स्थापित करने का विचार है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो वह प्रस्ताव किस अवस्था पर है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार ने सिद्धान्त रूप में उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और वित्तीय प्रश्नों तथा अन्य मामलों की विस्तृत जांच की जा रही है।

स्टोर-कीपर

५९२. **श्री गणपति राम** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून १९५३ से अगस्त १९५३ तक की कालावधि में (१) मुख्य इंजीनियर, पश्चिमी कमान (वैस्टर्न कमान्ड), नई दिल्ली तथा (२) दिल्ली और अम्बाला के सी० डब्लू० ई० द्वारा स्टोर-कीपरों के कितने स्थान भरे गये ;

(ख) इन स्थानों पर अनुसूचित जाति के कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये तथा क्या यह संख्या उतनी ही है जितनी कि १९५० के सेना अनुदेश संख्या १०७ द्वारा निर्गमित सरकारी आदेशों के अन्तर्गत उनके लिये सूरक्षित है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या अनुसूचित जाति के ऐसे अस्थायी असैनिक कर्मचारियों को, जिन्हों ने तीन वर्ष से अधिक नौकरी कर ली है, स्थायी बना दिया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; तथा

(च) क्या इस से पहले कि किसी अनुसूचित जाति के कर्मचारी को अपने स्थान में स्थायी होने का पात्र समझा जाय, यह आवश्यक है कि वह कर्मचारी उस पद के लिये, जिस पर कि उसने निरन्तर तीन वर्ष तक सफलतापूर्वक सेवा की है, विदित वि-भागीय परीक्षा पास करे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) (१) मुख्य इंजीनियर, पश्चिमी कमान.....६

(२) सी० डब्लू० ई०, दिल्ली....१

(३) सी० डब्लू० ई०, अम्बाला ... कोई नहीं

(ख) तथा (ग)। नौकरी दफ्तरों की मार्फ़त अनुसूचित जाति का कोई उपयुक्त

अभ्यर्थी न मिल सका, इसलिय उन पदों पर अन्य लोग रखे गय हैं। हां, इस बात का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित स्थानों को भरने के लिये अन्य सूत्रों से ऐसे उम्मीदवार लिये जायें। सेना अनुदेश संख्या १०७/५० रक्षा सेवा प्राक्कलनों से वेतन पाने वाले असैनिक कर्मचारियों की छटनी अथवा उनकी पूर्व पदों पर वापसी सम्बन्धी अनुदेशों के बारे में है और उसमें इन मामलों में अनुसूचित जाति के सदस्यों को दिये जाने वाले संरक्षणों की ओर निर्देश है।

(घ) तथा (ङ)। प्रश्न नहीं उठते। हां, पश्चिमी कमान में एम. ई. एस. में एक अनुसूचित जाति का अस्थायी असैनिक कर्मचारी है जिसने तीन वर्ष से अधिक सेवा की है और जो अभी तक स्थायी नहीं हुआ है। कारण यह है कि उसने अभी विहित विभागीय परीक्षा पास नहीं की है।

(च) जी हां, क्योंकि, इस मामले में, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम वे ही हैं जो अन्य लोगों के लिये हैं, और इस समय उनके साथ कोई ढिलाई नहीं की जाती।

विभाजन से पहले के भुगतान

५९३. **श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि "क–३४ रक्षा सेवाएं" शीर्ष के अन्तर्गत विभाजन से पहले से भुगतान किये किये जा रहे हैं ?

(ख) ये भुगतान कब तक किये जाते रहेंगे ?

(ग) ये आंकड़े किस आधार पर फैलाये गये हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) (१) ठेकेदारों को (अविभक्त भारत सरकार को दिये गये सामानतया की गई सेवा के लिये);

(२) अधिगृहीत भूमि, कब्जे में की गई इमारतों तथा युद्धक्षत अचल सम्पतियों के स्वामियों को (प्रतिकर); तथा

(३) अविभक्त भारत की सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों को (वेतन, भत्तों तथा निवृत्ति-वेतनों की बकाया के दावों के हिसाब में)।

(ख) उस समय तक जब तक कि सब दावे तय न हो जायें।

(ग) तय हुए दावों के निर्धारित मूल्य के आधार पर।

भारत भूपरिमाप विभाग (कर्मचारी)

५९४. **श्री नम्बियार** : क्या प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) १९४७ से १९५३ तक प्रत्येक वर्ष भारत भू रिमाप विभाग में कितने कर्मचारी आकस्मिक कर्मचारियों के रूप में रखे गये ;

(ख) कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो दो वर्ष से अधिक समय से निरन्तर सेवा में हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि १९४९ में वित्त मंत्रालय ने यह अधिसूचित किया था कि जो आकस्मिक कर्मचारी पांच वर्ष या इससे अधिक समय तक निर्यामित कर्मचारियों के साथ काम कर लें, वे नियमित घोषित कर दिये जायें ;

(घ) यदि हां, तो क्या उक्त विभाग में ऐसा किया गया है ;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; तथा

(च) प्रत्येक वर्ग में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो उपरोक्त श्रणी में आते हैं ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख)। सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५१]

(ग) जी हां ; परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई कालावधि नहीं विहित की गई है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निम्न वर्गों के आकस्मिक कर्मचारी नियमित संस्थापना में स्थानान्तरित कर दिये गये हैं :—

श्रेणी १	४५
श्रेणी २	१४
श्रेणी ३	८
श्रेणी ४	३४
श्रेणी ५	३१
	१३२

संयुक्त अन्तः सेना इतिहास विभाग

५९५. **श्री एस० एस० घोष** : क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) संयुक्त अन्तः सेना इतिहास विभाग में नियुक्त कर्मचारियों की संख्या तथा पद उनके वतन तथा भत्तों के साथ ;

(ख) संस्थापना पर ३१ मार्च, १९५२ तक हुआ व्यय ;

(ग) वर्ष १९५३-५४ में होने वाले व्यय का अनुमान ; तथा

(घ) 'रक्षा बलों का इतिहास' नाम से ज्ञात संयुक्त अन्तः सेना का इतिहास लिखने की पूरी योजना पर कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) सदन पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५२]

(ख) विभाग के बनने के पहले वर्ष में (अर्थात् १९४६-४७ में) किये गये कुल व्यय के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। वर्ष १९४७-४८ से १९५१-५२ तक की कालावधि में लगभग २३ लाख रुपये व्यय हुए।

(ग) २ लाख ८७ हज़ार रुपये। इसमें १ लाख ५४ हजार रुपये की वह राशि भी शामिल है जो द्वितीय विश्व युद्ध के अधिकृत इतिहास के ९ अंकों के मुद्रण पर व्यय हुई।

(घ) इस अवस्था पर ठीक ठीक अनुमान लगाना तो सम्भव नहीं है, परन्तु आशा है कि कुल व्यय करीब ३२ लाख रुपये होगा।

सेना में अनुसूचित जातियों के व्यक्ति

५९६. **श्री वीरस्वामी** : क्या रक्षा मंत्री दिनांक १० अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३१९ के सम्बन्ध में किये गये अनुपूरक प्रश्न की ओर निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सेना में अनुसूचित जातियों के कितने व्यक्तियों को कमीशन दिये गये ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाये गी।

आसाम निर्वाचन अधिकरण

५९७. **श्री अमजद अली** : क्या विधि मंत्री आसाम निर्वाचन अधिकरण की स्थापना तथा अंत तक कार्य निष्पादन पर हुए व्यय की कुल राशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

विधि तथा अल्प संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार २०,७९० रुपये।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
८ सितम्बर, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
On [illegible]
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, ८ सितम्बर १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-२३ म० पू०

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचना देनी है कि मुझे श्री एन० रामय्या की चिट्ठी मिली है जिसमें उन्होंने १० सितम्बर को शुरू होने वाले श्रम तथा उद्योग सम्मेलन में भाग लेने के हेत स्विट्ज़र लैंड जानें के लिए सदन से अनुपस्थिति की अनुमति मांगी है।

क्या सदन की इच्छा है कि उन्हें इस श्रम के अन्त तक सदन से अनुपस्थिति की अनुमति दे दी जाय ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

अनुमति दे दी गई।

सम्पदा शुल्क विधेयक

खंड ३२—(विमुक्तियां)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन सम्पदा शुल्क विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा। कल खंड ३२ पर विचार हो रहा था।

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चित्तौड़) : विमुक्तियों के संबन्ध में इस खंड पर बोलते हुए मैं ने कहा था कि कृषि के लिये जो पशु हों उन्हें विमुक्त किया जाय परन्तु इस में घुड़दौड़ के घोड़े या कृषि के अतिरिक्त किसी प्रयोजन के लिये खरीदे गए घोड़े नहीं आने चाहिये।

भाग (ङ) में दी गई विमुक्ति पहनने के कपड़ों के सम्बन्ध में है जिनमें हीरे आदि सिले हुए न हों। मेरा निवेदन यह है कि जो आभूषण महिलाओं के रोज़ के पहनने के हों, उन्हें विमुक्त कर देना चाहिये जैसे कि व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा ६० में किया गया है।

मैं अपने उन मित्रों से सहमत हूं जो चाहते हैं कि भाग (१) के अधीन दी गई विमुक्ति नहीं रहने दी जानी चाहिये। यह उपखंड ऐसी पैत्रिक चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में है जो बची न जानी हो जैसे तैलचित्र, चित्र, फोटो, पाण्डु-लिपियां इत्यादि। परन्तु इनका मूल्य तो निर्दिष्ट नहीं है। सम्भव है कि ऐसा

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

सभय भी आ जाय जब कि उत्तराधिकारी लोभ में आकर इन वस्तुओं को बेचने पर तुल जायें.....

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सदन में यही हालत रही तो मैं आधे घण्ट के लिये सदन को स्थगित कर दूंगा । मेरे कई बार कहने पर भी माननीय सदस्य आपस में बातें कर रहे हैं । चाहें तो बाहर जा सकते हैं । यदि उन्होंने बातें बन्द न कीं तो मैं उन्हें बाहर जाने के लिये कहूंगा ।

श्री सी० भट्ट (भड़ौच): मेरा विचार यह है कि सदन में इस प्रश्न पर बहुत बहस हो चुकी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सदन के कार्य में इस प्रकार बाधा डालने का कोई अधिकार नहीं । वे या तो बाहर चले जाय और या समापन प्रस्ताव रखें ।

श्री यू० एम० त्रिवेदी : तो मैं यह सुझाव दे रहा था कि भाग (१) के अधीन दी गई विमुक्ति हटा दी जाय । पैत्रिक चल सम्पत्ति क्या है, इस की ठीक परिभाषा प्राप्त नहीं है । कई लोगों के पास इस प्रकार का लाखों रुपये का सामान रहता है । यदि यह विमुक्ति दी जाय तो वे अवसर पड़ने पर ऐसे सामान को बेच कर उस का लाभ उठायेंगे । इसलिए यह खंड हटा दिया जाना चाहिए ।

उपखंड २ द्वारा सरकार के हाथ में ऐसे अधिकार होंगे कि वह जो चाहेगी कर सकेगी, जिसे चाहे विमुक्ति दे सकेगी जब और सारे उपबन्ध विमुक्ति के सम्बन्ध में कर दिये गये हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं । इसलिए मेरा निवेदन यह है कि उपखंड (२) को हटा दिया जाय ।

वित्त मंत्री श्री सी० डी० देशमुख : इस खंड के अधीन बहुत से संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें या तो विभिन्न मदों के सम्बन्ध में अनुमत मूल्य को बढ़ाने का सुझाव दिया गया है और या कुछ भेद विमुक्तियों में जोड़ने या कुछ विमुक्तियां हटाने का सुझाव दिया गया है । यह उन मामलों में से है जिन पर प्रत्येक विमुक्ति को देखते हुए सामान्य रूप से कुछ कहना बड़ा कठिन है । इसमें संदेह नहीं कि इस विषय के पक्ष में तथा विरुद्ध पहुत कुछ कहा जा सकता है परन्तु जैसे कि मैंने पहले कहा सारे मामले पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। दलीलों के बारे में कुछ कहने से पहले में उन उन बातों की चर्चा करूंगा जो मेरे विचार में पिछले वक्ता ने कही थी । उन्होंने कहा था कि सरकार के क्रम कुछ संशोधन नियमानुकूल नहीं, क्योंकि वे कुछ रुढ़ियों के विरुद्ध हैं श्रीमान मेरी धारणा यह है कि जहां तक सरकार का सम्बन्ध है बराबर इस बात का प्रयत्न करना चाहिए कि विधेयक में विशेषकर उस प्रकार के उलझे हुए विधेयक को, यथासम्भव सुधार किया जाय । मेरा विचार है कि किसी रुढ़ि पर चलना ऐसी रुढ़ि कोई हो तो भी, इस सम्बन्ध में अध्य महोदय का कोई निर्णय मेरे सामने नहीं है—आवश्यक नहीं । परन्तु मैं तो कहता हूं कि ऐसी रुढ़ि हो तो भी जनहित इसी में है कि सरकार प्रवर समिति में स्वीकार किए गए संशोधनों के अतिरिक्त और संशोधन भी रखे । कई बार यह बात कुछ माननीय सदस्यों को पसंद होती है और कुछ को नहीं । ऐसे उदाहरण भी हैं जहां मैंने साधारण चर्चा

में दिय गये सुझाव मान लिये हैं और संशोधन करने का सुझाव दिया है । यदि इन संशोधनों पर रोक लगा दी जाय तो मेरे विचार में इस विधेयक पर उचित रीति से विचार करने में बाधा पड़ेगी।

श्रीमान्, जैसा कि मैंने कहा, इस समस्या पर कुछ आधारभूत या संगत बातों को ध्यान में रखते हुए विचार करना होगा । मेरे विचार में ये दो प्रकार की हैं : एक तो यह है कि विधेयक में विमुक्ति की अधिकाधिक सीमा कितनी रखी जाय और दूसरी यह है कि विधेयक में दो गई विभिन्न दूसरी रियायतों के लिए कैसी विमुक्तियां हों जैसा कि सदन को मालूम है प्रस्तुत व्यवस्था के अनुसार विमुक्ति की अधिकाधिक सीमा ७५,००० रुपये रखी गई है। मैं इस के किसी सम्भाव्य संशोधन की बात नहीं कहता यद्यपि मैं पहले ही यह संकेत कर चुका हूं कि दूसरे हिन्दू संयुक्त परिवारों या मिताक्षर के विरुद्ध किए गए भेद से उत्पन्न मामले पर विचार किया जायगा । विमुक्ति की सीमा चाहे कुछ भी हो, इस युक्ति के लिए, हिन्दू संयुक्त परिवारों को छोड़ कर अन्यों के लिए यह सीमा ७५,००० रुपये की मान लेने में सुभीता रहेगा । ब्रिटेन में यह सीमा २७,००० रुपये की है, लंका में २०,००० रुपये और आस्ट्रेलिया में यह सीमा ३०,००० रुपये के बराबर है । यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका में यह सीमा अधिक है परन्तु यह तो मान लिया जायगा कि वहां की परिस्थितियां हमारे देश की परिस्थितियों से इतनी भिन्न हैं कि कोई उचित तुलना नहीं की जा सकती ।

हम ने जो अतिरिक्त विमुक्तियों का उपबन्ध किया है, वे खंड ६ (२) के अधीन ५,००० रुपये तथा खण्ड ३२ के विभिन्न उप-खंडों के अधीन १६,५०० रुपये तक की ह । और फिर अन्य विमुक्तियां भी हैं जैसे पुस्तकें जो बची न जानी हों, घर का सामान कला-कृतियां इत्यादि । इस के अतिरिक्त प्रत्यक आश्रित पुरुष के लिए ५,००० रुपये की विमुक्ति है, बीमे के लिए विमुक्ति है, सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में पेशगी शोधन के लिए ह--यह एक नई विमुक्ति है—जो अधिक से अधिक ५०,००० रुपये तक की हो सकती है । इन विमुक्तियों का फल यह होगा कि कुल भूल के सम्बन्ध में ली जा सकने वाली छोटी सी राशि को छोड़ कर. जिस पर हम खण्ड ३३ में विचार करेंगे, देय शुल्क से १ और डेढ़ लाख रुपये के बीच के मूल्य की सम्पत्ति छूट जायगी । सच तो यह है कि ये ऐसी राशियां हैं जो बिना ऐसी असुविधा के दी जा सकती ह और मेरा विचार है कि इस के अतिरिक्त एक और खंड है--संख्या ६८--जिस में हमने आसानी से दी जा सकने वाली किश्तों की व्यवस्था की है ।

मालूम होता है कि कुछ माननीय सदस्यों ने और विमुक्तियां दिए जाने के लिए इस कारण से जोर डाला है कि कहीं यह शुल्क देने वालों को परेशान न किया जाय । मैं यह कहता हूं कि आप चाहे कोई भी सीमा क्यों न रखिए थोड़ी बहुत "परेशानी" तो होगी ही। जब आप यह मालूम करने का प्रयास करेंगे कि सारा सामान ५,०००) का है, १०,०००) का या २,५००) का तो परेशानी अवश्य होगी और इसलिए प्रशासन का उद्देश्य इस बात का प्रबन्ध करना होना चाहिए कि यह मूल्यांकन ऐसे ढंग से किया जाय कि यथासंभव परेशानी न हो । परन्तु मेरा कहना यह है कि आप केवल सीमाओं को बढ़ा कर ही इस कठिनाई को दूर नहीं कर सकते। उस

[श्री यू० एम० त्रिवेदी]

का तर्कसिद्ध परिणाम तो यह होगा कि आप सारी सीमाएं हटा दें और ऐसा करके आप सम्पदा शुल्क के आरोपण के इस सारे ढांचे का गड़बड़झाला बना देंगे तो इससे तो आप सम्पदा शुल्क लगाने का प्रयत्न ही छोड़ दीजिए।

इसलिए इन सब बातों पर इस दृष्टि-कोण से विचार किया गया कि एक साधारण परिवार में घरेलू बर्तनों, पुस्तकों आदि का कुल मूल्य क्या होगा और अधिकतर मामलों में इन की ओर से भेजी गई मूल्य सूचियां स्वीकार कर ली जायेंगी। कर दाता की परिस्थिति को देखते हुए यदि घरेलू बर्तनों का मूल्य २,०००) के लगभग बैठता हो, तो मेरे विचार में प्रशासन के अधिकारी यह मालूम करने का कष्ट नहीं करेंगे कि यह मूल्य २,०००) है या २,५००)। दूसरे शब्दों में यह तो विवेक की बात है और वह विवेक से ही आ सकती है। विवेक कठोर संविहित सीमाओं से नहीं आएगा।

सीमाओं को बिल्कुल हटा देने का खतरा यह है कि जो बचना नहीं चाहते वही बच जायंगे। मैंने कुछ धनी लोगों के घरों की दीवारों पर कालीन लटकते देखे हैं और वे बड़े गर्व से कहते है कि अमुक कालीन १५ हजार रुपये का है। यदि हम यह कहें कि कालीन मकान के फर्नीचर का भाग है तो यह समझा जा सकता है कि एक कमरे की चारों दीवारों पर ईरानी कालीन लगा कर ५०,०००) का अन्तर बड़ी आसानी से डाला जा सकता है।

इसलिए परेशानी की बात बार बार कहे जाने पर यदि सीमा हटा दें तो बड़ी खतरनाक बात होगी। मेरे विचार में यह तो कठिनाई का हल नहीं है।

सब से अधिक बराबर मांगी जाने वाली एक अतिरिक्त रियायत, रहने के मकान की विमुक्ति की है। कुछ सदस्यों ने नरमी दिखाई है और एक सीमा बता दी है। अन्य सदस्यों ने कोई सीमा नहीं बताई और कम से कम एक ने तो रहने के मकान या मकानों की बात कही है। रहने का मकान १० लाख रुपये का हो सकता है और २० लाख रुपये का भी। यदि मकान को इस शुल्क से बिल्कुल ही विमुक्त कर दिया जाय तो यह प्रवृत्ति उत्पन्न हो जायगी कि अधिक से अधिक पूंजी मकानों में लगा दी जाय।

यदि आप १५,००० रुपये की छोटी सीमा रखे तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या यह सम्भव हे कि जिस व्यक्ति के पास २५,००० रुपये का मकान है उस के पास ५०,००० रुपय से अधिक की अन्य सम्पत्ति भी होगी जिस से कि उस पर सम्पदा शुल्क लगने का खतरा है? मेरा कहना है कि सधारणतः वह थोड़े से पैसे वाला व्यक्ति होगा और किसी न किसी विमुक्ति सीमा के अधीन आ ही जायगा। जो भी हो, यदि ऐसा न हो और कुछ के पास अलग नकद रुपया हो, अर्थात मकान के अतिरिक्त उस का कोई और परिसम्पत हो तो यह युक्ति अर्थ-हीन हो कर रह जाती है। युक्ति तो यह दी जाती है कि किसी बेचारे को अपना मकान बेचना पड़ेगा, और उस के पास अन्य सम्पत्ति न हो तो उसे अपने घर से निकालना पड़ेगा। परन्तु यदि यह छोटा सा मकान हो तो उसके तथा सीमा शुल्क के बीच इतना अधिक अन्तर होगा कि अन्य सम्पत्ति जिसे बेच कर या जिस की आय है,

सम्पदा शुल्क आसान किस्तों में दिया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि यह २५,००० रुपये का पैत्रिक मकान तथा ३०,००० रुपये की भूमि हो फिर क्या होगा ? तो उस के पास जो मकान या भूमि है उसे बेचनी पड़ेगी ।

श्री बर्मन : (उत्तर बंगाल–रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मान लीजिय कि पैत्रिक मकान ही कुल सम्पत्ति है जिस के कुछ भाग में उस के वंशज रहते हैं और कुछ भाग किराए पर उठा रखा गया है। ऐसे लोगों को तो कठिनाई होगी ।

श्री सी० डी० देशमुख : कुल शुल्क इतना कम होगा कि वह चालू आय में से दिया जा सकता है।

सम्भव है कि उन्हें आठ वार्षिक किश्तों में कुछ रुपये देने पड़ें जोकि सब के कल्याण के हेतु राज्य की कम से कम तथा नरम मांगें पूरा करने के लिए बचाए जा सकते हैं ।

और फिर मैं सदन से धैर्य धरने को कहूंगा क्योंकि विमुक्ति की सीमा में कुछ परिवर्तन किये गये तो उन में मकान के अतिरिक्त और कोई भी सम्पत्ति आ जाती है । इस की बात का निर्णय अभी किया जाना है । इसलिए मेरे विचार में इस अवस्था में इस मामले पर ज़ोर नहीं डालना चाहिए यद्यपि मैं मानता हूं कि यदि आप इस पर जोर न डालें तो जहां तक खण्ड ३१ का सम्बन्ध है यह बात ही समाप्त हो जायगी और फिर उन्हें कुल विमुक्ति सीमा के सम्बन्ध में ही इस बात पर ज़ोर देने का अवसर मिल सकेगा । और फिर दरों का प्रश्न भी है । अभी इन महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जा सकती है ।

अनुरोध किया गया है कि मवेशियों के सम्बन्ध में छूट देनी चाहिए । इस विषय में हमारी कठिनाई यह थी कि विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों हलों आदि का मूल्यांकन कैसे किया जाये । यदि यह कोई ऐसी चीज़ हो जिस का मल्यांकन किया जा सके और जिस का एक बाज़ार भाव हो, तब तो उस पर प्रशासनीय तरीके से विचार किया जा सकता है। मेरे विचार में इस सम्बन्ध में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा ६० की उपमा देना गलत है । उस मामले में सब कुछ जब्त कर लिया जाता है परन्तु इस मामले में कुछ सम्पत्ति के केवल एक छोटे से भाग पर कर देना पड़ेगा । अतः कृषकों के प्रति सहानुभूति रखते हुए भी मैं समझता हूं कि इस प्रकार का संशोधन उचित नहीं है ।

एक और मांग यह है कि नये औद्योगिक समवायों में लगाये हुए धन को छूट दी जाय । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि उद्योगों को पहले ही बहुत सी रियायतें दी जा चुकी हैं । मेरे विचार में इस स्थायी विधेयक में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं सम्मिलित करना चाहिए जिससे उद्योगों को अस्थायी रूप से प्रोत्साहन मिले । संभव है कि बाद में हमें पछताना पड़े कि हम ने सार्वजनिक क्षेत्रों की उपेक्षा कर के औद्योगिक विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया है। अतः मैं समझता हूं कि इस विधेयक में इस प्रकार की रियायत का उपबन्ध करना न्यायसंगत नहीं है । हम यह कह सकते हैं कि यह मृत्यु के बाद सम्पदा पर

[श्री सी० डी० देशमुख]

प्रत्यक्ष रूप से लगाये जाने वाला शुल्क है और इस का औद्योगिक प्रोत्साहन या किसी प्रकार के सामाजिक सुधार से कोई सम्बन्ध नहीं है। करारोपन जांच आयोग सम्पदा शुल्क के मामले पर भी विचार करेगा। यदि उस ने यह सिफारिश की कि सम्पदा शुल्क में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए, तो सरकार उस समय ऐसा कर सकेगी।

कुछ संशोधन ऐसे हैं जिन का उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों की निर्वाह निधि की बचत को छूट दी जाये। मेरे विचार में इस प्रकार की छूट देना इन के और उन नागरिकों के बीच विभेद करना होगा, जो कि व्यापार व्यवसाय आदि द्वारा कमा कर बचत करते हैं एक माननीय सदस्य ने इमारती लकड़ी की ओर निदेश किया था। मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विषय में यहां की स्थिति ब्रिटेन की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है और जमीदारी उन्मूलन से अधिकांश इमारती लकड़ी सरकार स्वामित्व में आ चुकी है और यह भूमिक्षय की समस्या के अनपेक्ष है। इस समस्या को बहुत बड़े पैमाने पर हल करना होगा। यह समस्या इमारती लकड़ी को इस प्रकार के संशोधन द्वारा सम्पदा शुल्क से बचा कर हल नहीं की जा सकती।

मैंने पैत्रिक सम्पत्ति के प्रश्न पर भी विचार किया है। जहां तक ब्रिटेन के अधिनियम का सम्बन्ध है, वहां इस मामले में छूट की सुविधा प्राप्त करने के लिये खज़ाने का प्रमाणपत्र लेना आवश्यक होता है। वर्तमान विधेयक में हम ने छूट सम्बन्धी मुख्य खंड के उप-खंड (ज) में शर्तों और नियमों का उपबन्ध किया है। मेरे विचार में उप-खंड (झ) में भी इसी प्रकार का उप-बन्ध करना चाहिए था। यदि यह संशोधन इस खंड के साथ जोड़ दिया जाये, तो उचित होगा और मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

मैं ये शब्द रखना चाहूंगा : "पृष्ट २०, पंक्ति ३ में "मृत" के बाद "और उन शर्तों के अनुसार निपटाया जाये, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेंगी" आदिष्ट किया जाय। मैं यह संशोधन सचिव को देता हूं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर): क्या वित्त मंत्री जी का "आलेख्यों, तैल चित्रों, फोटो चित्रों इत्यादि" के सम्बन्ध में नियम द्वारा कोई बचत की सीमा निर्धारित करने का विचार नहीं है?

श्री सी० डी० देशमुख: वस्तुतः यह खण्ड इसी बात को ध्यान में रखने के कारण उत्पन्न हुआ है कि बहुत से परिवारों के पास अपने प्रपितामहों के फोटो या चित्र होते हैं। य. उस परिवार की दृष्टि से चाहे कितने भी मूल्यवान क्यों न हों वस्तुतः इन का कोई मूल्य नहीं होता। हमारे मन में तो पैत्रिक सम्पत्ति की यही वस्तुएं थीं, राजाओं के मुकुट नहीं। चाहे कुछ भी हो राज-मुकुटों को पैत्रिक सम्पत्ति में नहीं दिया जा सकता; वे तो माने हुए शासकों को ही मिलनी चाहियें। मुझे तो इस में कोई भय नहीं दिखाई देता . . .

श्री एस० एस० मोरे: मैं 'पैतृक सम्पति' इस शब्द पर बल नहीं दे रहा हूं मैं ने तो आलेख्यों, तैल चित्रों इत्यादि का निदेश मात्र किया ही है।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं तो इन सभी के बारे में कह रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री मोरे यह चाहते हैं कि धन के सम्बन्ध में कछ सोमा निर्धारित कर दी जाय ।

श्री सी० डी० देशमुख : मूल म किसी ने इस खण्ड में किसी संशोधन का सुझाव नहीं दिया था। अब श्री बसु कहते हैं कि यह संशोधन इस खण्ड में है । मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब कतिपय माननीय सदस्य इस में कुछ उच्चतम सोमा निर्धारित करने का सुझाव दे रहे हैं । मैं नहीं समझता कि हम इस में इस प्रकार संशोधन कैसे करते जा सकते हैं। तब उच्चतम सोमा की पर्याप्तता के सम्बन्ध में एक और वाद विवाद उठ खड़ा होगा । मैं ने इस विषय में कोई निश्चय नहीं किया है कि उच्चतम सोमा क्या होनी चाहिये । यह सामान्य होनी चाहिये जिससे कि किसी को बहूमूल्य वस्तुओं को पैत्रिक सम्पत्ति बनाने के लिये प्रोत्साहन न मिले । परन्तु मैं ने उच्चतम सोमा के लिये कोई सिद्धान्त नहीं बनाया है ।

श्री मिश्र ने कहा था कि यदि आप देना चाहते हैं तो दिल खोल कर दीजिये नहीं तो न दीजिए । मैं तो सदा दोनों के बीच का मार्ग अपनाना चाहता हूं। मिश्र जी को यह अच्छा नहीं लगता । अत: मुझे तो उन को यह युक्ति न्यायसंगत नहीं प्रतीत होती । प्रत्येक व्यक्ति को कठिनाई को समझना चाहिये । केवल हां या न से काम नहीं चल सकता । यह खण्ड इस विधेयक का एक कठिनतम खण्ड है और हम ने इस में बीच का भाग अपनाया है ।

इस के बाद एक और प्रश्न रह जाता है और यह सार्वजनिक पूर्त का प्रश्न है। मुझे खेद है कि मैं इस सम्बन्ध में बहुत से माननीय सदस्यों से असहमत हूं ।

१० म० पू०

इस पर अच्छी प्रकार से विचार करने के पश्चात् मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि कोई भी इस स्थिति को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता कि राज्यसंघटनों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में या समाज के कल्याण के लिये चाहे जो कुछ भी किया जाये, पूर्त पर न तो कोई रोक होनी चाहिये और न ही उसकी कोई सीमा होनी चाहिये ।

श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा): मैं ने असीमित नहीं कहा, किन्तु पांच प्रति शत तक कहा है ।

श्री सी० डी० देशमुख : माननीय सदस्यों ने आय-कर अधिनियम की धारा १५ ख के साथ गलत तुलना की है । वह तो वार्षिक आय के सम्बन्ध में है और कोई भी व्यक्ति प्रति वर्ष पूर्त के लिये धन दे सकता है । हम तो यह कहते हैं कि अपनी मृत्यु के छै मास पूर्व तक वह पूर्तनिमित्त धन देता रह सकता है । माननीय सदस्यों के भाषणों से ऐसा प्रतीत होता था जैसे कि इस संशोधन को स्वीकार न करनें से पूर्त निमित्त धन देने के द्वार सदा के लिये बन्द हो जायेंगे । ऐसी बात नहीं है । हमारा सम्बन्ध तो केवल मृत्यु के छः मास के अन्दर दिये गये उपहारों से है । इसी के लिये हमने एक छोटा सा उपबन्ध किया है । मैं समझता हूं कि यह पर्याप्त है । यह कहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं क्योंकि माननीय सदस्य तो यह जानते ही हैं कि धीरे धीरे राज्य का समाज कल्याण का क्षेत्र

[श्री सी० डी० देशमुख]

बढ़ता जा रहा है। गैर-सरकारी पूर्त संस्थाओं के लिये पहिली बार चार करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। जैसा कि सदन को विदित है जहां कहीं दुर्भिक्ष अथवा बाढ़ के कारण लोगों को कष्ट होता है, वहां मानवता के नाते केन्द्रीय सरकार से यह आशा की जाती कि वह विपत्तिग्रस्त लोगों को सहायता करेगी। केन्द्र ने उस उत्तरदायित्व को मिल कर निभाया भी है। बेकारों की सहायता के लिये ५० करोड़ रुपये देने की बात की जा रही है। केन्द्र इन उत्तर दायित्वों को कैसे पूरा करे यदि वह राज्यों की योजनाओं को पूरा करने में उन की सहायता भी करे और इस के साथ साथ इस बात की आज्ञा भी दे दे कि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति की शुल्क से बचाने के लिये पूर्त के द्वारा उसे कम कर दे? आप एक साथ दो घोड़ों पर सवारी नहीं कर सकते। अतः मैं यह समझता हूं कि हम ने जो उपबन्ध किया है वह पर्याप्त है।

मैं समझता हूं कि मैं ने सभी बातों का उत्तर दे दिया है और अपनी संशोधन तथा भाग (१) के सम्बन्ध में हम ने जिस संशोधन को स्वीकार कर लिया है उसे छोड़ कर मैं अन्य सब संशोधनों का विरोध करता हूं।

श्री बी० पी० सिन्हा (मुंगेर सदर व जमुई): कृषि सम्बन्धी भूमि का क्या हुआ?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान् आप ने जो कुछ कहा। उसे ध्यान में रखते हुए मैं ने घर के सम्बन्ध में जो कुछ कहा था वही वस्तुतः कृषि सम्बन्धी भूमि पर भी लागू होता है। हमारा तो उन मामलों से सम्बन्ध है जिन में कि भूमि से अच्छी आय होती है। यदि किसी भूमि का मूल्य १५,००० रुपये प्रति एकड़ हो, तो उस से अवश्य ही १,००० रुपये प्रति वर्ष की आय होगी। अतः उस आय में से सम्पदा शुल्क दिया जा सकता है। परन्तु यदि आय ३०० रुपय हुई जैसा कि दुर्भाग्य से आप की ओर है तो यह बड़ी सरलता से छूट की सीमा में आ जायेगी।

श्रीमती सषमा सेन (भागलपुर-दक्षिण) एक रहने के घर की छूट देने के मेरे संशोधन का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: वे इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं।

श्रीमती सुषमा सेन: वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वे साधारण मांगों पर विचार करेंगे। मैं समझती हूं कि यह मांग तो साधारण सी है। क्योंकि हम लाखों रुपये के रहने के घरों की छूट तो नहीं मांग रहे हैं। एक सामान्य मध्यम वर्ग के परिवार के घर का पहिले २५,००० रुपये मूल्य । जिस का कि अब एक लाख रुपये मूल्य आंका जाता है। इस से वस्तुतः मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी कठिनाई होगी। मैं अनुरोध करती हूं। कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि लाखों की बात से यह पता चलता है कि यह कोई सामान्य बात नहीं है।

श्री एच० जी० वैष्णव (अम्बड़): वित्त मंत्री जी ने भूतपूर्व राजाओं को सम्पदा

शुल्क से छूट देने की सम्भावना के सम्बन्ध में मेरे संशोधन का उत्तर नहीं दिया।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं ने कल इस का उत्तर दे दिया था कि कोई छूट नहीं है।

डा० एम० एम० दास (बर्दवान—रक्षित—अनुसूचित जातियां): माननीय मंत्री ने कहा था कि दायभाग परिवारों की छूट की सीमा ७५,००० रुपये से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य देखें क्या होता है। प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ १९ की पंक्ति २४ में "from" ("से") के स्थान पर "before" ("पहिले") आदिश्ट कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ १९ की पंक्ति ३९ के अन्त में "but not exceeding rupees fifty thousand" ("किन्तु पचास हजार रुपये से अधिक नहीं") जोड़ दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ १९ की पंक्ति ३९ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये:

"(ff) moneys deposited with the Government in such manner as may be prescribed for the purpose of paying estate duty together with the interest which has accrued due thereon at such rate as may be prescribed, to the extent of the amount of duty payable but not exceeding rupees fifty thousand;"

"(चच) सम्पदा शुल्क को चुकाने के लिये प्रख्यापित विधि के अनुसार सरकार के पास जमा करवाये हुए धन के साथ साथ देय शुल्क की राशि तक किन्तु पचास हजार रुपये से अधिक नहीं उस पर निश्चित दर से जितना ब्याज हो जाये;"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ १९ की पंक्ति ४३ में "or" ("या") के पश्चात् "archaeological or" ("पुरातत्व सम्बन्धी या") निविष्ट कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ २० में पंक्ति ४ से ९ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये:

"(j) moneys earmarked under policies of insurance or declarations of trust or settlements effected or made by a deceased parent or natural guardian for the marriage of any of his female relatives dependent upon him for the necessaries of life, to the extent of rupees five thousand in respect of the marriage of each of such relatives,"

["(अ) किसी मृत माता-पिता या सहज संरक्षक द्वारा अपनी किसी स्त्री सम्बन्धी के लिये जो कि अपनी जीवन की आवश्यकताओं के लिये उस पर

[उपाध्यक्ष महोदय]

निर्भर हो बीमा-पत्र या प्रन्यास की घोषणा या किये गये समझौते के अधीन ऐसे प्रत्येक सम्बन्धी के विवाह के लिये पांच हजार रुपये तक अलग किया हुआ धन।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:

पृष्ठ २० की पंक्ति ३ में "deceased" ("मृत") के पश्चात् "and are dealt with or disposed of in accordance with such conditions as the Board may prescribe." ("और बोर्ड द्वारा प्रस्थापित शर्तों के अनुसार व्यवहृत किये गये हों या निबटाये गये हों") निविष्ट कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

शेष संशोधन अस्वीकृत हुए।

उपाध्क्ष महोदय: प्रश्न यह है कि:-

"खंड ३२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताब स्वीकृत हुआ।

"खंड ३२ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया।"

श्री के० के० बसु: श्री मोरे का संशोधन अलग से प्रस्तुत होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय: यह अन्य जातीय विवाहों के सम्बन्ध में है? इसे प्रस्तुत किया गया था और यह अस्वीकार हो चुका था।

श्री के० के० बसु: यह बहुत ही महत्वपूर्ण समाजिक प्रस्ताव है।

खंड ३३—(**राशिकरण**)

श्री सी० डी० देशमुख: मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

पृष्ठ २० पर १९ से २५ पंक्तियों के **स्थान में** निम्नलिखित अंश आदिष्ट कीजिये:

"33. Aggregation— (1) for determining the rate of estate duty to be paid on any property passing on th death of the deceased, all property so passing, excluding—

Property exempted from duty under clauses (c), (d), (e), (h) and (i) of sub-section (1) of section 32, out including—

(i) property on which no estate duty is leviable under section 34,

(ii) property exempted from duty under clauses (a) (b) (f), (ff) (g) and (j) of section 32, and

(iii) agricultural land situate in any state not specified in the First schedule,

shall be aggregated so as to form one estate and the duty shall be levied at the rate or rates applicable in respect of the principal value thereof."

"३३ राशीकरण (१) सम्बद्ध व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी जो भी संपत्ति उत्तराधिकार में प्राप्त होगी, उस पर दिय जाने वाले संपदा शुल्क की दर का निश्चय करने के लिऐ

धारा ३२ की उपधारा (१) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ज), तथा (१) के अन्तर्गत शुल्क से मुक्त संपत्ति को छोड़ कर किन्तु

(१) धारा ३४ के अन्तर्गत जिस संपत्ति पर कोई भी संपदा शुल्क नहीं लगाया जा सकता हो,

(२) धारा ३२ के खण्ड (क), (ख), (च), (चच), (छ) तथा (झ) के अन्तर्गत शुल्क से मुक्त संपत्ति, और

(३) किसी राज्य में स्थित ऐसी कृषि-योग्य भूमि जिसका प्रथम अनुसूची में विशेष उल्लख नहीं किया गया हो, सहित

संपत्ति को इस तरह जोड़ा जाएगा कि वह एक संपदा बन जाय, और उसके प्रचार मूल्य पर लागू की जाने वाली दरों के हिसाब से शुल्क आरोपित किया जाएगा।"

मैं संशोधन संख्या ५४० को प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं । अब मैं ने इसे परिवर्तित किया है । अतः मैं उक्त प्रस्ताव को प्रस्तुत कर चुका हूं।

श्री बी० बी० गान्धी (बम्बई नगर-उत्तर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री सी० डी० देशमुख द्वारा प्रास्थापित संशोधन में भाग (क) का लोप किया जाय।

श्री तुलसीदास (मेहसाना पश्चिम) : मैं संशोधन ६९५ को प्रस्तुत नहीं कर सकता यह एक अनुवर्ती संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ६९५ रद्द हो जायेंगे क्योंकि संशोधन संख्या ५४० प्रस्तुत नहीं किया गया, और इसके स्थान में संशोधन संख्या ७२० प्रस्तुत किया जा चुका है ।

संशोधन संख्या ६९७ संशोधन संख्या ५४० पर का संशोधन है ।

श्री बर्मन : वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत नया संशोधन अन्य बातों में बिल्कुल पुराना संशोधन-सा है । मैंने संशोधन संख्या ५४० पर एक संशोधन प्रस्तुत किया था ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसने इसे सम्मिलित किया है । इसमें अब क्या बुराई है । बिल्कुल ठीक । चलिये, संशोधन संख्या ६९७ को संशोधन संख्या ७२० जैसा समझा जाएगा । ठीक रहा ? ५४० संख्या के स्थान में संख्या ७२० विनिष्ट कीजिये । तो, अब श्री बर्मन का संशोधन भी मौजूद है ।

श्री बर्मन, तथा वी० बी० गांधी ने संशोधन प्रस्तुत किये जो अस्वीकृत हुये ।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—पृष्ठ २० पर

(१) २२ वीं पंक्ति में "section 34" ["धारा ३४"] के बाद "and section 32" ["और धारा ३२"] निविष्ट कीजिये और (२) २२ वीं तथा २३ वीं पंक्ति में "Out including property exempted from duty under section 32 and agricultural land situate in any state not specified in the schedule." ["किन्तु धारा ३२ के अन्तर्गत शुल्क से मुक्त संपत्ति तथा किसी राज्य में स्थित ऐसी कृषियोग्य भूमि जिसका अनुसूची में विशेष उल्लेख नहीं किया गया हो, सहित"] का लोप कीजिये ।

श्री जी० डी० सोमानी, श्री कानावाडे पाटिल, डा० कृष्णास्वामी, संशोधन प्रस्तुत किये जो अस्वीकृत हुये ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ३२० और ५५९ की भाषा बिल्कुल ऐसी है जैसा कि डा० कृष्णस्वामी द्वारा प्रस्तुत संशोधन की है ।

श्री सी० डी० पांडे ने संशोधन प्रस्तुत किया जो अस्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २० पर, पंक्ति २३ में "the schedule" ["अनुसूची"] के स्थान पर "the first schedule" ["प्रथम अनुसूची"] शब्द आदिष्ट कीजिये ।

श्री तुलसीदास ने संशोधन प्रस्तुत किये जो बाद में अस्वीकृत हुये ।

श्री बर्मन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

(१) पृष्ठ २० पर, ३८ से ४७ तक की पंक्तियों का लोप कीजिये ।

(२) पृष्ठ २० पर, ४६ और ४७ पंक्तियों में "and also any agricultural land situate in any state not specified in the schedule".

["और किसी राज्य में स्थित ऐसी कृषियोग्य भूमि जिसका अनुसूची में विशेष उल्लेख नहीं किया गया हो ।"] शब्दों का लोप कीजिये ।

श्री तुलसीदास ने संशोधन प्रस्तुत किया जो बाद में अस्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि पृष्ठ २० पर ३८ से ४३ तक की पंक्तियों का लोप किया जाय ।

डा० कृष्णास्वामी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि २० पर ३८ से ४३ तक की पंक्तियों का लोप किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : खंड ३३ सहित से सभी संशोधन अब चर्चा के लिये सदन के समक्ष हैं। श्री रघुराम्मय्या यदि इस विषय में औचित्य-प्रश्न की बात रही तो मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि वे बोलें ।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : श्रीमान्, इसमें औचित्य प्रश्न की बात है । जहां तक करारोपण की दर को निर्धारित करने के लिये अनुसूचित राज्यों में स्थित कृषियोग्य भूमि को कुल जोड़ में सम्मिलित किये जाने के प्रश्न का सम्बन्ध है, यह औचित्य-प्रश्न दोनों बातों यानी संशोधनों तथा मूल खण्ड के सम्बन्ध में है। श्रीमान्, क्या मैं इस उलझन को समझाऊं ?

उपाध्यक्ष महोदय : संक्षिप्त शब्दों में ।

श्री रघुरामय्या : इस सारे का तत्व इस प्रकार है । कुल जोड़ को निर्धारित करने के लिये यह प्रस्थापित किया गया है कि अनुसूची से बाहर के राज्यों में स्थित सभी कृषियोग्य भूमि को संपदा में सम्मिलित किया जाय । इस समय अनुसूची से बाहर के राज्यों में स्थित कृषियोग्य भूमि पर, इस विधान के अनुसार तब तक कोई भी कर नहीं लग सकता जब तक वे राज्य बाद में अनुसूची में शामिल न हों । जहां तक अनुसूची से बाहर के किसी राज्य में की करनिर्धार्य संपत्ति का प्रश्न है, इस प्रस्तुत उपबन्ध का यह प्रभाव पड़ेगा कि उस की प्रतिशतता बढ़ेगी और उस पर शुल्क की अधिक ऊंची दर लगाई जाएगी । मान लीजिये कि किसी अनुसूचित राज्य में ७५,००० रुपय की करनिर्धार्य संपत्ति है इस में से ५०,००० रुपये की संपत्ति कर मुक्त की जाएगी, और शेष २५,००० रुपये पर ५ प्रतिशत के हिसाब से जो कर लगेगा वह लगभग १,२५० रुपये होगा । अब मान लीजिये कि अनुसूची के बाहर के किसी राज्य में किसी व्यक्ति के पास ७५,००० रुपये की करनिर्धार्य संपत्ति है और २५,००० रुपये की ऐसी कृषि-संपत्ति है जो कर निर्धार्य नहीं है, तो ५०,००० की विमुक्ति-सीमा राशि को छोड़ कर ७५,००० रुपये पर

करारोपण की दर लगभग १,८५० रुपये होगी। दूसरे शब्दों में, यदि अनुसूचित राज्य के किसी व्यक्ति के पास २५,००० रुपये की करनिर्धार्य संपत्ति होगी तो वह केवल १,२५० रुपये देगा जबकि अनुसूची से बाहर के राज्य में इतनी ही संपत्ति वाला व्यक्ति १,८५० रुपये देगा। मेरी राय है कि इस प्रकार के विभेद से संविधान के अनुच्छेद १४ का, जिसके अनुसार सभी को समान रूप से अवसर तथा सुरक्षा मिले हैं, खण्डन होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : विधि की बात के अतिरिक्त भी यह समझा जा सकता है कि यदि अनुसूचित राज्य के बारे में ऐसी चीज़ आ जाय तो कर-राशिकरण के हेतु कृषियोग्य भूमि भी इस में सम्मिलित होगी। अनुसूची से बाहर के राज्य में भी कृषियोग्य भूमि की गणना की जाती है। अतः आपका यह तर्क कि दोनों में एक भेद चल रहा है, सिद्ध नहीं होता।

श्री ए० एम० टामस् (एरणाकुलम) : इस का यह अर्थ हुआ कि यह भेदभाव का प्रश्न नहीं बल्कि एक ऐसी मद पर अप्रत्यक्ष रूप से कर लगने का प्रश्न है, जिसे संविधान में विमुक्त किया गया है।

श्री रघुरामय्या : भेद इस प्रकार होता है। यदि अनुसूचित राज्य के किसी व्यक्ति के पास कृषि से अलग और कोई संपत्ति ही है जो केवल ७५,००० रुपये की है तो वह सभी कर निर्धार्य संपदा का कर केवल १,२५० रुपये चुकाता है, जब कि अनुसूची से बाहर के राज्य में इसी करनिर्धार्य संपत्ति के लिये, उसके पास और कोई संपत्ति हो सकती है जिस पर कर न लगे किन्तु यह सब असंगत है। करारोपण के लिये तो राज्य में भी करनिर्धार्य संपत्ति के साथ ही हमारा सम्बन्ध है—यानी अमुक व्यक्ति पर १,२५० रुपये का कर लगाने के स्थान पर हम कुछ और भी उसकी संपत्ति में शामिल कर लेते हैं और उस से अधिक कर प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार एक ही प्रकार की संपत्ति पर एक ही ढग से कर आरोपित नहीं किया जाता। बसु की संविधान की टिप्पणी में इस संदर्भ से संगत एक बात कही गई है—"इस अनुच्छेद का यह अभिप्राय नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान कर लगाया जाय, बल्कि इस का यह अभिप्राय है कि एक ही प्रकार की संपत्ति पर एक ही प्रभाव का कर आरोपित किया जाय।" अब इस में एक ही प्रकार की संपत्ति की बात आई—यानी जिस प्रकार की संपत्ति के लिये एक राज्य में १,२५० रुपये का कर देना पड़ता है। उसी प्रकार की संपत्ति के लिये दूसरे राज्य में १,८५० रुपये का कर देना पड़ता है। इसीलिये मेरा यह निवेदन है कि भेदभाव किया जाता है। यदि आप इसे भेदभाव नहीं कहते, तो इस में अप्रत्यक्ष करारोपण की बात आएगी, क्योंकि अनुसूची से बाहर के किसी राज्य में अमुक व्यक्ति को कृषि-संपत्ति पर भी कर देने के लिये विवश किया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात को नहीं समझ सकता। कोई भी राज्य हो, कृषि-संपत्ति को करनिर्धार्य संपत्ति में शामिल किया जाएगा और उस पर कर लगेगा। अतः भेदभाव की बात पैदा नहीं होती।

श्री रघुरामय्या : पहली स्थिति में आप केवल करनिर्धार्य संपत्ति लेते हैं। और जो राज्य अनुसूची में है, वहां कृषियोग्य भूमि पर कर लगता है ------

उपाध्यक्ष महोदय : करनिर्धार्य हो या न हो--दोनों स्थितियों में, दर का निर्धारण

[उपाध्यक्ष महोदय]

करने के लिये इस संपत्ति की गणना होती है।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान्, मेरा यह प्रतिवाद है कि दर निर्धारित करने के लिये एक राज्य में केवल करनिर्धार्य संपत्ति को और दूसरे राज्य में ऐसी संपत्ति को जिस पर कर नहीं लगता हो, विचार में नहीं लाया जा सकता। जिस प्रकार की संपत्ति पर यह संसद् कर दिलाने के लिये कानून बना सकती है, वह संविधान में विशेष रूप से उल्लिखित है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस के समर्थन में अपनी सभी बातें गिनायें।

श्री रघुरामय्या : मैं पहली बात को बतला चुका हूं कि किस तरह इस में भेदभाव बरता गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्। उन्होंने किस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला है कि जो राज्य अनुसूची में नहीं होगा, उसे अधिक कर देना पड़ेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझ सका हूं।

श्री रघुरामय्या : मैं उदाहरण दे चुका हूं। मान लीजिये कि किसी अनुसूचित राज्य में अमुक व्यक्ति के पास कृषि-संपत्ति को छोड़ कर कोई अन्य संपत्ति केवल ७५,००० रुपये की है। आप उस से विमुक्ति सीमा से ५ प्रतिशत अधिक कर लेते हैं—यानी वह लगभग १,२५० रुपये देता है। अब, अनुसूची से बाहर के किसी राज्य में अमुक व्यक्ति के पास कृषि-संपत्ति को छोड़ कर इतनी ही राशि में कोई अन्य संपत्ति होती है, और मान लीजिये कि इस के अतिरिक्त उस के पास कुछ कृषि-संपत्ति भी होती है तो क्या आप उस की यह कृषि संपत्ति जिस पर कोई कर नहीं लग सकता, लेकर संपत्ति के कुल मूल्य में जोड़ देते हैं और कुल पर कर की दर लगा कर उस से पैसा प्राप्त करते हैं। तब तो यह ७ १/२ प्रतिशत तक पहुंचता है।

उपाध्यक्ष महोदय : कुल जोड़ तो भिन्न है।

श्री सी० डी० देशमुख : वह समान भेदों की तुलना नहीं कर रहे हैं। उन का कहना है कि एक स्थिति में कृषि-संपत्ति को नहीं लिया जाता और दूसरी स्थिति में कृषि-संपत्ति को भी लिया जाता है। और इस हिसाब से वे कहते हैं कि दर ऊंची होगी।

श्री रघुरामय्या : आप को कृषि-संपत्ति की उपेक्षा करनी है। प्रश्न यह है कि किस संपत्ति पर कर लगेगा? एक ही प्रकार की संपत्ति के लिये एक सा प्रमाप होना चाहिये; और दूसरा यह कि यदि इसे भेदभाव नहीं माना जाता तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुसूची से बाहर के किसी राज्य में स्थित कृषि-संपत्ति पर यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे संविधान ने निषिद्ध ठहराया है।

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में?

श्री एस० एस० मोरे : मेरा यह सुझाव है कि संविधान के अनुच्छेद २४६ के अन्तर्गत सातवीं अनुसूची में कई सूचियां भी जा चुकी हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार सूची संख्या १ संघ सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वह इस बात का उत्तर दे रहे हैं?

श्री एस० एस० मोरे : मैं भिन्न दृष्ट-कौण से इस बात पर ग़ोर दे रहा हूं। मेरा यह निवेदन है कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वर्तमान संशोधन अनियमित संविधान के विरुद्ध होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत संशोधन अथवा स्वयं खंड ?

श्री ए० एम० टामस : स्वयं खण्ड।

श्री एस० एस० मोरे : मैं तो यही कहूंगा कि यह खण्ड नहीं बल्कि यही भाग अनियमित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हम और किसी बात के विस्तार में जा रह हैं। मैं बाद में इस पर विचार करूंगा।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, बात इस प्रकार है। मान लीजिये कि किसी व्यक्ति के पास पांच लाख रुपये की ऐसी संपत्ति है जो बिना संकल्प के भी कर-निर्धार्य है। उदाहरण के तौर पर मद्रास ने संकल्प पारित नहीं किया है। 'क' नाम के व्यक्ति के पास पांच लाख रुपये की ऐसी संपत्ति है जो संकल्प के बिना भी करनिर्धार्य है। इसी के पास २० लाख रुपये की कृषि संपत्ति भी है। साधारण प्रक्रिया के अनुसार इस व्यक्ति को कृषि-संपत्ति को शुमार में लाये बिना भी ५०,००० रुपये का कर देना पड़ेगा। अब उस संकल्प के बिना कृषि-संपत्ति पर कोई भी संपदा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। किन्तु इस बात के स्पष्टीकरण की आवश्यकता है कि राशिकरण के हेतु उस संपत्ति को भी शामिल किया जाता है, और इसे २५ लाख रुपये के मूल्य की संपत्ति माना जाता है तथा कृषि से बाहर की पांच लाख रुपये की संपत्ति पर कर लगाया जाता है, जो लगभग पांच लाख रुपये के बराबर होगा। अतः इसके परिणामस्वरूप ५०,००० रुपये के स्थान पर पांच लाख रुपये का कर लगाया जाएगा, और अब प्रश्न यह है कि क्या इसे कृषि-सम्पत्ति पर ही एक अप्रत्यक्ष कर नहीं माना जाना चाहिये। श्रीमान्, इस बात की सफ़ाई के लिये यह तर्क दिया जाता है कि आयकर अधिनियम के अधीन करारोपण के लिये 'आय' शब्द पर ही विचार किया जाता है। श्रीमान्, किन्तु इसे और किसी बात के आधार पर लिया जाता है क्योंक संविधान के अन्तर्गत कृषि-संपत्ति को राज्य के स्वामित्व की चीज़ मान कर अलग किया जाता है, और उन राज्यों की अनुमति प्राप्त किये बिना भारत सरकार या यह संसद् उन पर कर नहीं लगा सकती। तो श्रीमान्, यह निश्चयात्मक बात है कि स्वयं संविधान के अन्तर्गत कृषि-संपत्ति पर तब तक करारोपण का पूरा पूरा प्रतिबन्ध है जब तक अनुच्छेद २५२ के अन्तर्गत कोई संकल्प पारित नहीं किया जाता। यह बात राज्यों पर भी लागू होती है और इन राज्यों से अभी इस प्रकार का कोई संकल्प प्रस्तुत नहीं हो रहा है। श्रीमान्, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकौण यह है कि राज्य के हित को दृष्टि में रखते हुये इस प्रकार का कर अच्छा है। कदाचित् इस से उन राज्यों को प्रेरणा मिलेगी और वे एक ऐसा संकल्प प्रस्तुत करेंगे जिस के द्वारा इस अधिनियम को वे वहां स्वीकार करें, और अपनायें, किन्तु वैधानिक दृष्टि-कोण से यह संविधान के अधिकार-क्षेत्र से बाहर होगा। और उन राज्यों के लिये भी जिन्होंने वह संकल्प पारित नहीं किया है यह अधिकार के क्षेत्र से बाहर होगा।

श्री एस० एस० मोरे : मैं श्री देशमुख द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ७२० के भाग (३) की ओर जिस में यह बताया गया है कि राशिकरण के हेतु किसी भी राज्य में स्थित ऐसी कृषियोग्य भूमि जिस का

[श्री एस० एस० मोरे]

उल्लेख प्रथम अनुसूची में नहीं किया गया हो; निदश करता हूं।

श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि जहां तक करारोपण का सम्बन्ध था, संविधान ने संघ या राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र को अलग अलग एवं निश्चत करने में बड़ी उत्सुकता दिखाई थी। अनुच्छेद २४६ की प्रथम सूची से इस बात का पता चलेगा कि केन्द्रीय सरकार कृषि से बाहर की भूमि पर संपदा शुल्क लगा सकती है। यह अनुच्छेद २४६ तथा मद ४८ की द्वितीय सूची राज्य सरकारों को इस बात का पूर्ण अधिकार देते हैं कि वे, कई शर्तों पर, कृषि योग्य भूमि पर संपदा शुल्क लगा सकती हैं। और अब सुविधा के लिये अनुच्छेद २५२ द्वारा इस अपवाद को उपबन्धित किया गया है कि यदि कोई राज्य ऐसा संकल्प पारित करे जिस में केन्द्रीय सरकार या संसद् से यह प्रार्थना की गई हो कि वे ऐसा विधान पारित करें जिसके द्वारा कृषि-भूमि पर भी संपदा शुल्क लगाया जा सके तो उस संसद् को उसी क्रम से कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि ऐसा संकल्प पारित किया जाय तो कोई भी राज्य इस विशेष अधिनियम को स्वीकार कर के कृषि-भूमि पर संपदा शुल्क लगा सकता है। खण्ड ३३ के अधीन जिस का संशोधन करना है अन्-अनुसूचित राज्यों की कृषि भूमि राशिकरण के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित की जाएगी या उसको मूल्य हिसाब में जोड़ा जाएगा, इस के व्यवहार्यतः कृषि भूमि के लिए विमुक्ति नहीं रहेगी। पारभाषा में अन्-अनुसूचित राज्यों की कृषि भूमि को सम्पदा शुल्क से विमुक्ति दी गई है, यह प्रतिकूलता आपस में मेल नहीं खाती। जिस खण्ड का मैं विरोध कर रहा हूं वह खण्ड ५ के प्रतिकूल है।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय क्या कहना चाहते हैं?

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा): श्रीमान्, क्या मैं इस विषय में कुछ कहूं? प्रवर समिति ने इस पर विचार किया था कि अन्-अनुसूचित राज्यों में सारी सम्पत्ति की दरों के निर्धारण में कृषि भूमि का सम्मिलित करना संविधान के विरुद्ध नहीं है। कृषि भूमि को विमुक्त करने से न केवल कर की दर कम हो जाएगी वरन् उन लोगों की अपेक्षा भेदभाव भी उत्पन्न होगा जो ऐसे राज्यों में रहते हैं जहां कृषि सम्पत्ति पर कर नहीं लगाया जाता। यह इस का प्रत्यक्ष फल होगा।

श्री सी० डी० देशमुख: किस का फल होगा?

श्री राघवाचारी: कृषि भूमि को विमुक्त करने का।

श्री सी० डी० देशमुख: तो माननीय सदस्य इसे सम्मिलित करने के पक्ष में हैं?

श्री राघवाचारी: जी हां, मैं पक्ष में हूं। मैं यही कह रहा था कि इसे सम्मिलित करना प्रवर समिति ने अनुक्षेप तथा वैध समझा था और इस से देश के सब भागों में सम-व्यवहार और सम-कर हो सकेगा।

श्री शोभाराम: खण्ड ३३ के अधीन यह स्पष्ट कहा गया है कि अन्-अनुसूचित राज्यों में स्थित कृषि भूमि कर के प्रयोजनों से विमुक्त होगी परन्तु कुल में जोड़ी जाएगी। मैं जानना चाहता हूं कि जहां १ १/२ लाख रु० की गैर कृषि-सम्पत्ति हो और १ १/२ लाख की कृषि भूमि तो वहां सम्पत्ति पर कर किस दर से लगाया जाएगा?

श्री एन० सोमना (कुर्ग): अनुच्छेद ३६६ खण्ड (९) के अनुसार कृषि भूमि के सम्बंध में दरों के निर्धारण का अधिकार संसद् को है। संसद् इस पर कर नहीं लगा सकती परन्तु सारी सम्पत्ति को हिसाब में ली जाने वाली दरों का निर्धारण कर सकती है।

श्री सी० डी० देशमुख: दो बातें उठाई गई हैं। एक कर की समता के सम्बंध में और दूसरी वैधानिक स्थिति के सम्बंध में। पहला प्रश्न सुगम है। इस सम्बंध में संयुक्त राज्य में नियम भी हैं। वहां कर सम्बंधी विधि में समान प्रतिरक्षा देने की प्रत्याभूति भी है।

अब यह कहा गया है कि इस का यह अभिप्राय नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति पर समान कर लगाया जाए वरन् यह है कि "एक ही परिस्थिति के अधीन व्यक्तियों पर या एक ही प्रकार की सम्पत्ति पर समान प्रमाप से कर लगाया जाना चाहिये।" इस से यह भी अभिप्राय है कि "वस्तुतः असमता प्रतिफल में नहीं वरन् यह निर्णय करने में है कि क्या समान करारोपण में समान प्रतिरक्षा नहीं दी गई, परन्तु विशेष उदाहरणों में एक ही सम्पत्तियों का कर असम हो सकता है।" यह बसु की "भारत के संविधान की आलोचना" का पृष्ठ ७२ है।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह प्रश्न ऐसे ही करों के सम्बंध में उत्पन्न हुआ है?

श्री सी० डी० देशमुख: यह सम्पदा शुल्क के मामले में उत्पन्न नहीं होता।

उपाध्यक्ष महोदय: इस का निर्देश ऐसी सम्पत्तियों की ओर है जिन पर संभवतः संघ सरकार कर नहीं लगा सकती परन्तु राज्य सरकार लगा सकती है।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं संवैधानिक प्रश्न की बात नहीं कह रहा वरन् प्रतिफल के सम्बंध में कह रहा हूं। यह माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर है कि संवैधानिक विचार के अतिरिक्त आप यह तथ्य देखते हैं कि कुछ मामलों में एक प्रतिफल है और अन्य कुछ मामलों में भिन्न है। इस से यह पता नहीं लगता कि कर असमान है अथवा नागरिक को समान प्रतिरक्षा नहीं दी गई। यह उस प्रश्न के उत्तर का प्रकार है।

दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने बताया कि श्री अलादी कृष्णास्वामी ने इस विषय की ओर निर्देश किया था।

श्री रघुरामय्या: मैं पहली बात के सम्बंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं। वित्त मंत्री ने बसु का उद्धरण दिया कि "एक ही प्रकार की सम्पत्ति पर एक प्रमाण से कर लगाया जाना चाहिये।" अनुसूचित राज्य के शुल्क निर्धारण के मामले में आप केवल कर-योग्य सम्पत्ति को ले रहे हैं, परन्तु अनुसूचित राज्य के सम्बन्ध में जिस सम्पत्ति पर कर नहीं लगाया जा सकता उसे भी हिसाब में ले रहे हैं। इस प्रकार समान स्तर नहीं रह जाते।

श्री सी० डी० देशमुख: यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप प्रमाण शब्द को क्या परिभाषा करते हैं। हम वास्तविक दरों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं हम तो प्रमाण का उल्लेख कर रहे हैं अर्थात् जब सम्पत्ति का मूल्य इतना हो तो यह दर लागू होगी चाहे सम्पति कहीं भी क्यों न हो।

फिर मैं कह रहा था कि माननीय सदस्यों ने दूसरे सदन के सदस्य श्री अलादी कृष्णस्वामी के मन की शंका की ओर

[श्री सी० डी० देशमुख]

निर्देश किया है। अब उन्हों ने हम से इस विषय पर पत्र-व्यवहार किया है और हम ने विधि मंत्रालय का परामर्श लिया है। उन्हों ने इस सम्बन्ध में जो मंत्रणादी है मैं उसका निश्कर्ष बता रहा हूं :—

"एक प्रश्न उठाया गया है कि क्या अनुसूचित राज्य में कृषि भूमि का राशिकरण संवैधानिक होगा। यह विचार भी रखा जा सकता है कि क्योंकि संसद अनुसूचित राज्यों के अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करता है, उन राज्यों की कृषि भूमि को अलग सम्पदा समझा जाना चाहिये। इस तथ्य से यह शंका उत्पन्न होती है कि जो राज्य सहमत नहीं हुए वे इन भूमियों पर सम्पदा शुल्क लगाने के लिए अपना विधान बना सकते हैं और क्योंकि जो राज्य आयकर से विमुक्त हैं उस की कृषि से उत्पन्न होने वाली आय को इस प्रयोजन के लिए आयकर अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया। कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क का विधान बनाने के विषय में जो अधिकार संसद को दिया गया है उसे अवश्य ही बड़े विस्तृत रूप में समझना चाहिये और संसद कोई प्रणाली अपनाने के लिए स्वतन्त्र होगा जिस से इस के क्षेत्राधिकार की सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लगाया जा सके।"

इस लिए इस उपबंध में संविधान के प्रतिकूल कुछ नहीं है, जिस में कहा गया है कि संसद के क्षेत्राधिकार के अधीन सम्पति पर सम्पदा शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए, एक व्यक्ति की मत्यु पर दी जाने वाली सारी सम्पत्ति का समष्टिकरण किया जाएगा, और इस समष्टिकृत सम्पत्ति के मूल्य के आधार पर इस के क्षेत्राधिकार में स्थित सम्पत्ति के सम्बन्ध में सम्पदा शुल्क की वास्तविक दर का निर्णय किया जाएगा। ऐसा करते हुए संसद अपने क्षेत्राधिकार से बाहर की सम्पत्ति पर कोई दायित्व नहीं डाल रहा वरन् शुल्क की गणना के लिए केवल एक प्रणाली विहित कर रहा है. जिस ढंग पर शुल्क की गणना की जानी है उस पर आपत्ति नहीं की जा सकती। इसी कारण संसद पर यह दायित्व नहीं है कि वह अनुसूचित राज्यों में कृष्य सम्पत्तियों को पृथक् सम्पदा समझे। वह राज्य भी जिस ने केन्द्र को इस सम्बन्ध में अधिकार नहीं दिया है. अपने शुल्क की दर निर्धारण के प्रयोजन से भारत के किसी राज्य में स्थित कृषि भूमि के समष्टीकरण का उपबन्ध कर सकता है। आयकर के प्रयोजन के लिए राज्य में उत्पन्न होने वाली कृषि सम्बन्धी आय दरों के प्रयोजन हित सम्मिलित नहीं की जा सकती क्योंकि अभी तक इस सम्बन्ध में उस विधि को बदलने का गंभीर प्रयास नहीं किया गया जो १८८६ से लागू है। दूसरे शब्दों में वस्तुतः हम आयकर के सम्बन्ध में इस विशेष समस्या पर ध्यान नहीं दे सके।

टिप्पणी में आगे कहा गया है, "यह भी है कि कुछ राज्यों के कृषि सम्बन्धी आय-कर अधिनियमों में दर के निर्धारण के लिए कृषि से न सम्बन्धित आय को सम्मिलित करने का उपबन्ध है जिस में उस समवाय के हिस्सेदारों को प्रतिदान दिया जाना चाहिए जो कृषि सम्बंधी आयकर देते हैं। उदाहरण के लिए आसाम कृषि आयकर नियम।" इस लिए कर लगाने के अधिकार और उस आधार के सम्मिलित करने के अधिकार में जिस पर कर की गणना की जानी चाहिए, स्पष्ट अन्तर है। और निस्संदेह यदि एक आध युक्ति ही मान्य हो, यदि यह असमानता का आरोप है तो इसका अभिप्राय है कि यह संवैधानिक है।

अब एक अन्तिम बात। इस बात के लिए संशोधन रखे गए थे कि दूसरे देशों को अचल सम्पत्ति सम्मिलित की जाए और सभा न इसे संविधान के आधार पर अधिकार न होने के कारण नहीं वरन इस आधार पर कि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय निश्चित अभिसमय है, अस्वीकार करने का निर्णय किया। उससे मुझे दिखाई देता है कि परोक्ष रूप से सभा ने यह स्थिति स्वीकार कर ली है कि यदि इस अभिसमय की प्रतिरक्षा और सब परिणामों का सामना करने की इच्छा न की होती तो समष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए उसे यह सम्पत्ति सम्मिलित करने का भी अधिकार था।

श्री एस० एस० मोरे : विधि मंत्रालय के अभिमत में "क्षेत्राधिकार" का अभिप्राय क्षेत्र सम्बन्धी क्षेत्राधिकार है अथवा कर सम्बन्धी क्षेत्राधिकार ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस का अभिप्राय कर सम्बन्धी क्षेत्राधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : एक वैधानिक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या राशिकरण या समष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए, एक ऐसे राज्य में स्थित कृषि भूमि, जो सम्पदा शुल्क के लिए कृषि सम्पत्ति के सम्मिलित किये जाने के लिए तैयार हो गया हो, सम्मिलित की जा सकती है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद २६९ के आधीन, संसद् को सभी रा यों पर केवल कृषि भूमि के अतिरिक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त है। मेरा ध्यान संविधान के अनुच्छेद ३६६(९) में दी गई सम्पदा शुल्क की परिभाषा की ओर आकर्षित किया गया था। मैं समझता हूं कि उससे हमें इस विषय को तय करने में कोई सहायता नहीं मिलेगी।

मुझे यह बात स्वीकार करने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता है, कि समष्टीकरण के प्रयोजनों के हेतु इस सदन को कृषि भूमि को सम्मिलित करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसी दशा में झगड़ा तब उठ सकता है जब कि राज्य, केन्द्र द्वारा लगाये गये शुल्क से अधिक शुल्क कृषि सम्पत्ति पर लगाना चाहें। इसी लिए कृषि भूमि केवल राज्यों के लिए ही रक्षित रखी गई है। और इसके अतिरिक्त मैं नहीं समझता कि हम अनुच्छेद २६९ के आधीन विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न शुल्क लगा सकते हैं। संसद दरों के संबंध में भी भेद भाव नहीं कर सकती। मेरी निजी राय तो यह है कि इसको (कृषि भूमि को) समष्टीकरण के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु ऐसे मामलों में विवादग्रस्त प्रश्न को स्वयं तय करने का उत्तरदायित्व मैं नहीं लेना चाहता हूं। सौभाग्यवश माननीय मंत्री ने इस विशेष खण्ड (कृषि भूमि) को अलग करने के सम्बन्ध में एक संशोधन दिया है ताकि सदन का इस पहलू पर विशेष ध्यान आकर्षित किया जा सके।

११ म० पू०

सदन इस मामले को तय करेगी।

एक माननीय सदस्य : क्या यह संभव है कि हम लोग यहां इस विषय पर महान्यायवादी के विचार सुन सकते हैं ?

श्री ए० एम० टामस : चूंकि यह बहुत गंभीर विषय है, अतः यह अत्यन्त आवश्यक है कि उस पर महान्यायवादी प्रकाश डालें।

उपाध्यक्ष महोदय : महान्यायवादी अभी यहां नहीं है। माननीय विधि मंत्री उपस्थित हैं। आइये हम उनके विचार सुनें। इस संवैधानिक विवाद विषय पर अन्तिम निर्णय

[उपाध्यक्ष महोदय]

सदन द्वारा किया जायेगा ताकि वह स्थिति को ठीक से समझ सके—मेरा यही निर्णय है।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : मैं उपाध्यक्ष महोदय के निर्णय पर संदेह प्रकट नहीं करना चाहता। मैं केवल अपने ही विचार प्रकट करूंगा।

इस खण्ड पर किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए हमें यह तय करना है कि किस सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क लगाया जायेगा। यह प्रश्न दरों को निश्चित करने के प्रश्न से पृथक है। इन दोनों को अलग अलग रखना चाहिए।

दर निश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक नहीं है कि केवल वही सम्पत्ति सम्मिलित की जाये जिस पर शुल्क लगाया जायेगा। उसके साथ आप अन्य सम्पत्ति को भी सम्मिलित कर सकते हैं और तब दर निश्चित कर सकते है। संघ के कुछ राज्यों ने भी यही पथ अपनाया है। उदाहरणार्थ आसाम में सम्पदा शुल्क के सम्बन्ध में इसी प्रकार समष्टीकरण वहां की विधान परिषद् द्वारा किया गया है।

खण्ड ५ में सम्पदा शुल्क लगाये जाने के लिए उपबन्ध है। उसके अनुसार सम्पदा शुल्क इस अधिनियम में दी गई सभी सम्पत्तियों के मुख्य मूल्य पर लगाया जायेगा। शुल्क सम्पत्ति पर लगाया जाता है। शुल्क की दर का प्रश्न अलग है। संविधान में अथवा अन्य कहीं भी ऐसी कोई भी उपबन्ध नहीं है कि दर निश्चित करने के लिए आप अन्य किसी सम्पत्ति को सम्मिलित नहीं कर सकते। कुछ व्यक्तियों ने इस सम्बन्ध में आयकर अधिनियम का हवाला दिया है। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा, उसके सम्बन्ध में ऐसा समष्टीकरण नहीं है क्योंकि यह प्रथा वर्ष १८६६ से चली आ रही है और यह सोचा गया कि इसमें कोई परिवर्तन न किया जाये। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसा किया नहीं जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाने का अधिकार केवल राज्यों को तथा अन्य प्रकार की सम्पत्तियों पर शुल्क लगाने का अधिकार केन्द्र को दिया गया है। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछ सकता हूं कि आखिर संविधान में यह अन्तर क्यों किया गया है, जब कि अनुच्छेद २६९ के आधीन लगाया जाने वाला सम्पूर्ण शुल्क राज्यों में ही वितरित किया जाना है? केन्द्र को अथवा केन्द्र की संचित निधि को इसमें से कुछ भी नहीं मिलना है। मेरे विचार से अस्पष्ट रूप से संविधान का इस सम्बन्ध में तात्पर्य यही है कि जो चीज़ केन्द्र के क्षेत्राधिकार से निकाल ली गई है, उसमें समष्टीकरण और अन्य तरीकों के द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री बिस्वास : श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि हम जो करना चाहते हैं उससे इस अधिकार का किसी प्रकार उल्लंघन होता है। यहां पर कृषि भूमि पर कोई सम्पदा शुल्क नहीं लगाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय विधि मंत्री मेरी बात ठीक से नहीं समझ।

केन्द्र कृषि सम्पत्ति को छोड़ कर अन्य सम्पत्तियों पर सम्पदा शुल्क लगा सकता है। कृषि सम्पत्ति पर केन्द्र तभी सम्पदा शुल्क लगा सकता है जब कि राज्य उसको इस अधिनियम की अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए तैयार हो। किन्तु यदि राज्य इस चीज़ के लिए तैयार न हो, तो प्रश्न यह

उठता है कि क्या समष्टीकरण के लिए कृषि भूमि सम्मिलित की जा सकती है।

मान लिया कि समष्टीकरण और सम्पत्ति पर करारोपण दो विभिन्न चीज़ें हैं। तब फिर कृषि भूमि को अनुच्छेद २६९ के क्षेत्र से बाहर क्यों रखा गया है? यदि किसी कारण केन्द्र के क्षेत्राधिकार से उसको बाहर रखने का तात्पर्य नहीं है, तो फिर यह अन्तर क्यों किया गया है?

श्री सी० डी० देशमुख: श्रीमान्, क्या मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं?

यह अलग इस लिए रखा गया है क्योंकि राज्यों को कृषि भूमि के सम्बन्ध में यह स्व-विवेक दिया गया है कि यदि वे चाहें तो अभी अथवा बाद में एक समान विधान के आधीन आ जायें, या अपनी अलग करारोपण योजना बनायें। एक या दो राज्यों ने कहा है कि वे इस विधान के परिणामों की प्रतीक्षा करेंगे। यदि वे इसको पसन्द करते हैं, तो उनको केवल इतना ही करना है कि जो विधि हम यहां पारित करेंगे उसको वे स्वीकार कर लें। लेकिन दो या तीन ऐसे भी राज्य हैं जो अपनी अलग योजना बनाने का विचार करते हैं। हो सकता है वे जो शुल्क लगायें वह उच्चतर हों या निम्नतर। पर यदि ऐसा करने में वे राज्य और हम भी समष्टी-करण करते हैं तो सम्बन्धित सम्पत्ति पर ज्यादती होगी। दूसरे शब्दों में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि किसी राज्य में अपनी अलग करारोपण योजना हो जो हमसे अधिक हो और जिसमें किसी कृषि सम्पत्ति को यह छूट दी न जाये। समष्टीकरण के लिए हम सारी सम्पत्ति को सम्मिलित कर लेते हैं और ऊंची दर रखते हैं। लेकिन वास्तविक शुल्क गैर कृषि सम्पत्ति से लिया जाता है। राज्य चाहे तो अपनी दरें निश्चित करने के लिए गैर-कृषि सम्पत्ति का समष्टकरण कर सकती है और या तो उसके कारण अथवा शुरू से ऊंची दरें होने के कारण उस विशेष सम्पत्ति को उस राज्य में ऊंची दर से सम्पदा शुल्क देना पड़े। ज्यादती के यही मामले होंगे पर वे संविधान के उल्लंघन के मामले नहीं होंगे।

श्री बिस्वास: माननीय वित्त मन्त्री ने सारी बातें स्पष्ट कर दी है। वास्तव में यहा पर ऐसी कोई बात नहीं है कि संघ सरकार ऐसी भूमि पर शुल्क लगा रही है, जिसपर उसे कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई राज्य इस अधिनियम की अनुसूची में नहीं आता है और अपने वहां अलग से शुल्क लगाना चाहता है, तो दरें निश्चित करने में वह चाहे तो गैर-कृषि भूमि को भी सम्मिलित कर सकता है, जो संघ विधान मण्डल के आधीन है। यहां पर भी बिल्कुल वैसा ही मामला है।

जो राज्य स्वतंत्र रूप से अपने यहां शुल्क लगाना चाहता है वह, अधिक संभावना तो यह है कि, शुल्क संसद् द्वारा निश्चित दर की अपेक्षा ऊंची दर पर लगायेगा।

राज्य अपने में स्थित केवल कृषि भूमि पर ही शुल्क लगा सकता है और संघ गैर-कृषि भूमि पर। लेकिन दरें इस प्रकार के समष्टीकरण के फलस्वरूप निश्चित की जा सकती हैं जैसा यहां करने का विचार है।

भेद भाव का प्रश्न भी उठाया गया है। पर वास्तव में यहां पर कोई भेद भाव नहीं किया गया है। जहां तक संघ विधान का सम्बन्ध है सभी प्रकार की सम्पत्तियों पर, संघ में गैर-कृषि भूमि और ऐसे राज्यों मे, कृषिभूमि, जो इस विधान को स्वीकार करते हैं, शुल्क की दरें एक सी होंगी। यदि आप खण्ड ५ को देखें तो पायेंगे कि अन्य

[श्री बिस्वास]

राज्य जब इस प्रकार इसमें सम्मिलित होने के प्रस्ताव पारित करेंगे तो वे अनुसूची में सम्मिलित कर लिए जायेंगे। अतः यहां पर निर्दिष्ट श्रेणी एक ही है। कोई भेद भाव नहीं है।

कई माननीय सदस्य खड़े हुए—

यक्ष महोदय: मैं अन्य किसी मान य सदस्य क इस विषय पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। धारावार तथा संशोधन के विचार के समय माननीय सदस्य-गण उसकी ओर निर्देश कर सकते हैं। अब इस खन्ड और संशोधनों पर विचार किया जा सकता है।

जिन्होंने संशोधन नहीं रखे हैं वे भी बोल सकते हैं। सर्वप्रथम वित्तमंत्री अपने संशोधन के विषय में कहेंगे तदोपरांत में दूसरे सदस्यों को बोलने के लिये कहूंगा। मैं यह पूर्व में कह चुका हूं कि मैं इसे सदन के निर्णय पर ही छोड़ुंगा। एक पूर्व उदाहरण है जिसके विषय में मैं कह चुका हूं।

अब हमें स्थिति का अवलोकन व्यावहारिक दृष्टिकोण से करना होगा जहां लोक सरकारी विधेयकों तथा संशोधन की बात है वहां तक विधि पदाधिकारियों को यह देख लेना चाहिये कि वे ऐसे विधान एवं संशोधन रख जिसके बारे में वे समझते हैं कि सभा उन्हें पारित करन में समर्थ है। गैर सरकारी विधेयकों एवं सशोधनों के विषय में भी सरकारी विधि ज्ञाता एंव परामर्शदाता इसका परामर्श देगें कि इस प्रकार के विधेयक एंव संशोधन पारित करने की क्षमता सभा अथवा अब इस सदन को करने की है अथवा नहीं। सभापति (अब अध्यक्ष) यदि वह उचित समझें तो स्थायी आदेश ३२ के अनुसार सम्बन्धित विषय पर भाषण दे सकते हैं किन्तु जो कुछ भी वह कहेंगे वे शब्द वैधानिक प्रश्न के अर्न्तगत नियम १५ के अनुसार सदन पर लागू नहीं होंगे।

मैंने अपना दृष्टि कौण रख दिया ह। मैंने इसका निर्णय करना सदन पर छोड़ दिया है। विधि मंत्री, वित्त मंत्री तथा अन्य सदस्यों की विचारधारा सदन ने सुन ली। मैं उस भाग को संशोधन संख्या ७२० के अर्न्तगत रखूगां, शेष को मत के लिए और उसके पश्चात इस भाग को अलग से मत लेने के लिए भी रखूगा।

उपाध्यक्ष महोदय: यदि खंड ३१ आज समाप्त हो गया तो फिर केवल खंड ३४ रह जायेगा खण्ड ३१ के बारे में वित्त मंत्री ने जिन रियायतों के बारें में कह दिया है उससे अधिक रियायत और नहीं हो सकती। हमारे पास एक दिन और भी है अतएव खंड ३३ हम अभी समाप्त कर देंगे।

श्री सी० डी० देशमुख: मैं इससे सहमत हूं कि हम लोग खंड ३३ आज समाप्त कर दें। यदि आप मूल संशोधन संख्या ५४० को देखें तो अनुसूची के अनुसार आप देखेंगे कि छोटी आय पर शुल्क का आंकन किया जायगा, क्योंकि यदि वह संशोधन मान लिया जाय तो ५० हजार और ७५ की विमुक्त सीमा जोकि समष्टीकरण से निकाली जाने को है, वर्तमान खंड की भाषा के अनुसार, उपखंड (१) को जिसके अनुसार सम्पत्ति का मुख्य मूल्य निर्धारित होता है उसे भी निकालना होगा। किन्तु खंड ३४ से सम्बन्धित दरों की अनुसूचि के अनुसार हमने इन विमुक्ति सीमाओं

पर भी सम्पदा शुल्क लगाता है । जो व्यक्ति प्रथम भाग में आते हैं उन पर कोई शुल्क नहीं लगाया जायगा । दूसरे शब्दों में हम इस बात की अवहेलना करते हैं कि हम खंड भाग के अनुसार चल रहे हैं और हमने सोचा था कि इस समस्या को सुलझाने का साधन यह है कि हम इन्हें सम्मिलित करलें ताकि इनको निकालें किन्तु उसे विशेष खंड के विरुद्ध पहले भाग में रखना अथवा दूसरे में, तो दर 'कुछ नहीं' रहती, और यह बात इस संशोधन से हमें मिलती है और अब अनुसूची की रूपरेखा ज्यों की यों रहेंगी ।

(श्री पाटस्कर अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए)

श्री वी० बी० गान्धी : वित्त मंत्री के दोनों संशोधनों ५४० तथा नये संशोधन ७२० में केवल इतना अन्तर है कि नये संशोधन के अनुसार खंड ३४ के अनुसार न्यूनतः विमुक्त सीमा को सम्मिलित करना है जबकि पूर्व संशोधन में इसको निकाल देना था । वास्तव में देखा जाय तो यदि मूल खंड ३३ को असंशोधित रखा जाये तो, और यदि हम वित्त मंत्री के पहले संशोधन ५४० को स्वीकार भी कर लें तो इसका प्रभाव यह होगा कि ५० हजार अथवा ७५ हजार मृत्यु के उपरांत दी जाने वाली सम्पत्ति को प्रकृति के अनुसार वह दो बार लग जायगी एक बार तो खंड योजना के अनुसार तथा दूसरी बार खंड ३४ के अनुसार । जैसे ही यह विधेयक प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया तो मैंने एक संशोधन शुरु में ही रखा था । और वह संशोधन यह है

पृष्ठ २० पर पंक्ति २१ से २३ में :

For "Excluding property on which no estate duty is leviable under section 34, but including property exempted from duty under section 32 and" Substitute

(उस सम्पदा को निकाल कर जिस पर खंड ३४ के अनुसार कोई सम्पदा शुल्क नहीं लग सकता किन्तु उस सम्पदा को जो कि खंड ३२ के अनुसार सम्पदा शुल्क से मुक्त है उसे सम्मिलित करके") के स्थान पर निम्न आदिष्ट कर दिया जाय

"Including property exempted from estate duty under section 32 and section 34 and also including" agricultural land etc.

(खंड ३२ तथा खंड ३४ के अनुसार सम्पदा शुल्क से मुक्त की हुई सम्पत्ति को सम्मिलित करके तथा कृषि योग्य भूमि आदि को सम्मिलित करके) ।

यह मेरा मूल संशोधन था जिसके बारे में बहुत दिन हुए तब सूचना दे दी गई थी । किन्तु इसी बीच वित्त मंत्री खंड ३२ के अन्तर्गत विमुक्ति के सम्बन्ध में कुछ परिवर्तन करते हुए संशोधन संख्या ५४० रख दिया । अतएव मुझे दूसरे संशोधन संख्या ६९४ की सूचना देनी पड़ी जिसे मैंने आज प्रस्तुत किया है ।

इस संशोधन का कुल लाभ यह होगा कि खंड ३४ के अनुसार निम्नतम विमुक्ति भत्ता को नहीं निकालना चाहिए किन्तु समष्टीकरण में इसे सम्मिलित कर लेना चाहिए । अब यह वित्त मंत्री के नये संशोधन के अनुसार सम्मिलित कर लिया गया है । अब मैं इसका समर्थन करता हूं ।

पंडित एस० सी० मिश्र (मगेर उत्तर-पूर्व) : वित्त मंत्री को इस बात का

[पं० एस० सी० मिश्र]

आश्वासन सदन को देना होगा कि इस प्रकार की कमियां प्रायः आमतौर से उनके विभाग में नहीं हुआ करतीं। यदि केवल खंड में अथवा अनुसूची में से पहली पंक्ति अर्थात ५० हजार पर सम्पदा शुल्क की कोई दर नहीं लगेगी निकाल दी गई होती तो मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री को न तो संशोधन ५४० को रखने की और न संशोधन ७२० को रखने की आवश्यकता पड़ती।

खंड ३२ (१) (क) में हम देखते हैं कि धार्मिक प्रयोजनों के लिए २५ हजार रुपये को युक्त कर दिया है। किन्तु अनुसूची में वित्त मंत्री कहते हैं कि दर निर्धारण करने के लिए कम से कम इसे समष्टीकरण में सम्मिलित कर लेना चाहिए। मैं समझता हूं कि वित्त मंत्री इससे अजानकार नहीं हैं कि आमतौर से हम इसे अपनाते हैं। प्रायः यह उन लोगों को कठिन पड़ती है जो कि जनता से दान लेने के लिए धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं। आप जिस प्रकार इस विधेयक को रख रहे हैं उससे तो यह प्रकट होता है कि दाता तथा उसके उत्तराधिकारियों में सदैव ही लड़ाई होती रहा करेगी यह निश्चित है कि राष्ट्र का कार्य चलाने के लिए सभी सरकारें कुछ अंश तक दान की संस्थाओं पर निर्भर रहती है। यहां तक कि यदि किसी अच्छे कार्य के लिए भी यदि दान की आवश्यकता पड़ती है और यदि कोई व्यक्ति दान देना भी चाहता है तो उसके उत्तराधिकारी सदैव ही उसका विरोध करेंगे। वे कहेंगे कि इस प्रकार न केवल वे उस भाग से ही वंचित होंगे अपितु उन्हें अधिक कर भी देना होगा। इस कारण को ध्यान में रखते हुए मैं वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह कम से कम (क) को निकाल दें। जैसा कि मैंने कहा है कि २५ हजार की राशि कोई ऐसी राशि नहीं है जिससे सरकार को बहुत सी आय होती हो। प्रायः ऐसा होता है कि उत्तराधिकारी अपने माता पिता को दान देने से रोकते हैं। अतएव मैं नम्र निवेदन करता हूं कि वित्त मंत्री समष्टीकरण में से इसे निकाल दें।

श्री कानावडे पाटिल : वर्तमान विधेयक के अनुसार कर लेने के प्रयोजन के लिए कृषि सम्पदा को सम्मिलित नहीं कर सकते। यदि हम संविधान के अनुच्छेद २५२ के उपबन्धों को देखें तो यह प्रकट हो जाता है कि यह धारा केवल उन्हीं राज्यों के लिए लागू होती है जिन्होंने अपने यहां यह पारित कर दिया है कि कृषि सम्पत्ति पर कर लगना आवश्यक है। यह तो सभी भली भांति जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में भूमि का मूल्य एक सा नहीं है। अतएव कर की मात्रा निश्चित करते समय मूल्यांकन कर्त्ता एवं नियंत्रकों को भूमि सम्पत्ति का मूल्यांकन करने में बहुत कठिनाई होगी। भूमि का मूल्य भी घटता बढ़ता रहता है। यह भी साधारण सी बात है कि जिनके पास बहुत बड़ी भूमि सम्पत्ति है उनके पास नकद रुपया कभी कभी बिल्कुल भी नहीं निकलता। यह भी हो सकता है कि यदि निश्चित समय में कर मांगा जाय तो कृषकों के लिए यह सभंव नहीं है कि वे कर भुगतान करने के लिए एकदम रुपया निकाल दें। कृषकों को अपनी भूमि सम्पत्ति बेचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और यह कोई आम बात भी नहीं है कि सदैव ही भूमि के खरीदार मिल जांय। कृषि सम्पत्ति पर

कर लगाने के सम्बन्ध में इस प्रकार की नाना प्रकार की कठिनाइयां होंगी अतएव मेरा विचार है कि प्रारम्भ में उस समय तक के लिए कृषि भूमि को शुल्क से बिलकुल ही मुक्त रखा जाय जब तक कि भारत संघ के सभी राज्य ऐसा प्रस्ताव पारित न करदें कि उनके यहां कृषि सम्पत्ति पर शुल्क लगाया जाय । आमतौर से कृषि भूमि बड़ी मल्यवान समझी जाती है और इसी कारण ऊंचे दामों पर बिकती है । अतएव यह बहुत कुछ संभव है कि भूमि का भूल्यांकन उचित ढंग से न हो । मेरा यह नम्र निवेदन है कि ५० एकड़ भूमि तक को विमुक्त किया जाय । समष्टिकरण में से ५० एकड़ भूमि को निकाल देना चाहिये ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : हम इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि जहां तक उन राज्यों का संबंध है, जिनका अनुसूची में उल्लेख है कृषि भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाया जायेगा । अन्य राज्य जैसे पंजाब और मद्रास इस शुल्क से मुक्त रहेंगे । जब तक वे अनुसूची में आना नहीं चाहते तब तक उन्हें अपने यहां भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाने के बारे में क़ानून बनाने का अधिकार है । अब आप देखिये इन राज्यों का क्या हाल होगा ? मान लीजिये पंजाब राज्य अपने यहां की भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाने वाला क़ानून पारित करता है । पंजाब राज्य केवल कृषि भूमि पर शुल्क वसूल करेगा परन्तु समष्टिकरण के लिये अन्य सम्पत्ति भी शामिल की जायेगी । केन्द्र अन्य सम्पत्ति पर शुल्क वसूल कर सकेगा और समष्टिकरण के लिये वह भी कृषि भूमि को शामिल करेगा । यह एक बहुत कठिन स्थिति होगी ।

कम से कम उन राज्यों में जो इस अनुसूची में शामिल नहीं हुए हैं, एक ही सम्पत्ति पर दोबारा कर वसूल किये जाने का डर है । पंजाब को ही ले लीजिये । मान लीजिये वह सम्पदा शुल्क लगाने वाला क़ानून बनाता है । तो कृषि-भूमि पर सम्पदा शुल्क वसूल करते समय वह समष्टिकरण के लिये कृषि-भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति का भी शामिल करेगा । फिर, केन्द्र कृषि-भूमि को छोड़ कर अन्य सम्पत्ति पर शुल्क लेते समय कृषि-भूमि को शामिल करेगा । इसका नतीजा यह होगा कि एक ही सम्पत्ति को दो बार गिन लिया जायेगा ।

श्री सी० डी० देशमु : दोनों मामलों में दर ऊंची होगी ।

सरदार हुक्म सिंह : दर इस मामले में भी बढ़ जायगी । केन्द्र समष्टीकरण के लिये कृषि भूमि शामिल करेगा तो भी दर बढ़ेगी और जब राज्य कृषि-भूमि छोड़ कर अन्य सम्पत्ति शामिल करेंगे तो भी बेचारे किसान दोनों बात से नुक्सान उठायेंगे । अन्य राज्यों के किसानों के मुकाबले में उनकी तकलीफें बहुत बढ़ जायेंगी । अतः मेरा निवेदन है कि कम से कम उन राज्यों के संबन्ध में जो इस अनुसूची में शामिल नहीं है, समष्टिकरण के लिए कृषि-भूमि या सम्पत्ति को न गिना जाय ।

श्री मूल चन्द दुबे (जिला फर्रुखाबाद उत्तर): विधेयक के खंड ३२ के अन्तर्गत कुछ चीजों को शुल्क से मुक्त रखा गया है । खंड ३४ के अन्तर्गत कुछ सम्पत्तियों पर कुछ सीमा तक कर नहीं लगाया जा सकता । अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि इन खंडों में आने वाली सम्पत्तियों को समष्टिकरण के प्रयोजनार्थ गिना जाये

[श्री मूल चन्द दुबे]

या नहीं । मेरा निवेदन तो यह है कि इन्हें नहीं गिना जाना चाहिये । जब आपने इन्हें कर से मुक्त रखा है तो फिर इन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिये ।

कृषि भूमि के बारे में मेरा यही निवेदन है कि इसे शामिल नहीं किया जाय। इस देश के किसान अभी भारी कर देने में असमर्थ हैं । यदि यह कर लगा दिया जायेगा तो उसकी स्थिति और भी खराब हो जायेगी ।

श्री के० के० बसु : मैं यह कहूंगा कि माननीय वित्त मंत्री ने मूल खंड में सुधार करने का अवश्य प्रयत्न किया है। अब तक जो बहस हुई है उससे पता चलता है कि इस खंड के क्षेत्र के बारे में कुछ मिथ्या धारणा है। करारोपण की स्तर प्रणाली को ध्यान में रखते हुए, जिसे हमने स्वीकार किया है, यह नितान्त आवश्यक है कि खंड ३२ के अन्तर्गत जिन सम्पत्तियों को मुक्त रखा गया है। उन्हें समष्टिकरण के प्रयोजनार्थ गिना जाये।

माननीय वित्त मंत्री ने एक संशोधन रखा है जिसके द्वारा वह उपखंड (ज) तथा (झ) के अन्तर्गत कुछ वस्तुओं को विधेयक के क्षेत्र से बाहर रखना चाहते हैं परन्तु उस राशि पर जो इस खंड के अन्तर्गत मुक्त की जा सकती है प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं।

जहां तक उपखंड (घ) तथा (ङ) का संबंध है मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इन्हें समीकरण के लिए शामिल करें क्योंकि पुस्तकों तथा पहनने के वस्त्रों आदि के बारे में हमने मूल्य की सीमा निर्धारित नहीं की है इसलिए समष्टिकरण के प्रयोजनार्थ इन्हें गिना जाना चाहिए।

अब मैं कृषि-भूमि को शामिल किए जाने के प्रश्न पर आता हूं। कुछ मित्रों ने कहा कि कृषि भूमि को न गिना जाये क्योंकि उनकी राय में इससे विभेद होगा। परन्तु मैं समझता हूं कि विभेद तो अब होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति की भारत स्थित सारी सम्पत्ति पर, जिसमें कृषि सम्पत्ति भी शामिल है समष्टिकरण द्वारा कर लगाया जाता है। मान लीजिए यह उस राज्य के लिए है जहां यह विधेयक कृषि-भूमि पर लागू होगा। इसका अर्थ यह है कि बजाये दो अलग अलग कानूनों के, एक भारत के लिए जिसमें कृषि भूमि शामिल नहीं है दूसरे उस कृषि भूमि के लिए जो किसी विशेष राज्य में स्थित है, हम एक ही कानून से काम ले रहे हैं। एक मामले में समष्टिकरण सारी सम्पत्ति के करों में होगा। जिसमें कृषि भूमि भी शामिल है। दूसरे में, जब किसी व्यक्ति की सम्पत्ति, कृषि तथा अन्य सम्पत्ति दोनों अनुसुची के बाहर वाले राज्य में है, तो यदि हम यह मान लें कि समष्टिकरण के लिए कृषि भूमि को न गिना जाये तो इसका नतीजा यह होगा कि उसी सम्पत्ति के लिए उसे कम कर देना होगा। अतः मेरा निवेदन है कि विभेद तो तब तक होगा जब हम अनुसुची के बाहर के राज्यों की कृषि भूमि को समष्टिकरण के प्रयोजनार्थ शामिल न करें और अनुसुची में शामिल राज्यों की सम्पत्ति को समष्टिकरण के लिए गिनें।

जहां तक दोहरे करारोपण का संबन्ध है। हम सम्पत्ति के मूल्य को केवल उस दर को निश्चित करने के लिए जोड़ रहे हैं जिस के अनुसार उस सम्पत्ति पर कर लगाया जायेगा। जो राज्य अनुसूची में शामिल नहीं है हम उनके यहां स्थित कृषि भूमि पर कर नहीं लगा रहे। इसलिए दोहरे करारोपण का कोई प्रश्न नहीं

उठता । संवैधानिक कठिनाइयों के बारे में मैं यह कहूंगा कि संसद् भारतीयों की भारत के बाहर स्थित अचल सम्पत्ति के बारे में कानून बना सकती है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रथाओं की वजह से यह उपबन्ध किया गया है कि इस का फैसला उस जगह के कानून के अनुसार हो जहां वह सम्पत्ति हो । परन्तु संसद् सम्पदा शुल्क लगाने के लिए उस सम्पत्ति को शामिल कर सकती है। इसलिए यह कहना उचित नहीं कि इस उपबन्ध के द्वारा हम संविधान के उपबन्धों का किसी प्रकार उल्लंघन कर रहे हैं। अतः मेरी राय है कि माननीय वित्त मंत्री के संशोधन को मेरे कुछ सुझावों के साथ स्वीकार कर लिया जाये । पिछले उपबन्ध की उपेक्षा निश्चय ही यह उपबन्ध कहीं अच्छा है।

श्री तुलसी दास: मन इस खंड के संबंध में दो संशोधन संख्या १३४ व १३५ रखे हैं । मैं पहले संशोधन संख्या १३५ लूंगा । इ के द्वारा मैं यह चाहता हूं कि यदि सम्पत्ति में ब्याज या किराये की राशि या अन्य कोई दायित्व शामिल हो और जिसे बाद में वसूल नहीं किया जाये तो उस सीमा तक सम्पत्ति के मूल्य में कमी कर दी जाये और उसका समीकरण न हो। इसी प्रकार आयकर दायित्व का प्रश्न है। यदि किसी व्यक्ति पर आयकर दायित्व उसकी सम्पदा के मूल्यांकन और शुल्क दे दिये जाने के बाद आता है तो उस सीमा तक सम्पत्ति में कमी कर दी जाये और जिस हद तक सम्पत्ति में दायित्वों के कारण कमी हुई है उस हद तक समीकरण न हो। मेरे संशोधन का सार यही है ।

अपने दूसरे संशोधन (संख्या १३४) द्वारा मैं यह चाहता हूं कि जो सम्पत्ति केवल इस कारण कि संबंधित व्यक्ति की मृत्यु के पहले निर्धारित समय-अवधि व्यतीत नहीं हुई है, उसकी मृत्यु के बाद दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है या चली गई समझी जाती है, उसे अन्य सम्पत्ती के साथ समीकृत न किया जाये ; वह सम्पत्ति अलग सम्पदा होगी और उस पर मुख्य मूल्य वाली दर के हिसाब से शुल्क लिया जाये। जब कोई सम्पत्ति स्वयं एक सम्पदा होगी तो ऐसी सम्पत्ति रखने वाला व्यक्ति ही उस सम्पदा शुल्क देने के लिए उत्तरदायी होगा। इंग्लैंड में इस प्रकार का उपबन्ध मौजूद है ; मैंने यह संशोधन इसी लिए रखा है कि जो उपबन्ध इंग्लैंड के क़ानून में है, जिसकी हमने यह नक़ल की है, वह हमारे क़ानून में भी शामिल किया जाये ।

मेरा एक संशोधन (संख्या १३६) और है। चूंकि बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं इसलिए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड के क़ानून के अन्तर्गत जिन सम्पत्तियों को छूट दे दी गई है उन्हें समीकरण के लिए नहीं गिना जाता। इस विषय में मैं पहले भी अपने विचार प्रगट कर चुका हूं।

श्री बंसल (झज्जर रिवाड़ी) : मैं वित्त मंत्री से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रवर समिति के प्रतिवेदन और संशोधन में यह प्रस्ताव है कि किन्हीं किस्म की सम्पदा को दर के प्रयोजनार्थ जोड़ा जायेगा । दर की दृष्टि के सम्पदा शुल्क के विषय में इस जोड़ का क्या अर्थ है ? आयकर में तो यह विचार महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें यदि आय के किसी बिशेष भाग को सम्मिलित कर लिया जाये तो सम्पूर्ण सम्पत्ति आयकर के दायरे में आ जाती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिये

[श्री बंसल]

५०,००० और ५०,००० अथवा ५० लाख और ५० लाख के मूल्य की दो विभिन्न सम्पदायें हैं और इनका जोड़ एक लाख अथवा एक करोड़ हो जाता है। इन पर करारोपण की दर क्या रहेगी? अभी कोई ऐसी दर सामने नहीं है और मैं नहीं जानता कि उसका यथार्थ रूप क्या रहेगा। यदि उस विषय में स्पष्टीकरण कर दिया जाये तो बड़ी प्रसन्नता होगी। जब आप सम्पत्ति के कुल जोड़ के अनसार दर निर्धारित करेंगे तो इसका अर्थ है कि समूची सम्पत्ति पर कर लगाया जायेगा।

श्री गाडगिल : वह कर से मुक्त रहेगी।

श्री बंसल : वह कर मुक्त क्यों रहेगी। मैं यही जानना चाहता हूं। कृपया मुझे सही समझा दीजिये। आप बार बार सरकारी पक्ष की ओर से बीच बीच में बोल रहे हैं।

उदाहरणार्थ, पांच लाख के मूल्य की अलग अलग दो सम्पत्तियां हैं। कुल जोड़ १० लाख है। इस तालिका के अनुसार प्रथम पचास हज़ार की सम्पत्ति कर मुक्त है। द्वितीय पांच हज़ार की सम्पत्ति पर क्रमशः ५, ६ १/२ अथवा दस प्रतिशत की दर से कर लगेगा और इस के दस लाख की सीमा चूम लेने पर उस पर २५ प्रतिशत की दर से कर लगाया जा सकेगा। अर्थात् समस्त सम्पत्ति पर विभिन्न दरों से कर लगेगा। इसमें कर मुक्त करने का कोई प्रश्न नहीं है। माननीय वित्त मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इस विषय में स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सदन का विश्वास प्राप्त करें।

श्री शोभा राम : मैं श्री बंसल से सहमत हूं। दो बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। मान लीजिये अनुसूचित राज्य में अ-कृषि सम्पत्ति एक लाख रू० है और कृषि सम्पत्ति २,५०,००० रू० के मूल्य की है। इसका अर्थ यह है कि खण्ड ३३ के अन्तर्गत सम्पत्ति का जोड़ ३,५०,००० रू० है। तत्पश्चात् हम खण्ड ३४ के अधीन कर निर्धारण की दरों पर आते हैं। हम जानते हैं कि प्रथम ५००० पर कोई शुल्क नहीं है फिर यह ७ १।२ प्रतिशत, दस प्रातशत से बढ़ कर ३,००,००० से ३,५०,००० तक १५ प्रतिशत तक हो जाती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि १५ प्रतिशत वसूल किया जायेगा अथवा उक्त दरों का ५ प्रतिशत, ७ १/२ प्रतिशत—१० प्रतिशत और फिर १५ प्रतिशत—औसत है। कर की दर क्या होनी चाहिये? यदि एक ही प्रणाली—क्रमबद्ध प्रणाली—होती तो इतनी कठिनाई उत्पन्न नहीं होती किन्तु अतिरिक्त राशि प्रणाली के कारण ही समस्त कठिनाईयां पैदा होती हैं क्योंकि ५०,००० रू० के पश्चात् उसमें दरें परिवर्त्तनीय हैं।

अब मैं एक ऐसे अनुसूचित राज्य का उदाहरण लेता हूं जो कृषि-सम्पत्ति के सम्बन्ध में अभी केन्द्र से समायोजित नहीं हैं। मान लीजिए कि वहां १,००,००० रू० की अ-कृषि सम्पत्ति और २,५०,००० रू० की कृषि सम्पत्ति है। कुल जोड़ ३,५०,००० रूपये है। ३,५०,००० रू० पर उच्चतम शुल्क ५०,००० रू० यानि पन्द्रह प्रतिशत है; १,००,००० रू० पर १२ १/२ प्रतिशत; तब ५०,००० रू० पर १० प्रतिशत; फिर ५०,००० रू. पर ७ १/२ प्रतिशत और अन्तिम ५०,००० रू० पर यह ५ प्रतिशत होता है। अब हम इन विभिन्न दरों की औसत लें अथवा प्रथम ५०,००० की १५ प्रतिशत और दूसरे ५०,००० की १२ १/२ प्रतिशत की उच्चतम दरें लें।

सभापति महोदय : मेरा विचार है डा० कृष्णस्वामी उपवर्णित तथ्यों पर ही नहीं बोलेंगे ।

डाक्टर कृष्णस्वामी : नहीं । मेरा विचार है कि जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उस पर श्री बसु ने पहले ही कह दिया है । सभापति महोदय, वैसे तो प्रत्यक्ष में यह खण्ड सरल है किन्तु उस से कुछ मूलभूत विवादों की सृष्टि होती है ।

सम्पदा शुल्क और आयकर के समूहकरण खण्डों के रूपों में भिन्नता है । मेरा विचार है कि सदन तब तक अपने कर्त्तव्य का भली भांति पालन नहीं करता है जब तक कि वह कृषि भूमि के सम्मिलित करने से उत्पन्न जटिलताओं पर विचार विमर्श नहीं कर लेता है क्योंकि कृषि भूमि पर केन्द्र का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है । एक उदाहरण की सहायता से मैं उसे प्रस्तुत करूंगा ।

दो व्यक्तियों की कल्पना कीजिये जिसमें से एक के पास १,००,००० रु० की अ-कृषि सम्पत्ति है और दूसरे के पास १,००,००० रु० की अ-कृषि सम्पत्ति है तथा इस के साथ ही दूसरे व्यक्ति के पास ७५,००० रु० के मूल की सम्पत्ति एक ऐसे राज्य में है जिस ने केन्द्र द्वारा शुल्क लगाये जाने पर अपनी स्वीकृति नहीं दी है । अब प्रथम व्यक्ति की सम्पत्ति पर कर की एक निश्चित दर लगाई जायेगी । दूसरे व्यक्ति की स्थिति में उच्चतर दर प्रयुक्त की जायेगी । परिणाम स्वरूप एक ही प्रकार की सम्पत्ति के दो विभिन्न वर्गों पर कर की दर में विषमता हो जायेगी । स्पष्टतः ही यह भेदपूर्ण मामला है ।

आप इसे यह कह कर नहीं टाल सकते कि आप कृषि भूमि पर कर देने के लिये उक्त व्यक्ति से नहीं कह रहे हैं । यथार्थ तो यह है कि आप का उस भूमि पर अधिकार ही नहीं है । यह एक विवादास्पद विषय है और उच्चतम न्यायालय अथवा देश के अन्य न्यायालयों के समक्ष यह विषय रखा जायगा । एक सदन की स्थिति के रूप में यह हमारा कर्त्तव्य है कि हमारे द्वारा प्रवर्तित व्यवस्था संविधान के उपबंधों के अंतर्गत ही है । इस कथन में कोई उपयोगिता नहीं है कि आखिरकार कठिनाईयां तो आयेंगी ही । कठिनाईयां विभिन्न स्तर हैं । किन्तु जहां पर हम संविधान की दृष्टि से असमर्थ हैं ऐसे विषय तो भिन्न हैं । इस विषय पर काफी चर्चा हो चुकी है और उसी को लेकर आज प्रातःकाल एक औचित्य प्रश्न भी पूछा जा चुका है और यदि आपका यह मत है कि उस विषय में कोई महत्व नहीं है तो आप इसे अपनी इच्छानुसार स्वीकृत कर सकते हैं । हमारे सामने प्रत्यक्ष मार्ग यह है कि हम राज्यों से अनुनय करें कि वे केन्द्र को सम्पदा शुल्क लगाने की स्वीकृत दे दें । यदि ऐसा नहीं किया गया तो यह निरा वैषम्य पूर्ण विषय हो जाता है ।

श्री बर्मन : मैंने दो संशोधन उपस्थित किये हैं और इन में से पहले संशोधन पर मैं सदन में एक प्रश्न रखूंगा । क्या सदन यह सोचता है कि कृषि-सम्पत्ति को सम्मिलित न करने पर विषमता होगी अथवा कुछ अन्य कारण भी हैं । मुझे अन्य कोई कारण नजर नहीं आता है । ये सब शुल्क भले ही वह कृषि सम्पत्ति पर हो अथवा अ-कृषि सम्पत्ति पर, मूल रूप में राज्य की भलाई के लिये ही है । और यदि कोई विशेष राज्य उक्त राज्य में स्थिति कृषि-सम्पत्ति पर शुल्क लगाना पसन्द नहीं करता है तो हम केन्द्र की ओर से उसे ऐसा करने को

[श्री बर्मन]

क्यों कहते हैं। हमें अधिक उदार होने की क्या आवश्यकता है।

इसके बाद मूल्य निर्धारण के लिये नियत व्यवस्था भी जनता के लिये कठिनाईयां ही उत्पन्न करेगी जो कि मुख्यतः कृषक हैं। मेरा अभिप्राय यह है कि जब राज्य स्वयं अपनी जनता पर कर लगाने को इच्छुक नहीं है तो हम उस राज्य की सहायता करने के लिये इतने अधीर क्यों है जिसे हमारी सहायता की अपेक्षा नहीं है।

दूसरे संशोधन के सम्बन्ध में मैंने प्रवर समिति द्वारा आदिष्ट उपखण्ड (४) का परिमार्जन करने के लिये कहा था। इस विषय में मैंने साधारण गणना की है। श्रीमान, उदाहरण के लिये पश्चिम बंगाल के एक परिवार को लीजिये। यह परिवार मिताक्षर नियम से प्रशासित है और उस के पास कुछ कृष्य भूमि है। यदि किसी सभांशी की मृत्यु हो जाती है तो वह न केवल सभांश भूमि ही छोड़ता है किन्तु उसकी मृत्यु से इसे एक अलग सम्पत्ति का रूप मिल जाता है। अब व्यावहारिक दृष्टि से दो प्रकार की सम्पत्ति हो गई और स्पष्टिकरण के विचार से हमें कृषि सम्पत्ति का अनुगणन भी करना पड़ेगा।

मैं वित्त मंत्री से इसी विषय में स्पष्टीकरण करने की प्रार्थना करता हूं कि सभांशी और असभांशी सम्पत्ति में क्या मृतक सभांशी को दोनों आधार पर छूट मिलेगी। विधेयक में यह स्पष्ट न हीं है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना): सरदार हुक्मसिंह द्वारा उठाया गया प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित संशोधन इस अन्तर के समाप्त करने में प्रयत्नशील है किन्तु मेरा विचार है कि उनके उपरान्त भी विषमता का लोप नहीं होगा। अनुसूचित राज्य में किसी निश्चित सम्पत्ति पर एक व्यक्ति को १,००० रु० कर के रूप में देने पड़ते हैं तो अननुसूचित राज्य में उसी सम्पत्ति पर केवल ५७१ रु० ही देने पड़ेंगे। कांग्रेस दल इस सम्पदाशुल्क विधेयक को स्वीकृत करने में एकमत था और इसका विरोध करने वालों में मेरा स्वर एकाकी था। और अब वे सब छूट पाने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा विचार है कि कुछ प्रान्त अभी भी केन्द्र पर इस आशय का अनुनय कर रहे हैं कि उक्त क्षेत्रों में सम्पदा शुल्क न लगाया जाय। इन राज्यों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि अननुसूचित राज्यों की जनता के लिये शुल्क को देश में वृद्धि कर दो जाय। जमीदारी समाप्त करने के लिये अपने संविधान में संशोधन कर लिया जायें। मेरी इच्छा है कि राज्यों की कृष्य भूमि पर सम्पदा शुल्क लगाने का अधिकार प्राप्त करने के आशय से संविधान में परिवर्तन किया जाना चाहिये। अन्यथा यह जनता के मस्तिष्कों में भ्रम उत्पन्न कर देगा।

मेरा सुझाव यह भी है कि यदि आप उक्त कार्य विधि का आश्रय नहीं ले सकते तो दरों में परिवर्तन कर दीजिये ताकि देश में रहने वाले सब व्यक्तियों को समान स्तर पर लाया जा सके।

तीसरी कठिनाई स्तर प्रणाली (स्लैब सिस्टिम) के सम्बन्ध में है। संविधान में परिवर्तन करने पर हम उन कठिनाईयों को पार कर सकते है।

श्री सी० डी० देशमुख: क्रम-प्रणाली (स्टेप-सिस्टिम) और स्तर प्रणाली सम्बंध

में कुछ कहने के लिये यह उपयुक्त अवसर है।

क्रम प्रणाली में प्रत्येक क्रम पर दरें निश्चित की जाती हैं और उस क्रम से परे दरें सम्पत्ति आय पर लागू होती है। इस अवसर पर उस क्रम से नीचे की सम्पत्ति भी सम्मिलित कर ली जाती है। मैं उदाहरण नहीं दूंगा। मेरा विचार है कि वह यथेष्ट स्पष्ट किया जा चुका है। स्तर प्रणाली में आय को रकम अथवा सम्पत्ति अतिरिक्त राशियों में विभक्त कर दी जाती है और प्रत्येक अतिरिक्त राशि के लिये भिन्न भिन्न दरें हैं। अतः कुल दर विभिन्न अतिरिक्त राशियों का औसत है।

क्रम प्रणाली की त्रुटियां इस प्रकार हैं जब तक कि क्रम बहुत ही छोटे हैं और दरें क्रमशः बढ़ती हैं रकम की थोड़ी सी वृद्धि के लिये कर के वजन में तीव्र बढ़ती होती है। वर्षों पहले हमारे यहां आयकर में क्रम प्रणाली थी। दूसरी त्रुटी यह है कि प्रत्येक क्रम पर हमें थोड़ी सहायता देनी पड़ती है क्योंकि थोड़े से योग से वृहद् अन्तर पड़ जाता है। अन्यथा कर की निधि की वृद्धि सम्पत्ति की आय की वृद्धि से अधिक हो सकती है। प्रशासन की दृष्टि से क्रम प्रणाली कठिनाईयां उत्पन्न करती प्रतीत होती है। एक ओर एक अत्यधिक उत्साहयुक्त राजस्व अधिकारी हो सकता है जोकि बट्टे खाते की रकम और प्राप्य विषयों को अस्वीकृत कर आगामी क्रम से कुल आय को बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। दूसरी ओर करदाता विपरीत दिशा में खींचेगा। वह ठीक विपरीत पद्धति के आधार पर कुल निधि को क्रम के नीचे लाने का प्रयत्न करता है।

सिद्धान्त की दृष्टि से क्रम प्रणाली अच्छी नहीं समझी जाती। इस प्रणाली में ध्यान नहीं दिया गया कि आय या सम्पदा में वृद्धि के साथ साथ धन की उपयोगिता कम होती जाती है। किन्तु यह भी नहीं कहा जा सकता कि स्तर बिल्कुल पूर्ण है। स्तर प्रणाली की सब से बड़ी त्रुटि यह है कि इस में गणना बहुत करनी पड़ती है आय कर तथा सम्पदा शुल्क दोनों के लिए ही कुछ छूटें देनी पड़ती हैं और इन को आय पर लागू होने वाली औसत दर के आधार पर निकालना पड़ता है। स्तर प्रणाली में कुल राशि तक प्रत्येक खंड की दर के हिसाब से औसत निकालनी पड़ती है। हम ने स्तर प्रणाली को अपनाने का निश्चय किया है। ग्रेट ब्रिटेन में क्रम प्रणाली लागू होती है। इस लिए हमारे साथ उस की तुलना नहीं हो सकती। इस कारण मैंने श्री तुलसी दास के संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। हमने ऐसा उपबन्ध किया है जिस से कि यदि किसी सम्पत्ति के उत्सर्जन और मृत्यु के बीच का समय नियत अवधि से अधिक न हो जाये तो मृत्यु के पश्चात कर सम्पत्ति उत्तराधिकारी को मिली हुई समझी जाती हैं। अभिप्राय यह कि इस प्रकार की सम्पत्ति मृतक की सामान्य सम्पदा का एक अंश समझी जानी चाहिए, कोई अलग सम्पति नहीं। परन्तु मुख्य दायित्व मृत दानी की सम्पदा पर पड़ता है और हम सम्पदा की इस प्रकार कृत्रिम ढंग से दो अलग सम्पदाओं को बांट कर उस से बचने की अनुमति नहीं दे सकते।

हम ने खण्ड ६० में सारी सम्पति के मूल्यांकन की गलतियों को सुधारने का प्रयत्न किया है और हम ने चुकाये हुए सम्पदा के प्रतिदान की व्यवस्था कर दी है। सम्पत्ति का मूल्यांकन अध्याय

[श्री सी० डी० देशमुख]

४, विशेषतयां ४२ से ४६ तक के खंडों में लिखित कटौती कर के मत्यु के समय करता है ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री बसु के कुछ वस्तुओं को जिन में उच्चतम सीमा न दी गई हो, सम्मिलित करने के प्रश्न के सम्बन्ध मे मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ने जानबूझ कर कोई उच्चतम सीमा नही रखी थी, यद्यपि (ज) और (झ) जैसे कुछ मामलों में किसी प्रकार की रोक लगाने का हमारा विचार था। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इसमें मुख्य कठिनाई प्रशासन सम्बन्धी है हम किसी ऐसी वस्तु का मूलयांकन नहीं करना चाहते, जिनका मूलयांकन न किया जा सके, या जिसके मूलयांकन से बहुत अधिक कष्ट हो। इसी कारण हम इसकी उपेक्षा करने को तैयार हैं, और इसे समष्टि में सम्मिलित नहीं करना चाहते। हम यह नहीं समझते कि इस से राजस्व के कुल दर में कोई अन्तर पड़ेगा ।

इसके बाद दो बातें रह जाती है। एक तो खंड २ को लागू करने की सामान्य कठिनाई की है। मेरी कठिनाई यह है कि मैं इसे केवल उदाहरणों से स्पष्ट कर सकता हूं और उदाहरण में आंकड़े आते हैं परन्तु यह लम्बा चौड़ा हिसाब उनकी समझ में नहीं आयेगा। अतः मैं सदन से यह कहूंगा कि वह हमारी बात पर विश्वास करे कि हमने उपखंड (२) पर अच्छी तरह विचार किया है और हमें पूरा विश्वास है कि कोई बड़ी कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी ।

इसके बाद अनुसूचित राज्यों में कृषि भूमि के समष्टिकरण का अन्तिम प्रश्न शेष रह जाता है। इस सम्बन्ध में एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जिसमें कृषि-भिन्न सम्पत्ति १,००,००० लाख रुपये की है और कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति ५०,००० रुपए की है। इसकी गणना कैसे होगी। यह गणना अभिभाजित अहिन्दू परिवार के सम्बन्ध में की गई है।

७५,००० .... शून्य
अगले ५०,००० .... ५%
अगले २५,००० .... ७ १/२%

१,५०,००० रुपये पर कुल ६,५०० रुपये होता है परन्तु हम कृषि सम्बन्धी भूमि पर कोई शुल्क नहीं ले सकते। अतः हमें १०,००० रुपए की सम्पति पर शुल्क लगाना है । इसलिए इसका उत्तर यह है:

$\frac{६५००}{१,५०,०००} \times १,००,००० = ४,०००$ या ४,००० रुपए। अतः कृषि भूमि पर ४,००० रुपए शुल्क होगा। आप चाहें अनुसूचित राज्य या अननुसूचित राज्य ले, जहां तक कृषि-भिन्न सम्पत्ति पर शुल्क का सम्बन्ध है और सब बातें ठीक होने पर इसमें न तो कोई अन्तर होगा और न हो सकता है, क्योंकि समष्टिकरण से एक ही दर निकलता है। अतः कृषि भिन्न सम्पत्ति चाहे कहीं भी स्थित हो, कोई विभेद नहीं हो सकता। अब यह देखना है कि कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति के बारे में स्थिति क्या है। उन राज्यों के लिए जो कि अनुसूची में सम्मिलित हैं, हम ने कुछ दरें निश्चित की हैं और इन में छूट भी शामिल है। वह छूट देकर हम कृषि सम्बन्धी भाग पर शुल्क का हिसाब लगा लेंगे। एक अननुसूचित राज्य क्या कर सकता है। वह अधिनियम अपना सकता है, इस

हालत में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी या वह अपना अलग अधिनियम बना सकता है उस हालत में वह कृषि सम्बन्धी सम्मत्ति पर शुल्क नहीं लगा सकेगा। किन्तु इस बात का सम्बन्ध राज्यों से है, क्योंकि संविधान के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को भिन्न भिन्न दरें निश्चित करने का अधिकार है जैसा कि मैंने पहले कहा था कम से कम एक राज्य ने तो कहा है कि वह अनुसूची से बाहर रहना चाहता है, क्यों उसका विचार कम दर नहीं, बल्कि अधिक दर निश्चित करने का है। यदि किसी राज्य द्वारा अपने स्वविवेक के प्रयोग से विभेद उत्पन्न होता है, जिसके फलस्वरूप दो राज्यों के नागरिकों पर असमान करानुपात होता है, तो उसे विभेद नहीं कहा जायेगा। अतः मुख्यतः वा यह प्रश्न उस राज्य के नागरिक जो कि अनुसूची में नहीं है और जो अपनी इच्छानुसार कृषि सम्बन्धी भूमि पर कर लगाना चाहता है, और स्वयं राज्य के बीच है। राज्यों के सामने कई विकल्प हैं। यदि वे समष्टिकरण करें तो कुल देय शुल्क उतना ही रहेगा। इस हालत में वे अनुसूची में शामिल हो सकते हैं। किन्तु संभव है कि उन्हें हमारी छूट स्वीकार न हों या वे कुछ और करना चाहते हों। किन्तु इस से दर में कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि वे समष्टिकरण न करें, तो कुल शुल्क कम होगा, क्योंकि सम्बन्धित राज्य के विवेकानुसार कृषि-सम्बन्धी भूमि पर कर की दर भिन्न होगी। वे ऊंची दर भी रख सकते हैं। अतः दोहरे करारोपण का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। असमान करारोपण का प्रश्न अवश्य उत्पन्न होता है। किन्तु इसका कारण केवल यह है कि संविधान के अन्तर्गत राज्यों को संवैधानिक स्वविवेक को प्रयोग करने का अधिकार है।

मेरे विचार में, मैंने उन सब प्रश्नों का, जो कि वादविवाद के दौरान में उठाये गये थे उत्तर दे दिया है। अतः मैं अपने संशोधनों को छोड़ कर, जिन का मैं समर्थन करता हूं, शेष सब संशोधनों का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संशोधक संख्या ६३१ और ६३२ मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

श्री राघवाचारी : ६३१ अनावश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्यों ?

श्री राघवाचारी : क्योंकि संशोधन संख्या ७२० के द्वारा पंक्ति १९ से २५ तक के लिए नये उपबंध आदिष्ट करना अपेक्षित है। संशोधन ६३१, पंक्ति २३ के लिए है। अतः पंक्ति २३ के लिए संशोधन अनावश्यक है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या ६३२ को प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २०, पंक्ति ४० में

'the Schedule' (अनुसूची) के स्थान पर 'the first Schedule' (प्रथम अनुसूची) शब्द रखे जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ७२० में मैं मद (३) को बीच में से छोड़

[उपाध्यक्ष महोदय]

दूंगा। इसे पृथक रूप से लिया जायगा। प्रश्न यह है कि

पृष्ठ २० में,

१९ से २५ तक की पंक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों को आदिष्ट किया जाय।

"33. *Aggregation.*—(1) For determining the rate of estate duty to be paid on any property passing on the death of the deceased, all property so passing, excluding—

property exempted from duty under clauses (c), (d), (e), (h) and (i) sub-section (i) of section 32,

but including—

(i) property on which no estate duty is leviable under section 34,

(ii) property exempted from duty under clauses (a), (b), (f), (ff), (g) and (j) of section 32,"

"३३।

I will omit "and"

"shall be aggregated so as to form one estate and the duty shall be levied at the rate or rates applicable in respect of the principal value thereof."

["३३। **समष्टीकरण**—(१) मृत व्यक्ति की मृत्यु पर किसी हस्तान्तरणीय सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क के पेय पर को निर्धारित करने के अभिप्राय से, इस प्रकार से हस्तान्तरित होने वाली समस्त सम्पत्ति का

धारा ३२ की उपधारा (१) के खण्ड (ग), (घ), (ङ), (ज) तथा (झ) के अन्तर्गत शुल्क से की गई सम्पत्ति के सिवाय, परन्तु जिसमें

(१) धारा ३४ के अन्तर्गत वह सम्पत्ति जिस पर सम्पदा शुल्क न लग सकता हो।

(२) धारा ३२ के खण्ड (क), (ख), (च), (चच), (छ), तथा (ण) के अन्तर्गत शुल्क से युक्त की गई सम्पत्ति शामिल होगी।

मैं 'तथा' शब्द को छोड़ता हूं

"समष्टीकरण इस प्रकार से किया जायगा जिससे सारी सम्पत्ति को एक ही सम्पदा का रूप दिया जाय तथा सम्पदा शुल्क इस पर था दरों पर लगाया जायगा जो इस सम्पत्ति के 'मुख्व मूल्य' पर प्रयुक्त होता हो"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं मद (३) को पृथक रूप से प्रस्तुत करता हूं। प्रश्न यह है कि :

"संशोधन संख्या ७२० में, जिसे सदन ने अभी स्वीकृत किया है, मद (२) के बाद निम्न शब्द जोड़े जायं

"and (iii) agricultural land situate in any state not specified in the First Schedule."

["तथा (३) किसी राज्य में स्थित वह सब कृषि भूमि जिसका प्रथम अनुसूची में निश्चित रूप से वर्णन नहीं किया गया है।"]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मतदान के लिए नियमित मतविभाजन ो न करते हुए मैं सदस्यों को अपने अपने स्थानों पर खड़ा होने के लिए कहूंगा ।

इसके बाद विपक्ष में ८ तथा पक्ष में कितने ही सदस्य अपने अपने स्थानों पर खड़े हुए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके बाद संशोधन संख्या ६९४, ६९७, २६९, १२७, ६९९, २७०, ५५९, ३८४, १३४, ११५, ७००, १३६, २७५ मतदान के लिए प्रस्तुत हुए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३३ संशोधित रूप से विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३३ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : केवल १० मिनट और रह गए हैं । यदि माननीय मंत्री चाहें तो हम खंड संख्या ३१ को ले सकते हैं ।

श्री सी० डी० देशमुख : चर्चा में उठाई गई बातों को सामने रखते हुए, मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि इस खण्ड को रखने या निकाल देने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । मैं एक बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं और वह यह कि विधवा को सहायता देने का विचार नहीं है । बल्कि बाद के उत्तराधिकारियों को सहायता देने का विचार किया गया है । वास्तव में मुझे विधवा स्त्रियों को मंगलसूत्र तथा गलासूत्र के बीच लटके रहने का खतरा दिखाई देता है । मैं इस खण्ड को यथा स्थिति रहने देने के पक्ष में हूं ।

संशोधन दिया गया

"पृष्ठ १९, पंक्ति १४ तथा १५ में,

"persons who were members of a coparcenary immediately before or after his death or any of them."

(जो व्यक्ति उसकी मृत्यु से तुरन्त पहले या बाद में समांशी थे या उन में से कोई एक के स्थान पर)

"the reversioners or any of them"

"बाद के उत्तराधिकारियों या उन में से कोई एक" शब्द रखे जायें ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ३१ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३१ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बना लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड ३१ के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए शेष के सभी संशोधनों को अस्वीकृत समझा जाता है ।

नया खण्ड ३१ (क)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री इय्युनी

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, वह इसे वापस लेते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह इस पर ज़ोर नहीं देते, अतएव इसे सदन में प्रस्तुत करन से कोई लाभ नहीं ।

इसके बाद सदन की बैठक बुधवार, ९ सितम्बर, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हो गई ।